खण्ड-154, अंक-3
शुक्रवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1877
(19 अगस्त, 1955 ई0)

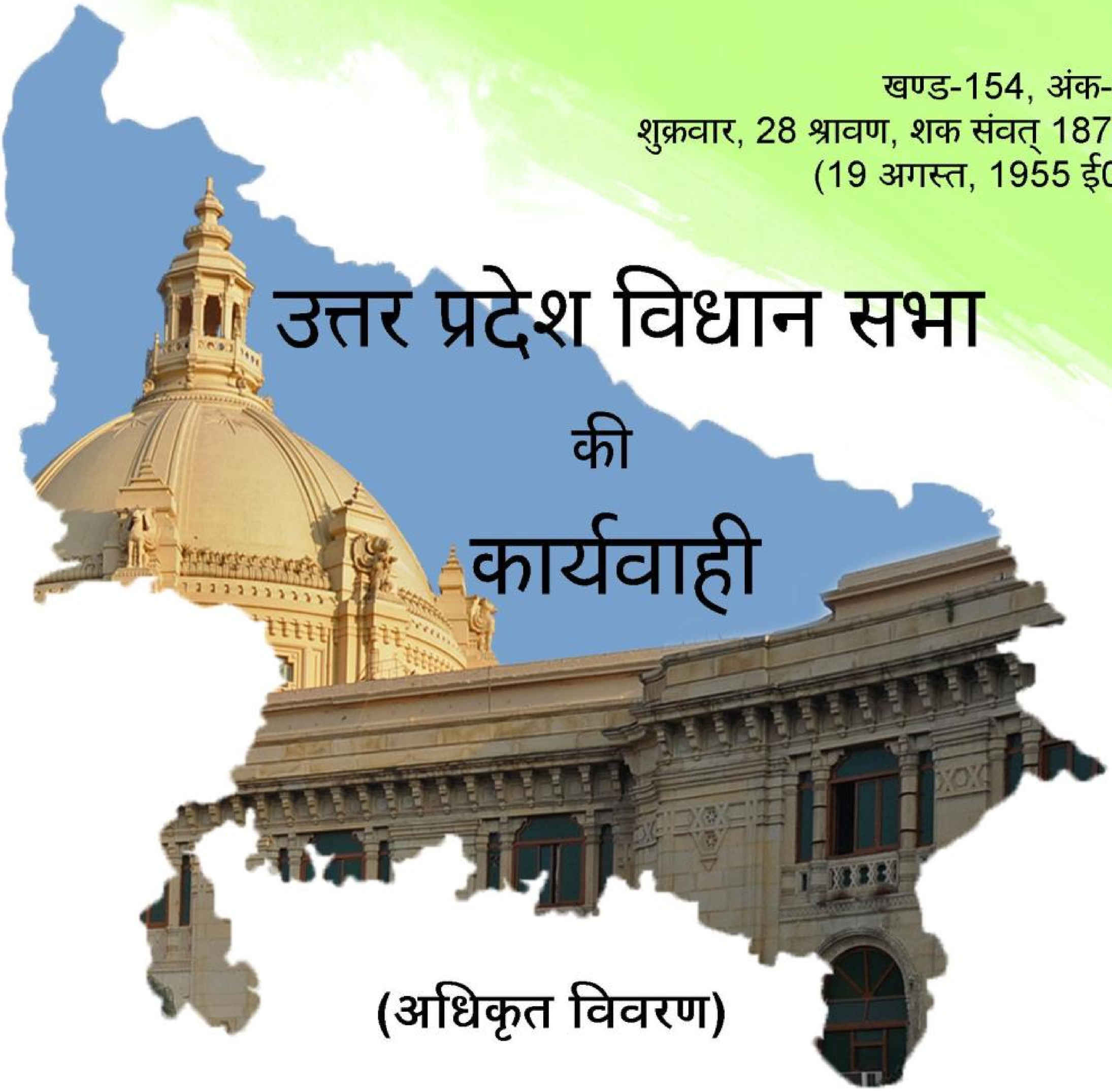

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 154 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथकौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन , श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मूरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहिम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफतहुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियारास चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

हमीरपुर जिले में हरिजन छात्रों से महंगाई भत्ते की वसूली

१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीर पुर की शिक्षण संस्थायें (Higher Secondary Schools and Colleges) हरिजन छात्रों से महंगाई (D. A.) वसूल करती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां, हरिजन छात्रों को महंगाई भत्ते से मुक्त करने का नियम नहीं है ।

छात्रवृत्ति के लिये हरिजन विद्यार्थियों को रेवेन्यू अफसर के प्रमाणपत्र की आवश्यकता

२—श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि इस वर्ष जो फार्म छात्र-वृत्ति के लिये हरिजन कल्याण विभाग से मिले हैं उनमें पिता अथवा संरक्षक की आय के बारे में रेवेन्यू अफसर का सार्टिफिकेट लगाने का आदेश है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, किन्तु कक्षा १२ तक के विद्यार्थियों पर यह आदेश लागू नहीं होता । केवल इनके ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऐसा सर्टीफिकेट देना आवश्यक है ताकि उनकी आर्थिक दशा की प्रमाणित जांच हो सके । भारत सरकार को भी छात्रवृत्ति के लिये विद्यार्थी तहसीलदार का सर्टिफिकेट लेते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि अन्य शुल्कों की भांति महंगाई भत्ते से भी हरिजन छात्रों को मुक्त कर दिया जाय ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह) --इस पर तो अभी कोई विचार नहीं किया गया है और मैं समझता हूं कि शायद यह ठीक भी नहीं होगा ।

जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

****३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)**--क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में गोमती और सई नदी की भीषण बाढ़ से फसल और मकानों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो सरकार ने बाढ़-ग्रस्तों की सहायता के लिये क्या किया है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हां । गोमती और सई की भीषण बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिये सरकार ने निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की है :--

अहेतुक सहायता	१ लाख	रु०
डिस्ट्रेस तकावी	१ लाख	रु०
मकान बनाने के लिये सहायता	२५,०००	रु०
जानवरों के चारे के लिये	१५,०००	रु०

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने का प्रबन्ध किया गया । रहने के लिये तम्बू, रेल गाड़ी के डिब्बों का प्रबन्ध किया गया । लोगों को दवा आदि बांटी गयी तथा पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध किया जा रहा है और उनमें रोग न फैले इसके लिये प्रतिरोधक उपाय इस्तेमाल किये जा रहे हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बाढ़ से जो गांव के गांव मकान गिर गये हैं । और बिल्कुल बाढ़ की चपेट के ही अन्दर हैं उन गांवों को ऊंची भूमि पर बसाने की भी कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, कर रही है । यह तो कल ही भवन में बता दिया गया ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके लिए भूमिहस्तगत करने का कोई आदेश यहां से भेजा गया है जिलाधीश के पास ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आदेश जारी हो चुके हैं । वह जमीन ग्राम समाजों की जमीन से ले ली जाय । वहां से न मिल सके तो फारेस्ट डिपार्टमेंट से ले ली जाय और उसका बयान भी हाउस में हो चुका है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जिन गांवों में गांव समाजों की जमीन नहीं है तो उन गांवों में क्या वैसी जमीनें जो कि और लोगों के कब्जे में हैं उन्हें लेकर उन्हें बसाने का कोई विचार सरकार का है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पावर तो है ही । उसमें जरूरत होगी तो ऐसी जमीन अक्वायर की जा सकती है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह जो तकावी का एक लाख रुपया है क्या यह बिला सूद दिया जायगा या सूद पर दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो कह दिया गया कि बिला सूद का दिया जायगा ।

श्री बाबू नन्दन--(जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ एरिया के अतिरिक्त भीषण वर्षा से जो मकान गिर गये हैं उनको भी बनाने के लिए सरकार का कोई सहायता देने का विचार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा———अभी तक तो केवल यह सोचा गया है कि बाढ़ के अन्दर जो बाटर लागिंग में जो मकान आ चुके हैं उनके लिये सहायता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

बाराबंकी जिले में अति वृष्टि-ग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माणार्थ सहायता

****४——श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में इस वर्ष अति वृष्टि से कितने मकानों को ऐसी क्षति पहुंची कि वे धराशायी हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——बाराबंकी जिले में इस वर्ष अति वृष्टि आदि से कुल लगभग ५८,४३० मकान पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में गिरे हैं।

****५——श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन क्षति-ग्रस्त व्यक्तियों को जो कृषक नहीं है किस प्रकार की सहायता दी गई है और प्रति व्यक्ति कितने रुपयों तक दी गई है।

श्री चतुर्भुज शर्मा——बाराबंकी जिले में मकान बनाने के लिये २०,००० रु० अहेतुक सहायता के रूप में स्वीकृत किया गया है। यह सहायता गरीब कृषकों और अकृषकों दोनों को मिल सकती है तथा प्रति व्यक्ति को २५ रुपये तक मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त अकृषकों के लिये ऋण की भी व्यवस्था की जा रही है, यद्यपि इसके लिये अभी रुपया स्वीकृत नहीं हुआ है। अकृषकों को ऋण २५० रुपये तक मिल सकेगा।

****६——श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित)——क्या सरकार तकावी अथवा ऋण की ब्याज दर को कम करने जा रही है। यदि हां, तो अब कितना प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा——बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में तकावी और ऋण इस वर्ष बिना ब्याज दिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

हमीरपुर जिले के नार्मल ट्रेनिंग स्कूल चारखारी में परिगणित जाति के विद्यार्थी

***१——श्री जोरावर वर्मा**——क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नार्मल ट्रेनिंग स्कूल चरखारी (जिला हमीरपुर) में कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं और उनमें परिगणित जातियों की क्या संख्या है ?

डाक्टर सीताराम——७३ छात्राध्यापक ट्रेनिंग पा रहे हैं जिनमें ५ परिगणित जाति के हैं।

श्री जोरावर वर्मा——क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि ७६ छात्रों में से कम से कम १२ हरिजन होने चाहिये तो क्या कारण है कि ५ ही छात्र लिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह——यह आंकड़े सन् १९५४ के हैं और वह आदेश कि १८ फीसदी की उनकी भर्ती की जाय उसके बाद का है।

नोट——अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४–६ श्री जगन्नाथ बख्श दास ने पूछे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या भविष्य में माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखेंगे कि ट्रेनिंग कालेजों में हरिजन छात्र उनके रिजर्वेशन के अनुसार लिये जायं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां, इसके लिये आदेश जा चुके हैं।

*२-३--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--[९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आचार्य जुगलकिशोर समिति की रिपोर्ट की मांग

*४--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार कृपा करके गोरखपुर में बनने वाले प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में माननीय आचार्य जुगलकिशोर समिति की सिफारिशों की एक कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

*५--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार बतायेगी कि इन सिफारिशों पर उसने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम--रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्न ४ के उत्तर के अनुसार जब रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध ही नहीं हैं तो प्रश्न पांच में किस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--उसी रिपोर्ट पर।

श्री अध्यक्ष--आपने टेबिल पर रखने के लिये कहा था तो इतनी प्रतियां नहीं हैं, कुछ प्रतियां होंगी, यह उनका मतलब है।

श्री जोरावर वर्मा--जो प्रश्नकर्ता हैं उन्हीं की मेज पर प्रतिलिपियां रखी जाती हैं मेरा मतलब केवल इतना है।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने आपके प्रश्न का मतलब यह लगाया, अब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस रिपोर्ट पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--बहुत शीघ्र।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो बन रहा है उसमें सरकार ने अबतक कुल कितना रुपया दिया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--खैर, इस प्रश्न से तो उसका कोई सम्बन्ध नहीं था लेकिन सूचनार्थ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक करीब सात-आठ लाख† रुपया दिया होगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का विधेयक जो सदन में आनेवाला था वह कब तक आ जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--प्रयत्न तो यही हो रहा है कि जल्दी ही आ जाय।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

---

†१६ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में शिक्षा मंत्री की प्रार्थना के अनुसार संशोधित।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं यह बहुत लम्बा हो जायगा।

महाबीर जूट मिल्स सहजनवां की हड़ताल

*६—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महाबीर जूट मिल्स, सहजनवां में १,२०० मजदूरों ने गत १६ अप्रैल, १९५४ से हड़ताल की थी ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां।

*७—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार मजदूरों की मांगों की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक प्रति मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२१–२२२ पर)

*८—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि हड़ताल के विषय में उसकी ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—हड़ताल के मामले में पूर्ण रूप से जांच की गयी और यह भरसक प्रयत्न किया गया कि मजदूर अपनी मांगों की पूर्ति वैधानिक रीति से संराधन समिति में भेज कर करावें और हड़ताल समाप्त कर दें। अन्त में ११ जुलाई, १९५४ को मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप मजदूरों ने १३ जूलाई से हड़ताल समाप्त कर दी।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि मजदूरों ने हड़ताल नहीं की थी बल्कि मिल-मालिकों ने तालाबंदी की थी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी जो तालिका अभी पेश की गयी है मांगों की उसमें मुख्य-मुख्य मांगों को सदन के सामने बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह काफी लम्बी लिस्ट है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल ललितपुर से आजमगढ़ जिले की अध्यापिका का स्थानान्तरण

*९—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, ललितपुर, जिला झांसी में कितनी अध्यापिकाएं हैं ?

डाक्टर सीताराम—१७।

*१०—**श्री राम सुन्दर पांडेय**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का इस प्रकार का कोई आदेश है कि पति और पत्नी यदि सरकारी नौकर हैं, तो उन्हें सन्निकट रखा जाय ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये सत्तरह अध्यापिकायें जो इस पाठशाला में हैं, क्या इन में से कोई आजमगढ़ की भी अध्यापिका है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ६–८ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

डाक्टर सीताराम--राजकीय स्कूलों में तो ट्रांसफर किये ही जाते हैं। हो सकता है कि वहां आजमगढ़ की भी कोई अध्यापिका हो ?

अल्मोड़ा जिले के तरमोली ग्राम वासियों को पानी की सुविधा-हेतु सहायता

*११--**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा जिले में पट्टी रीठागढ़ के तरमोली ग्रामवासियों ने कुछ समय पूर्व अपने ग्राम के पीने के पानी की कठिनाई के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा था और उस सम्बन्ध में कुछ जांच भी करायी गयी थी ?

डाक्टर सीताराम--तरमोली ग्राम वासियों का पीने के पानी की कठिनाई के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र जुलाई, १९५४ में प्राप्त हुआ तथा जांच भी करायी गयी।

*१२--**श्री गोवर्धन तिवारी**--यदि हां, तो उन ग्रामवासियों को उसके लिये क्या सहायता प्रदान की गई है ?

डाक्टर सीताराम--नियोजन विभाग द्वारा ३०० रु० का अनुदान प्रदान किया गया है।

श्री गोवर्धन तिवारी--जांच करने के बाद क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि अल्मोड़ा में पानी का बहुत बड़ा कष्ट है ?

डाक्टर सीताराम--तभी तो रुपया दिया गया है।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या वहां पानी पहुंचाने की कोई योजना बनी थी ? अगर बनी थी तो उसका एस्टीमेट कितना था ?

डाक्टर सीताराम--योजना बनी थी और उसका एस्टीमेट ६०० रुपया था।

श्री गोवर्धन तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि पानी का एस्टीमेट ६,००० से ज्यादा था और उसमें तीन सौ ही रुपया दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--अभी मैंने बतलाया है कि एस्टीमेट ६०० रुपया था और प्लानिंग कमेटी ने सिर्फ ३०० रुपया दिया।

नैनीताल के कालेजों को सहायता

*१३--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग ने नैनीताल के शेरउड, सैन्टजोजफ, रामजी एवं बिड़ला कालेजों को पिछले ३ वर्षों में क्या-क्या अनुदान दिये ?

डाक्टर सीताराम--

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
१--शेरउड कालेज	२८,७२३	९,३३५	३५,२६५
२--सेंट जोजफ कालेज	१८,८४९	१९,८६८	१९,४६४
३--बिड़ला विद्या मंदिर	—	१२,०००	१२,०००

नैनीताल में कोई रामजी कालेज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन यूरोपीय प्रणाली पर चलने वाले कालेजों को ग्रांट देने के सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित नीति है ? अगर हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---हां, जो निश्चित नीति है उसी के अनुसार ये ग्रांट दी जाती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में बतलायेंगे कि यह नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं। नीति का सवाल बड़ा होता है। कोई बात खास आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो बिड़ला विद्यामंदिर को ग्रांट दी जाती है, क्या वह भी उसी नीति पर आधारित है, जिसके आधार पर शेरउड और सेंटजोजफ कालेजों को दी जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी नहीं। वह यूरोपियन स्कूल नहीं है, इसलिये उस नीति को उसके साथ नहीं बरता जाता।

बुलन्दशहर जिले में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

*१४---**श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् ५२-५३ व ५३-५४ में बुलन्दशहर जिले में कितना-कितना धन छात्रवृत्तियों में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९५२-५३ में ६,४७५ रु० और सन् १९५३-५४ में ७,३०२ रु० दिया गया था। इसमें छात्र-वृत्तियों के साथ जो अनावर्तीय सहायता दी जाती है वह भी सम्मिलित है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अनावर्ती सहायता का आशय क्या है और वह इस रकम में जो १९५२-५३ और १९५३-५४ में बतायी गयी है कितनी है ?

डाक्टर सीताराम---अनावर्ती सहायता के माने हैं किताबों वगैरह के लिये जो दी जाती है। इस समय उसके आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो धनराशि बतलायी गयी है इसमें पिछड़ी और हरिजन जाति दोनों का वजीफा शामिल है या पिछड़ी जातियों का अलाहिदा है ?

डाक्टर सीताराम---सिर्फ पिछड़ी हुई जातियों का ही है।

राज्य में पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*१५---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ ई० में पिछड़ी जाति के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कुल कितने रुपये में सहायता दी गयी और उसकी जिलेवार संख्या क्या है ?

डाक्टर सीताराम---१९५३-५४ में पिछड़े वर्ग के छात्रों में ६,७३,२३३ रुपये की छात्रवृत्तियां बांटी गयी थीं। उनकी संख्या जिलेवार संलग्न सूची में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२३ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने कोई कमेटी ऐसी बनाई है जो छात्र-वृत्तियों का निर्णय करे जो बी० ए० से ऊपर के विद्यार्थियों को दी जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम---जहां तक पिछड़ी हुई जातियों का सम्बन्ध है ऐसी कोई कमेटी हरिजन सहायक विभाग में नहीं है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो धन छात्र-वृत्तियों के लिये दिया जाता है वह यहां से जिलेवार तकसीम करके दिया जाता है या किस रूप में वह जिलेवार बांटा जाता है ?

डाक्टर सीताराम—कक्षा ६ से लेकर १२ तक जिसकी संख्या माननीय सदस्य को दी गयी है वह निर्धारित कर के दी जाती है, लेकिन जहां तक बी० ए० और एम० ए० का प्रश्न है वह जिलेवार संख्या नहीं होती है, बल्कि यूनिवर्सिटी और कालेजेज़ वगैरह जहां जितने होते हैं उनकी संख्या को देखकर के वज़ीफ़ा दिया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार जहां से बी० ए० के ऊपर के विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है उसके सम्बन्ध में यहां कोई कमेटी बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी या कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—इस समय कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फ़रमा कर बतलायेंगे कि मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेज़ में जो बेहना (नद्दाफ़) बिरादरी भी लिखी हुई है आज तक उस के तालिबइल्मों को भी कोई पैसा इस वज़ीफ़े से दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई सूचना तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीय मंत्री मेहरबानी फ़रमा कर बतायेंगे कि इसी गुज़रे हुये साल के अन्दर यह शिकायत उनको दी गयी कि आज तक इस बिरादरी के किसी बच्चे को एक पैसा नहीं दिया गया और मिनिस्टर साहब ने उस पर ग़ौर किया तो क्या फ़ैसला फरमाया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मेरे पास एक पत्र आया था लेकिन तब वज़ीफ़े का वितरण हो चुका था। इस साल अभी वज़ीफ़े का वितरण नहीं हुआ है लिहाजा उस पर ख़याल किया जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे जैसा कि उन्होंने कहा था कि इस जाति के एक नुमाइन्दे को जिस वक्त फंड तकसीम हो बुला लिया जाय। इत्तिला हासिल करने के लिये इस पर भी कोई फैसला फरमाया मिनिस्टर साहब ने ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो बड़ा असम्भव-सा मालूम होता है कि हर एक जाति के लोगों को बुला लिया जाय। जैसा कि मैंने कहा इस बात का खयाल तो किया जायगा कि जितने बैकवर्ड क्लासेज़ हैं उनमें सुचारु रूप से छात्रवृत्तियों का वितरण हो, लेकिन यह असम्भव-सा मालूम होता है कि सब जाति के लोगों को उसमें बुलाया जाय।

कबाल टाउन्स में भीख मांगने वालों की संख्या

*१६—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार के पास कोई ऐसा रिकार्ड है जिससे भीख मांगने वालों की संख्या का ज्ञान हो सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। उत्तर प्रदेश आरफनेजेज़ एंड विडोज होम्स कमेटी ने सन् १९५०–५१ में प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकाओं के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। इसके अतिरिक्त सन् १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट वाल्यूम २, पार्ट १–बी, पृष्ठ २५८–६१ में भी ऐसी सूचना है।

*१७—**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि KABAL Towns में भीख मांगने वालों की क्या संख्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--उक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार कबाल शहरों में भीख मांगने वालों की संख्या इस प्रकार है:--

कानपुर	१,९२२
आगरा (फिरोजाबाद तथा फतेहपुर सीकरी के सहित)	१,१३५
बनारस	२७९
इलाहाबाद	१२,४६३
लखनऊ	२,८००

*१८--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--क्या सरकार Kabal टाउन्स में Beggars' Homes बनाकर भीख मांगने वाले वर्ग का अन्त करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--इलाहाबाद तथा लखनऊ में ऐसी संस्थाएं हैं, लेकिन शेष तीन शहरों में नहीं हैं। वहां भी ऐसी संस्थाएं खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, हरद्वार, मथुरा आदि तीर्थ स्थानों में भी ऐसी संस्थायें खोलने का विचार किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी कृपया इन बैगर्स होम के ऊपर प्रकाश डालेंगे जो कि कबाल टाउन्स लखनऊ, इलाहाबाद वगैरा में खोले जा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं और विस्तार से नहीं कह सकता हूं और माननीय सदस्य मेरे पास आ जायेंगे तो मैं उनको इस रिपोर्ट की कापी दे दूंगा जिस के अनुसार यह खोले जा रहे हैं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि शहरों में कबाल टाउन्स के अलावा अन्य स्थानों में भी यह कोशिश की जा रही है और ऐसे होम्स खोले जा रहे हैं जहां पर अपंगु भिक्षुओं को आश्रय दिया जाय और उनकी देख-भाल की जाय और खाने वगैरह का प्रबन्ध किया जाय तथा उनसे कोई काम लिया जा सकता हो तो वह लेने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बावजूद इसके कि लखनऊ और इलाहाबाद वगैरा में बैगर्स होम्स हैं फिर भी क्या कारण है कि शहरों में ऐसे भिखारी हैं जिनको सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिल रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसमें दिक्कत यह है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर वह गिरफ्तार करके या जबर्दस्ती उनको यहां लाया जा सके। जो स्वेच्छा से आ जाते हैं उनको ही रख सकते हैं। जब ऐसा कानून बन जायगा तो उनको भी लिया जा सकेगा।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी सरकार के पास ग्रामों में भीख मांगने वालों के आंकड़े भी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस समय मेरे पास इनके आंकड़े तो नहीं हैं सम्भव है सैंसस रिपोर्ट में हो। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो बतला दिया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस में जो भिखमंगों की संख्या बतलाई गई है उसको फिर से बतला देंगे कि सही संख्या क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मेरे पास तो २९७ लिखा है और यह आंकड़े उस रिपोर्ट के हैं जिनका मैंने जिक्र किया है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां पर बेगर्स होम्स हैं, वहां बेगर्स होम्स में जाने के लिये खुशी से तैयार होते हैं या नहीं, अगर नहीं होते हैं तो उसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैंने बतलाया कि कारण यही है कि कोई कानून न होने के कारण उनको हम मजबूर नहीं कर सकते हैं। उनके लिये कोशिश की जाती है और उनके लिए वह जगहें खुली हुई हैं, तब भी कुछ संख्या में वह वहां पर जाते ही हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं फिर अपने उसी प्रश्न को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि उसका उत्तर नहीं मिला। कायदे और कानून से तो हमको अधिकार नहीं है, लेकिन जहां पर बैगर्स होम्स हैं और खुशी से बैगर्स को उसमें ले जाने की कोशिश की जाती है तो वह जाने के लिये तैयार होते हैं या नहीं, अगर वह तैयार नहीं होते हैं तो उसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर--वह भीख मांगना ज्यादा पसन्द करते हैं बजाय किसी होम में जाने के।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा कानून लाने का विचार करेगी जिससे प्रान्त में भीख मांगना खत्म हो जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, ऐसा कानून लाने का विचार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय जो बैगर्स होम्स स्थापित हैं उनमें भरती हुये भिखारियों की वर्तमान संख्या क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--उसकी संख्या तो इस समय मेरे पास नहीं है। अगर नोटिस दिया जाय तो मैं बतला सकता हूं।

राजनीतिक-पीड़ित छात्र शुल्क के घाटे की पूर्ति के लिए हमीरपुर जिला बोर्ड का प्रार्थना-पत्र

*१९--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)--क्या राज्य सरकार का कोई ऐसा जी० ओ० है, जिसके अनुसार जिला बोर्डों को यह हिदायत दी गयी है कि वे राजनीतिक पीड़ित के आश्रित छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दें और इस प्रकार बोर्डों की आमदनी में जो कमी होगी उसका २/३ भाग सरकार पूरा करेगी और शेष बोर्ड स्वयं बरदाश्त करे ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, राजाज्ञा इस प्रकार है कि राजनीतिक पीड़ितों के समस्त आश्रितों को पूर्ण एवं अर्ध शुल्क की छूट देने की विशेष सुविधा प्रदान की जाय तथा इस मद की क्षतिपूर्ति शिक्षा विभाग द्वारा की जायगी।

*२०--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--यदि यह सही है, तो क्या सरकार को पता है कि हमीरपुर जिला बोर्ड को राजनीतिक-पीड़ित छात्र शुल्क के घाटे की पूर्ति के लिये अब तक कोई रकम नहीं दी गई है ?

डाक्टर सीताराम--मामला विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किये थे यदि उनको आप पढ़ें तो स्पष्ट हो जायगा कि उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या सरकार इन छात्रवृत्तियों की पूर्ति करने म प्रतिशत का हिसाब रखती है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जितनी भी फीस होती है वह सब उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--मेरा मंशा इस प्रश्न से यह था कि उत्तर में दिया गया है कि इस मद की छात्रवृत्तियां शिक्षा विभाग से सम्पूर्ण दी जाती हैं या बटे में ?

श्री अध्यक्ष—सम्पूर्ण तो कहा है उन्होंने।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हमीरपुर का पूर्त्ति के लिये सरकार को कोई अनुरोध पत्र मिला है? यदि हां, तो कब?

डाक्टर सीतराम—जी हां, एक प्रार्थना-पत्र मिला और उस पर विचार हो रहा है।

वाल्मीकि नवयुवकों को उद्योग-धंधों में सहायतार्थ सरकारी आदेश

*२१—**श्री भगवानदीन वाल्मीकि** (जिला फतेहपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ और कानपुर जिले को इस वर्ष कितने रुपयों की सहायता अलग-अलग हरिजन नवयुवकों को उद्योग-धंधों के लिये दी गई और सहायता प्राप्त करने वालों में वाल्मीकियों की क्या संख्या है?

डाक्टर सीताराम—हरिजन नवयुवकों को उद्योग-धंधों के लिये सन् १९५४-५५ में निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई :—

	रु०
१—इलाहाबाद	४,२००
२—बनारस	३,९००
३—आगरा	११,२५०
४—लखनऊ	४,३५०
५—कानपुर	३,०५०

अनुदान पाने वालों में से वाल्मीकियों तथा अन्य मेहतरों की संख्या ८ है।

*२२—**श्री भगवानदीन वाल्मीकि**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश जिला हरिजन समितियों अथवा सूबे की सरकारी समिति को दिया गया था कि १९५४-५५ की उक्त सम्बन्ध की धनराशि में से अनुदान देते समय वाल्मीकियों का विशेष ध्यान रक्खा जाय? यदि हां, तो इस आदेश का कहां तक पालन किया गया?

डाक्टर सीताराम—जी हां। आदेश का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है।

श्री शिवनारायण—आगरा, लखनऊ और कानपुर के बीच में इतना अन्तर क्यों रखा गया है कि किसी को ११ हजार और किसी को ३ हजार ही दिया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जहां से जितने आवेदन-पत्र आते हैं उन पर विचार करके दिया जाता है। जिलेवार कोई संख्या निर्धारित नहीं है।

श्री शिव नारायण—प्रत्येक व्यक्ति को क्या रेशियो से रुपया दिया जाता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—भिन्न-भिन्न कार्यों की उपयोगिता समझकर और उसकी आवश्यकता समझकर अनुदान दिया जाता है।

*२३-२४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

मुसहरा जाति के विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए मांग

*२५—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुसहरा जाति के लोग हरिजनों की लिस्ट से अलग आदिवासियों की लिस्ट में बढ़ाये गये हैं।

डाक्टर सीताराम—इस प्रदेश में आदिवासियों की कोई लिस्ट नहीं बनायी गयी है। अतः मुसहरा जाति का ऐसी लिस्ट में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*२६—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासियों की तरह मुसहरों के सुधार और तरक्की के लिये किसी तरह की व्यवस्था करने वाली है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

*२७—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—यदि हां, तो कब से और किन-किन जिलों में ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—जौनपुर, बनारस और इलाहाबाद में जहां मुसहरा जाति के लोग अधिक रहते हैं उनके किस हरिजन लिस्ट में या किस सहायता प्राप्त लिस्ट में नामदर्ज करने की कोशिश हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के सामने यह प्रश्न है और उनकी रिपोर्ट आने पर ही विचार हो सकेगा।

श्री बाबूनन्दन—क्या अभी तक मुसहरा जाति को शिक्षा इत्यादि में सरकार की ओर से कोई सहायता दी जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, इस बात की कोशिश की जाती है कि उन्हें वही सुविधायें दी जावें, जो हरिजनों को प्राप्त हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि जब शैड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तो उसमें मुसहरों के छात्रों के प्रार्थना-पत्रों पर नहीं विचार किया जाता है, क्योंकि वे शेड्यूल्ड कास्ट में दर्ज नहीं हैं, हालांकि उनकी अवस्था उनसे भी गयी गुजरी है ?

डाक्टर सीताराम—मुसहरा जाति के आवेदन-पत्रों पर इसलिये विचार नहीं किया जाता है कि प्रेसीडेंट ने जो ६३ जातियों की सूची रखी है उसमें उनका नाम नहीं है और बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट आने पर कुछ तय होगा कि उनको वे सुविधायें दी जावें या नहीं ?

*२८-२९—**श्री तुलाराम** (जिला इटावा)—[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बेकारी दूर करने के लिए भारत सरकार से मांगी गई धनराशि

*३०—**श्री गेंदासिंह**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार ने बेकारी दूर करने के लिये, कुछ योजनाओं पर खर्च करने के लिये केंद्रीय सरकार से कर्ज या सहायता के रूप में धन मांगा है ? यदि हां, तो वह योजनायें क्या हैं, उन पर पृथक्-पृथक् कितने रुपये की मांग की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। योजनाओं की सूची मेज पर रख दी गयी है जिसमें प्रत्येक योजना के अन्तर्गत मांगी गयी धनराशि के आंकड़े दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२४-२२५ पर)

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कुल रकम जो दिखायी गयी है उसमें कितनी खर्च के रूप में और कितनी सहायता के रूप में मांगी गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसम से कितनी रकम अब तक केन्द्रीय सरकार से मिल चुकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मैं ठीक तौर से नहीं कह सकता । यह सभी मिल गयी है या प्राप्त होने की स्वीकृति मिल चुकी है ।

*३१-३२--**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)--[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले में हिंडन व जमुना के खादर में पेय जल का अभाव

*३३--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में हिंडन व जमुना के खादर में जनता को पानी पीने की कठिनाई है ? यदि हां, तो सरकार खादर के गांवों में पानी की सुविधा देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--कोई विशेष कठिनाई नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र विकल--यह जांच उन्होंने किस विभाग द्वारा करायी है जो यहां पश की गयी है ?

डाक्टर सीताराम--डी० पी० ओ० के द्वारा ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार इस प्रश्न को शिकायत के रूप में समझ कर पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां ५ कुएं बन रहे हैं, जिनमें २ तो तैयार हो गये हैं, २ बन रहे हैं और एक का प्रश्न विचाराधीन है ।

पाठशालाओं में कृषि विषय खोलने के लिये फैजाबाद जिले में मुख्य मंत्री कोष में एकत्रित धन का व्यय

*३४--**श्री राजाराम मिश्र** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वर्ष पाठशालाओं में कृषि का विषय खोलने के लिये आयोजित मुख्य मंत्री कोष में फैजाबाद जिले में कुल कितना धन जमा हुआ तथा उसमें से कितना व्यय हो चुका और किन कार्यों में ?

	रु०	आ०	पा०
श्री हरगोविन्द सिंह--कुल धन जमा	९०,३२३	१२	३
कुल व्यय	८,३६७	४	३
व्यय का विस्तृत विवरण निम्नांकित है--			
१--कृषि औजार	२,६३२	२	६
२--भूमि सुधार व्यय	१,१०७	९	९
३--सिंचाई	२,४१०	१३	९
४--बीज एवं पौधे	१,४०६	१	९
५--मिश्रित व्यय	८१०	८	६
कुल योग	८,३६७	४	३

"श्रम हितकारी" चल-चित्र पर व्यय

*३५--**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम हितकारी केन्द्रों पर जो चल-चित्र तैयार हैं उनमें लागत कितनी लगी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--श्रम हितकारी केन्द्रों पर केवल एक चल-चित्र 'श्रम हितकारी' का निर्माण किया गया है। उसके निर्माण में १०,४८८ रु० व्यय हुआ है।

श्री रामहेत सिंह--वह चल-चित्र जो बनाया गया वह अब तक कहां-कहां और किन-किन श्रम हितकारी केन्द्रों में दिखाया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसकी सूचना चाहिये।

हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान

*३६--**श्री चुन्नी लाल सगर** (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में जिला बदायूं में कितने हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता दी गयी ?

डाक्टर सीताराम--जिला बदायूं में सन् १९५३-५४ में केवल दो हरिजनों की दरख्वास्तें आयीं जिनमें से एक उपर्युक्त हरिजन को ३०० रु० का अनुदान कुटीर उद्योग हेतु प्रदान किया गया तथा सन् १९५४-५५ में आठ हरिजनों को कुल २,४०० रु० का अनुदान दिया गया।

श्री चुन्नीलाल सगर--प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि ५३-५४ में ३०० रुपया एक को दिया गया और ५४-५५ में २,४०० रुपया ८ में वितरित किया गया, तो इस रुपये में से कितना रुपया वितरित हो चुका है और अगर नहीं हुआ तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--ऐसी कोई सूचना नहीं है लेकिन आशा की जाती है कि रुपया वितरित हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा, तो होता होगा।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति को एक पैसा भी नहीं मिला है और क्या सरकार इस रुपये को शीघ्र वितरित कराने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि इस समय इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर नहीं हुआ होगा तो जल्द ही हो जायगा।

*३७-३८--**श्री चुन्नीलाल सगर**--[१६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

बनारस व मिर्जापुर जिलों में बियार जाति के लोगों को सहायता की आवश्यकता

*३९--**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर की चुनार तहसील के पूर्वी भाग में और बनारस जिला की चन्दौली तथा चकिया तहसील में अधिक संख्या में बियार जाति बसती है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*४०--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या यह सही है कि इन जातियों को अछूतों सी सुविधायें सरकार द्वारा नहीं दी जातीं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*४१--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या सरकार इनको शिक्षा गृह निर्माण आदि के लिये आर्थिक सहायता करने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम--यदि वियार जाति पिछड़े वर्ग कमीशन भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति घोषित कर दी जायगी तो इस जाति को पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध हो जायंगी ।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वियार जाति इस वक्त किस वर्ग में शुमार की जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जैसा उत्तर में कहा गया है, अभी उसका वर्गीकरण नहीं हुआ है, लेकिन पिछड़ी हुयी जातियों में तो वह पहले से ही शुमार की जाती है ।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या यह सही है कि पिछड़े वर्ग की सहायता भी उसको प्राप्त नहीं हुयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--पिछड़ी जातियों में उसे सहायता दी जाती है । अगर उसका कोई आवेदन-पत्र आया होगा तो जरूर ही उस पर विचार किया गया होगा और अगर आयन्दा भी कोई आवेदन-पत्र आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

बस्ती, मुंडेरवा तथा खलीलाबाद चीनी मिलों के मजदूरों को सुविधायें

*४२--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलग-अलग बस्ती, मुन्डेरवा तथा खलीलाबाद चीनी मिलों में मजदूरों के लिये अब तक कितने-कितने क्वार्टर बनवाये गये हैं और मजदूरों को कौन-कौन सी सुविधायें दी गयी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--चीनी मिल मजदूर आवास योजना के अन्तर्गत बस्ती, मुन्डेरवा तथा खलीलाबाद मिलों में क्रमशः १५,११ व ७ क्वार्टर बनाने हैं । बस्ती तथा मुन्डेरवा में कुल क्वार्टर बनकर तैयार हो गये हैं । खलीलाबाद में इन क्वार्टरों के निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है, परन्तु वे अभी पूर्णरूप से तैयार नहीं हुये हैं । प्रश्न का दूसरा खंड अस्पष्ट है, अतः कोई उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जितने मजदूर मिलों में काम करते हैं क्या ये क्वार्टर्स उनके लिये पर्याप्त हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--चीनी मिलों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिये ये क्वार्टर्स बनाये गये हैं ।

श्री राजाराम शर्मा--दूसरे खंड में आपने सुविधायें बतायी हैं उसमें यह साफ नहीं है कि उनको पढ़ाई-लिखाई, दवादारू और बोनस की क्या सुविधायें हैं ?

श्री अध्यक्ष--आप साफ-साफ प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री राजाराम शर्मा--जो मजदूर मिलों में काम करते हैं उनको पढ़ने-लिखने, दवा-दारू और बोनस की क्या सुविधायें हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस प्रश्न से मालूम होता था कि उनको बिजली आदि की क्या सुविधायें हैं तो उनको बिजली, पानी और ड्रेनेज आदि की सुविधायें दी गयी हैं । जितनी अन्य सुविधायें हैं वह वेलफेयर सेन्टर्स द्वारा दी जाती हैं ।

आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर जिलों में सहायता प्राप्त स्कूल तथा पुस्तकालय

*४३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ देवरिया और जौनपुर जिले में हरिजन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त कितने कितने स्कूल और पुस्तकालय हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र क में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२६ पर)

*४४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर की इन संस्थाओं को वित्तीय वर्ष १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र ख में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २२७ पर)

*४५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की कुछ संस्थाओं की सहायता कुछ कम कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। हरिजन कन्या पाठशाला ऊहरौली, हरिजन पाठशाला, भुजही तथा हरिजन पाठशाला, बड़ी करौली, चार पाठशालाओं को चल वित्तीय वर्ष में गत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अनुदान कम मिला है। कन्या पाठशालाओं के अनुदान में कमी का कारण यह है कि वहां छात्राओं की संख्या कम हो जाने के कारण एक-एक दाई की जगह कम कर दी है। हरिजन पाठशाला भुजही में गत वर्ष एक अध्यापक को कुछ वेतन अधिक दे दिया गया था। जो इस साल घटा दिया गया है। हरिजन पाठशाला करौली में एक नया अध्यापक आया है जिसको वेतन कम देना पड़ता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विवरण-पत्र की संख्या 'क' के अनुसार जो आजमगढ़ में २४, देवरिया में ५७ और जौनपुर में ६ पाठशालाएं स्थापित हैं, वे आबादी के लिहाज से स्थापित हैं या किसी और कारण से ?

डाक्टर सीताराम--यह सब इसलिये अधिक देवरिया में और वहां पर दिखलाया गया है कि जब यह डिपार्टमेंट एजूकेशन डिपार्डमेंट के अन्दर में था तो सन् ५२ से पहले वहां पर संस्थाएं ज्यादा थीं। अतः उनकी संख्या अगर अनुपात से देखी जाय तो आजमगढ़ में देवरिया या जौनपुर के मुकाबले में कम संस्थायें नहीं हैं।

बी० ए० तथा एम० ए० कक्षाओं के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*४६--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या यह सच है कि ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सभी हरिजन छात्रों को सरकार अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देती है ?

डाक्तर सीताराम--उन छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते हैं। दूसरे बजट में एक निश्चित धनराशि छात्रवृत्तियों के लिये रहती है। इस तरह छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित रहती है।

*४७--श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन करने वाले कितने छात्रों ने वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेजे और कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं।

डाक्टर सीताराम--४५० आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और ४३५ हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

श्री पुत्तूलाल--क्या यह सच है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के लिये जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको अनिवार्य रूप से वजीफा देने के लिये एक सरकारी अदेश भी हो चुका है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां । पालिसी तो यही है कि जितने डिजर्विंग स्टुडेंट्स हों उन सबको छात्रवृत्ति दी जाय ।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिन ४३५ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रान्त से स्वीकृत हुई उनमें से अधिकतर छात्रों को केन्द्रीय सरकार ने भी छात्रवृत्ति दी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--किसी को दो छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं । यदि उनको केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति मिल जाती है तो यहां की छात्रवृत्ति बन्द हो जाती है और अगर यहां पर मिल जाती है तो केन्द्रीय सरकार वाली बन्द हो जाती है ।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि जो छात्रवृत्तियां खाली बच जाती हैं उनके बचे हुये रुपये को किस प्रकार से खर्च किया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--वह हरिजनों के कार्य में ही खर्च होता है, चूंकि उसी बजट का वह एक अंग होता है ।

धर्मादे की रकम का व्यय

*४८--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रही है कि व्यापारियों द्वारा धर्मादे की जो रकम एकत्रित होती है उसका उचित उपयोग हो ?

आचार्य जुगलकिशोर--यह प्रश्न समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को मालूम है कि आज से लगभग ५ वर्ष पहले इस सदन में एक असाधारण बिल धर्मादा बिल के नाम से प्रस्तुत किया गया था और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द धर्मादा के सम्बन्ध में कानून इस सदन द्वारा बनाया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--सम्भव है ऐसा बिल पहले पेश किया गया हो या ऐसी बात कही गयी हो, लेकिन मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और न कोई बिल ही इस तरह का इस वक्त तैयार है ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस किस्म की बात मैंने कही थी और धर्मादे के सम्बन्ध में काफी विचार हुआ, लेकिन इस प्रश्न पर जितना ही विचार करते हैं वह उतना ही टेढ़ा मालूम होता है, इसलिये चूंकि धर्मादा किसी कानून के अनुसार वसूल नहीं किया जाता । वह व्यापारी लोग वसूल करते हैं और यह सही है कि वह अपनी तरफ से मनमानी तरीके से खर्च करते हैं और खयाल ऐसा है कि यदि कोई रोक-थाम उसमें की जाय तो वह उसको वसूल करना बन्द कर देंगे और इस वक्त जो कुछ धर्मादे से धार्मिक संस्थाओं या शिक्षा संस्थाओं को मिलता है वह भी बन्द हो जायगा, इसलिये कानून के द्वारा कोई चीज करना संभव नहीं है । इसलिये धर्मादे के विषय में अभी तक कोई कानून नहीं लाया जा सका है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग के विचाराधीन यह प्रश्न कब से आया और कब तक रहेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर--जब से समाज कल्याण विभाग खुला है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद भी इस सवाल को विचाराधीन रखा जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कठिनाइयां बतायी हैं, उनको कैसे दूर किया जाय इस पर विचार किया जायगा ।

आजमगढ़ जिले की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थायें

*४९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में लड़कियों के ऐसे कौन-कौन विद्यालय हैं जिन्हें राजकीय सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम--(१) श्री अग्रसेन आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आज़मगढ़ ।

(२) मदरसा निसवां कन्या जूनियर हाई स्कूल, पहाड़पुर, आजमगढ़ ।

*५०--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन- कौन से हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिन्हें मान्यता तो प्राप्त है पर राजकीय सहायता नहीं मिलती ?

डाक्तर सीताराम--एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २२८ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों कन्या पाठशालाओं को अलग-अलग वार्षिक सहायता कितनी मिलती है ?

डाक्टर सीताराम--इसकी सूचना चाहिए ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि इन तीनों हायर सेकेन्डरी स्कूल्स, सी० बी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, तिरवा, आजमगढ़, श्री शंकर जी हायर सेकेन्डरी स्कूल, पुष्पनगर, आजमगढ़ और बृजपाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, तिरहन, आजमगढ़ को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसके लिये सूचना चाहिये, लेकिन इस सूची में उनका नाम है इससे ज्ञात होता है कि उनको अब नहीं मिलती ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सूची में जो स्कूल और हैं, पटेल मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतरौलिया और गांधी गुरुकुल हायर सेकेन्डरी स्कूल, भंवरनाथ, आजमगढ़ उनको सन् १९५२ में ही मान्यता प्राप्त हो गई थी और उस के बाद बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली उनको एड दी जा रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि सन् ५२ वालों को सहायता नहीं दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--सहायता तो जो लिस्ट पर आ जाते हैं उनको दी जाती है और जो नहीं आते उनको नहीं दी जाती, इसका मान्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसको मान्यता मिल जाय उसको पहले एड मिल जाय ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एडेड लिस्ट पर आने की कौन विधि है और किस तरह से स्कूल उसमें रखे जाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--कुछ संस्थाएं बोर्ड ने रखी हैं वह पूरी की जाती हैं, कुछ शिक्षा विभाग द्वारा उन मान्यता प्राप्त स्कूलों की सिफारिश होती है कि उनको ग्रान्ट-इन-एड लिस्ट पर रखा जाय, उसी के अनुसार लिस्ट तैयार होती है ।

अतारांकित प्रश्न

हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले सुपरवाइजरों एवं आर्गनाइजरों के कार्य का बटवारा

१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने दिनांक १ मई, १९५२ को किसी आदेश द्वारा इस विभाग में काम करने वाले सुपरवाइजरों एवं आर्गनाइजरों के कामों का बटवारा किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां ।

२--श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २२९-२३२पर)

वेश्याओं को नगर के बाहर रखने का सुझाव

३--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--यह सच है कि सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि वेश्यायें एक ही जगह पर शहर के बाहर रक्खी जायं ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं ।

बस्ती जिले में मोमिन अन्सार लड़कों को छात्रवृत्ति

४--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में मोमिन अन्सारों के लड़कों को कितने रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सन् १९५३-५४ में ६४८ रु० और सन् १९५४-५५ में १,६८० रु० ।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने श्री सम्पूर्णानन्द जी की सरकार पर, जो उनकी कृषि नीति है, जो उनकी औद्योगिक नीति है.....

श्री अध्यक्ष--आप तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं.....

श्री राजनारायण--मैं उतना ही कह रहा हूं । हमने तो उनकी कृषि, औद्योगिक, सामान्य प्रशासन, बाढ़ की रोकथाम आदि की जो अपूर्ण नीति रही है उनकी तमाम नीतियों के विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप ने क्या.....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं सोचता हूं कि इस प्रस्ताव पर विचार करने के पहले कम से कम हम लोगों को आप यह अवसर देंगे कि हम इस तरह के अहम प्रस्ताव पर आपस में भी विचार विनिमय कर लें । तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इस प्रस्ताव पर मत मांगें तो फिर हमें अवसर जरूर मिलना चाहिये कि हम इस पर विचार करें । मुमकिन है कि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय । तो फिर पास हो जाने के बाद कौन-सी सरकार बने, किस तरह से उसका काम चले, इन सारी बातों पर कम से कम हम विचार कर लें । इतना अवसर आप हमें दें ।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण के उठने पर) आप कृपा कर के बैठ जायं। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

नियमावली में यह दिया हुआ है कि प्रश्नोत्तर होने के पश्चात् अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव लाना चाहे तो उसकी सूचना दे और मुझसे अनुमति ले। यह अनुमति के लिये मेरे पास आया है। लेकिन यह बिलकुल ग्यारह बजे के करीब चार पांच मिनट पहले-दो मिनट पहले हमारे सचिव के पास नोटिस आयी है, और लम्बी नोटिस है। मुझे निश्चय करना है कि मैं कोई अनुमति दूं या न दूं क्योंकि नियम १४६ में "विद दि कंसेंट आफ़ दि स्पीकर" दिया हुआ है, जब मैं अनुमति दे दूं तब यह पेश किया जा सकता है। अवैध है या वैध है, इस विषय में मैं अभी तत्काल कोई निर्णय नहीं कर सकता हूं। इस लिये मैं इस विषय को सदन की बैठक का जो दूसरा रोज होगा उस रोज लूंगा।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार-(क्रमागत)

†श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा जौनपुर जिले की हालत कल सदन के सामने पेश की थी। जौनपुर में हर तहसील में जैसा कि मैंने आप से कहा हमारे यहां एक तहसील किराकत है, जहां सई और गोमती नदियों का संगम है। वहां ६ मील के घेरे के अन्दर करीब-करीब डेढ़ दो सौ गांव पड़ते हैं और हर गांव की हालत यह थी कि सौ में पचास मकान नदी के क्षेत्र में गिर हुए पड़े हैं। दूसरी तहसीलों में, मछली-शहर के पूर क्षेत्र में सई के प्रकोप से हर गांव की हालत बड़ी खराब है। सई नदी में गांव डूब गये हैं। मछलीशहर के दक्षिणी क्षेत्र में जहां पर बादशाहपुर का एक ताल है, उसके करीब दो ढाई सौ गांवों की हालत बहुत खराब है। जिले में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी हालत शोचनीय न हो। हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री जी जिस दिन पहुंचे, उनकी ताकत और उनके भाषण से जिले की जनता ने यह आशा कर ली कि अब जौनपुर की जनता का उद्धार हो जायगा और हुआ भी और हो रहा है। इसके लिये कोई अपनी अलग राय नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं माल मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जितने प्राइमरी जूनियर स्कूल हैं, उनमें ८५ फीसदी या तो धराशायी हैं या उनकी छत बिलकुल टूट फूट गयी है। हायर सेकेन्डरी स्कूल जो किसी तहसील में हैं उनका आधा हिस्सा या दो चार कमरे उस जमीन के अन्दर दिखायी दे रहे हैं, जहां न बैठने का स्थान है न छात्रों के रहने का कोई ठिकाना रह गया है। मड़ियाहूं और किराकत तहसीलों में, मार्च के महीने में तीन सौ गांवों में ओला पड़ा और रबी की सारी फसल बरबाद हुई थी। वहां की जनता एक तरफ तो बाढ़ से और दूसरी तरफ ५ साल का सूखा और तीसरी तरफ ओला से अत्यन्त ग्रसित हो जाने के कारण क्रय-शक्ति और विक्रय-शक्ति से बिलकुल विहीन है। मैं माल मंत्री महोदय से अपील करता हूं और इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि जौनपुर जिले के प्रत्येक गांव के साथ यदि पूर्णरूप से सहानुभूति न हुई तो हमारी हालत बहुत खराब हो जायगी। वहां की जनता सरकार की तरफ उनकी सहायता को देख कर हर क्षण ध्यान लगाये बैठी है कि किसी तरह से हमारी सहायता हो। शहरों में सहायता पहुंच रही है, तहसीलों के किनारे जो गांव हैं उनमें भी सहायता के रूप में सरकार की तरफ से गल्ला बांटा जा रहा है लेकिन जहां २५ हजार रुपया अनाथों को मकान बनवाने के लिये दिया गया है वह बहुत नाकाफी है। जौनपुर जिले में कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जहां हरिजनों के मकान न गिर गये हों। आधे हरिजन तो ऐसे हैं जिनके मकान, चाहे वह जहां भी हों, गिर गये हैं। गोमती, सई और बरूना नदी के किनारे के सब मकान गिर गये हैं। तकावी का रुपया वहां दिया

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है लेकिन वहां गरीबों और हरिजनों को अधिक रुपया बिला किसी सूद के और कर्ज के मुफ्त में देना चाहिये।

चारे की वहां इतनी कमी है कि यदि १०० वैगन भूसा वहां भेजा जाय तो शायद पशुओं का किसी तरह निर्वाह हो सके। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कच्ची सड़कें हैं जिन पर किसी व्यक्ति के लिये सवारी लेकर जाना एक बड़ी दिक्कत की बात है। मैं माल मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वहां टेस्ट वर्क इस तरह का चालू करें कि कच्ची सड़कों पर यातायात चालू हो सके और उससे लोगों का जीवन निर्वाह हो। इसके अलावा मैं माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे जिले के बाढ़-पीड़ित किसानों का लगान मुल्तवी न करें बल्कि माफ कर दें नहीं तो वहां के किसानों की हालत बड़ी चिन्ताजनक हो जायगी।

†श्री अध्यक्ष --अब मैं ५ मिनट भाषण के लिये दूंगा।

श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)---अध्यक्ष महोदय, पानी और सैलाब के मुताल्लिक हम लोग बहुत अंधेरे में हैं। जब तक हमारी यह रहनुमाई न हो कि पानी कब बरसेगा। कितना बरसेगा और कहां बरसेगा तब तक खेती-बारी का काम और घर वगैरह का काम ठीक नहीं हो सकता है। सेंटर में यह सब जानने के लिये एक महकमा है। पंडित जवाहर लाल जी जब सुल्तानपुर आये थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो एक महकमा कायम किया है कि जो हमें बतला सके कि पानी कब, कहां और कितना बरसेगा। उन्होंने कहा कि इस महकमे ने जितना बतलाया वह सब गलत हुआ। तो ज्योतिषियों की बात गलत हुयी, इस मुहकमे की बात गलत हुयी और हम जनता को यह कह कर अपना दामन छुड़ा नहीं सकते कि खुदा को यही मंजूर है, परमेश्वर यही चाहता है। तो जब तक हम इस अंधेरे से बाहर न आयें और यह जान न सकें कि पानी कब बरसेगा, कहां बरसेगा और कितना बरसेगा तब तक हम अच्छी तरह खेती-बारी नहीं कर सकते और न सही घर द्वार बना सकते हैं। आज जो बारिश हो रही है उसका मुकाबिला हमारे गांव किसी तरह नहीं कर सकते और जो हमारी खेती-बारी का सिलसिला है उसमें हमें अगर ऐसा ही रहा तो तब्दीली करनी होगी इसलिये कि जैसे सोवा है या काकुन है यह बहुत थोड़ा पानी चाहती है। हमारे लिये सबसे जरूरी चीज यह है कि हम इसका पता लगायें कि पानी कहां बरसेगा और कितना बरसेगा और जब तक हम यह नहीं कर सकते तब तक हम अपना रहन-सहन और खेती-बारी ठीक तरह से नहीं कर सकते।

कुछ लोग यह कहते हैं कि अमरीका और रूस ने जो समुद्र में ऐटम का तजुर्बा किया है उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है। अगर यह सही है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर यह सदा के लिये होने वाला है तो उसके लिये हमको सचेत हो जाना चाहिये और अपने लिये आगाही लेनी चाहिये। तो इस वक्त जो घर गिरे हैं वे घर ऐसे थे कि जिनमें आदमी से ज्यादा कीड़े और बिच्छू रहा करते थे। तो इन घरों को अगर आप तकावी के जरिये से बनाना चाहते हैं तो वे आदमियों के रहने के लायक नहीं थे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तीन सीजन होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात और बरसात का ही सीजन वह है जो हमारे लिये मौसम बहार लाता है। लेकिन जब देहात में पानी बरसता है तो उन लोगों को इस बहार का कोई लुत्फ नहीं। आप गौर कीजिये कि वे घर गिर गये हैं और तकावी देकर आप वैसे ही घर बनायेंगे तो हर साल ऐसा ही होगा। पहले तो यह होना चाहिये कि कोई बस्ती नशेब में न बने, दूसरे यह कि कोई मकान कच्चा न बने, हर मकान पुख्ता बने इसलिये कि गरीबों को भी दुनियां में रहकर आशाइस और आराम का हक है और आप कहते भी हैं कि हम गरीबों का रहन-सहन ऊंचा करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिये जितने भी मकान वगैरह हैं उनकी प्लानिंग कीजिये और हर जगह पर पक्के मकान बनाइए ताकि उन मकानों में जो कीड़े और बिच्छू रहा करते थे और आदमी से ज्यादा इनकी आबादी होती है, वह मिटे। इससे फायदा होगा। एक तो यह कि हम प्रकृति

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नाजिम अली]

का मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे, दूसरे यह कि हम लोग अपनी मदद आप करना सीखेंगे। तो मुझे यह कहना था कि तीन कारण हैं एक तो यह कि हमको यह पता लगाना है कि पानी कब बरसे और कितना बरसे उस हिसाब से घर होने चाहिये, पुख्ता होने चाहिये, नशेब में मकान न बनें और जो मकान वगैरह हैं वे पुख्ता होने चाहिये, प्लानिंग होनी चाहिये और नक्शे से बनने चाहिये।

श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार के माल मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी को जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में उन्होंने सहायता की घोषणा की है उसके लिये बधाई देते हुए बनारस जिले का चित्र भी सदन के सामने रख देना जरूरी समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, बनारस जिला यों जैसे हमारे पड़ोसी जौनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों को बाढ़ का चित्र अखबारों में आया और जिन लोगों ने अपनी आंखों से उसे देखा उस रूप में। बनारस की नदियों का वैसे चित्र नहीं रहा। लेकिन इतना बता देना जरूरी समझता हूं कि बनारस से जौनपुर को बर्बाद करती हुयी गोमती नदी ने अपनी सहायक नदी सई के साथ बनारस में प्रवेश किया और उसकी शाखा नाद नदी का जहां तक फैलाव था उसका पानी फैल करके गांव में फैल गया। ऐसे ही बरना नदी की सहायक नदियां मोरवा और झोखा इन दोनों नदियों ने अपने पानी को इतना बाहर कर दिया कि उससे गांव की तमाम फसल और गांव के बहुत से मकानात को हानि पहुंची। चन्दौली तहसील में चन्द्रप्रभा और गड़ई नदियों ने एक उग्र रूप धारण करके उस हिस्से को भी बर्बाद किया, हालांकि गंगा नदी में बाढ़ का कोई असर नहीं रहा। लेकिन फिर भी बनारस जिले की जो स्थिति है उसका कुछ सरकार के सम्मुख वर्णन करते हुये बतला देना जरूरी समझता हूं कि बनारस जिले को पक्की सड़कों और रेलवे लाइनों के जरिये से उनमें कई बांध बने हुये हैं जिन बांधों से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह बांध जिस जमाने में बने हैं उस जमाने में वर्षा का अन्दाजा करके पुल और पुलियां बनी हैं। मैंने खुद एस०डी०ओ०, तहसीलदार और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और नहर विभाग के अधिकारियों के साथ कई क्षेत्रों का दौरा किया और वहां नाप करके पानी देखा गया कि जिस तरफ पानी का बहाव था उधर पानी तीन फुट नीचा और दूसरी तरफ तीन फुट ऊंचा रहा और उसका कारण यह था कि पानी के निकास के रास्ते ठीक नहीं हैं। यही कारण था कि बनारस जिले की इंच-इंच भूमि पानी से भर गयी थी। कोई भी फसल नहीं बची। मैंने एक छोटे से गांव में जाकर वहां सर्वे किया और सर्वे करने पर मालूम हुआ कि उस गांव का रकबा ७०० एकड़ का था, और आबादी ७००, लेकिन वहां केवल मक्के की फसल का दो हजार मन का नुकसान हुआ है जिसमें उनके लिये बीज का भी ठिकाना नहीं रहा। ऐसी ही हालत जिले भर की फसल की हुयी है। चारे के लिये त्राहि-त्राहि मची हुयी है और खाने के लिये भी क्योंकि, जो इधर सावां और मक्का होता जिससे कि लोगों की गुजर होती, उसमें एक छटांक भी होने की आशा नहीं है। सब किसान परेशान हैं और परेशान है सारे जिले की जनता। यह परेशानी दूर करने की आवश्यकता है। हालांकि चाहे बाढ़ आये न आये, लेकिन अधिक पानी बरसने से इतना नुकसान हो जाया करता है कि जितने ताल-तलैया वहां हैं सब बिलकुल पानी में डूब जाते हैं। केवल भदोही में दस ताल हैं और चन्दौली में रायल ताल और बनारस तहसील में मछहा और सेहदा ताल है इन तालों में इतना पानी भर गया कि वह सारे गांव में फैल गया और वह गांव डूब गये, उनकी फसलें बर्बाद हो गयीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जितनी दयनीय दशा नदी के किनारे के गांवों की रही वैसे ही शोचनीय दशा इन गांवों की भी हो गयी है। मैं यह मानता हूं कि नदियों के किनारे के गांवों के मकानात गिर गये और उनमें चीजों का नुकसान हुआ, लेकिन फसलों का नुकसान बनारस जिले के गांवों का उन गांवों से कम नहीं हुआ है।

†श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने दिनों के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया है,

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे थोड़ा सा ही कहना है, समय भी कम है। माननीय मंत्रीजी ने पहले दिन कहा था कि बाढ़के लिये किसान इच्छुक रहता है और चाहता है कि बाढ़ आये। मेरठ का किसान भले ही इच्छुक रहता हो और चाहता हो कि बाढ़ आये, लेकिन देवरिया का किसान कभी नहीं चाहता कि बाढ़ आये। चूंकि मेरठ बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर पानी की कमी है इसलिये वह चाहता होगा कि बाढ़ आ जाय लेकिन बदकिस्मती से हम देवरिया के रहने वाले कभी भी बाढ़ नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ थोड़े से मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव थोड़े पैसे से पूरे हो सकते हैं। एक तो कसली नाले पर जो पुल है उसमें फाटक लगा दिया जाय तो ५०० एकड़ जमीन बच सकती है। पिंडी में जो पुल बना हुआ है उसमें भी फाटक लगा दिया जाय तो उससे भी हजारों एकड़ जमीन बच सकती है। चुरिया और मायापुर के बीच में जो ताल है वह करीब २,००० एकड़ का ताल है, उसमें अगर फाटकदार पुल बनाया जाय तो २,००० एकड़ जमीन की खेती बच सकती है। उसी तरह से गढ़वा में फाटक लगवा दिया जाय तो उससे भी बहुत काफी भूमि बाढ़ से बचायी जा सकती है। परासी चकलाल में एक फाटक लगा दिया जाय तो आपकी कम से कम २,५०० एकड़ जमीन बाढ़ से बच सकती है। रावतपार घाट से लेकर चुरिया तक जो छोटी गंडक चली गयी है उसमें बांध ऊंचा कर दिया जाय तो १०,००० एकड़ जमीन बच सकती है। इस तरह से हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। साथ ही साथ नदौलीखी, चुरिया और भागलपुर गांव जो कट रहे हैं, उनके लिये जैसे बलिया को बचाने के लिये ठोकर बनाये गये हैं वैसे ही ठोकर बना दिये जायं तो यह हजारों की तादाद में जो लोग बाढ़ से ग्रस्त होते हैं और जो गांव के गांव कटते चले जा रहे हैं इन गांवों की रक्षा हो सकती है। सरकार जब कुछ सहायता करती है तो भिखमंगों की तरह से थोड़ा-सा चना, गुड़ और दियासलाई या नमक बांटा जाता है। यह हम नहीं चाहते। हमारे यहां आबादी बहुत घनी है। वहां १ वर्गमील में ११०० आदमी बसते हैं। हम चाहते हैं कि हम को काम दिया जाय। वहां के लोग काम चाहते हैं। वह आसाम के चाय के बगीचों में काम कर सकते हैं, कोलियरी में काम कर सकते हैं, दुनियां के कोने कोने में जाकर काम कर सकते हैं, यह सरकार जहां भी चाहे उनको काम दे, यह नहीं कि एक दिन के लिये काम दिया और १० दिन के लिये हटा दिया जाय। हमारे यहां टेस्ट वर्क्स पारसाल और और साल भी हुए। अगर इस साल भी काम देते हैं तो अब भी हजारों नहीं कई हजार की तादाद में लोग काम करने के लिये तैयार हैं। आजकल के जमाने में आठ आने, छः आने, पांच आने कोई बड़ी भारी मजदूरी नहीं है लेकिन फिर भी हर साल लोग काम करने के लिये आते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है और यह भी कहना है कि पूर्व के किसान कभी भी बाढ़ के इच्छुक नहीं हैं, पश्चिम के किसान भले ही इच्छुक हों कि बाढ़ आये।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में कल से जो यहां पर लोगों के विचार प्रकट हो रहे हैं और विशेष कर माननीय मंत्री जी के, उनको मैंने बड़े गौर से सुना। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जो भाषण है उसे भी मैंने पढ़ा। उसमें दो तीन सुझाव देना है, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले तो आपने कहा कि विद्यार्थी जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी फीस ५ महीने तक की, यानी दिसम्बर तक माफ कर दी जाय, तो मेरा कहना है कि मार्च तक माफ कर दी जाय। क्योंकि मार्च के पहले फसल नहीं आती, इसलिये किसानों के बच्चों के लिये ५ महीने के बजाय ८ महीने के कर दिया जाय और मार्च के महीने में जो करना हो मंत्री जी कर दें।

दूसरी बात राशन वगैरा के सम्बन्ध में है। कहा गया है कि सवा तीन सेर का गेहूं और साढ़े पांच सेर का बाजरा उन क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, दिया जायेगा। तो सवा तीन सेर का तो भाव है ही गेहूं का तो पहला काम यह है कि उनको खरीदने की ताकत दी जाय और दूसरा यह है कि जैसे पिछले सालों में बाढ़ आयी, क्राइसिस आये तो वहां कुछ अधिक दर पर गल्ला दिया गया, वैसा ही अब भी किया जाय।

[श्री रामेश्वर लाल]

मुझे दुख यह सुनकर हुआ कि बाढ़ आने से हर साल लोगों को बड़ा लाभ होता है। पारसाल भी मंत्री जी ने कहा था कि बाढ़ से बड़ा लाभ होता है, चूहे मर जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह उपदेश इस अवसर पर, जबकि हम तबाह और बरबाद हैं, अच्छा नहीं मालूम होता और जब यह बात सम्मानित मंत्री द्वारा सुनता हूं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बाढ़ से हमारे पूर्वी यू० पी० में लाभ नहीं होता, बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि उधर कुछ नदियां ऐसी हैं कि उनके द्वारा जब बाढ़ का पानी आता है तो खेतों में रेत आ जाता है, वे नदियां रेत देती हैं। जिन खेतों में वह रेत पड़ जाती है वहां खेत की पैदावार कम होने लगती है और वह खेत ऊसर हो जाता है। कल देवरिया के सम्मानित वयोवृद्ध नेता बहुत कुछ बता गये हैं। उन्होंने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। यह निवेदन करना चाहूंगा कि भाषण में बतलाया गया कि तीन हजार गांवों में से ७०० गांवों को क्षति पहुंची। लेकिन साढ़े तीन हजार गांव हमारे जिले में हैं और उसमें से १२०० गांव प्रभावित हैं। इसके साथ ही साथ तीन लाख नहीं बल्कि पांच लाख एकड़ जमीन बरबाद हो गयी और दो लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो ज्यादा पानी के कारण मक्का, कोदों और अरहर की फसल गंवाये पड़ी है।

दो नदियों के नाम हमारे साथियों ने लिये, बड़ी गंडक और घाघरा लेकिन बड़ी गंडक से एक नदी देवरिया हो कर घाघरा में जाती है जोकि छोटी गंडक है, उसको हम छोटी नारायणी भी कहने लगे हैं। उसने बड़ा उपद्रव किया है। वैज्ञानिकों की राय है कि नारायणी की टेंडेंसी है कि वह छोटी गंडक से देवरिया के बीच में होकर घाघरा में जाय। अगर बड़ी गंडक ने रुख बदल कर छोटी गंडक का रास्ता लिया तो देवरिया तबाह हो जायगा। तो मेरा सुझाव है कि छोटी गंडक को ७–८ जगह बांध दिया जाय, या उसके मुहाने पर ही बांध दिया जाय जैसाकि जब श्री कमलापति जी देवरिया गये थे तो उनको बतलाया गया था कि सरकार यह काम अविलम्ब करे।

इसके अतिरिक्त छोटी गंडक से निकल कर बहुत से ऐसे छोटे-छोटे नाले हैं जो कई सौ गांवों को बरबाद करते हैं। उन पर पुल बनाकर रास्ते में जो ये गांव, मधुवापुर, बेलवनिया, बैकुन्ठपुर, मुंडेरा, भिखनपुरा पड़ते हैं, उन पर उन्हें रोक दिया जाय।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो गांवों को जमीन बट रही है तो बहुत से गांवों को जमीन मिलना मुश्किल है। उन गांव समाजों को यह अधिकार दिया जाय कि वह अपना गांव बसाने के लिये जमीन अलाट कर सकें, जैसा कि म्युनिसिपैलिटी में होता है।

† **श्री जगन्नाथ बख्श दास** (जिला बाराबंकी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की बाढ़ का जिक्र इस सदन में दो दिन से हो रहा है उस प्रकार की बाढ़ की समस्या हमारे जिले में नहीं है बल्कि अतिवृष्टि के कारण जो क्षति हुयी है जिसका कि बाराबंकी जिला वासियों को इससे पहले अनुभव नहीं था उस क्षति के कारण करीब ८० फीसदी मकान गिर गये हैं। और ऐसी क्षति के बारे में फारसी में एक शेर है "मर्गे अंबोह जश्ने दारद।" उसमें कोई विशेष दुःख इस प्रकार का मनुष्य अनुभव नहीं करता कि केवल एक व्यक्ति की क्षति हुयी है लेकिन दुःख इस बात का है कि उस क्षति को दूर करने के लिये जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हम को है वह हमें जल्दी नहीं मिल रही है। मुसीबत का सामना जब हर एक आदमी को करना पड़ता है तो मुसीबत जश्न हो जाती है, लेकिन अगर उस मुसीबत को दूर करने के लिये सरकारी या गैरसरकारी सहायता हमको नहीं मिलती है उस समय हमारा क्लेश बहुत बढ़ जाता है। हमको इस समय सहायता की आवश्यकता है। वह सहायता किस प्रकार की हो, जैसा कि कल गेंदा सिंह जी ने कहा था कि इतनी सहायता केवल सरकार द्वारा प्राप्त हो यह सम्भव नहीं है। बाराबंकी की सब जनता दुखी है। करीब ८० फीसदी मकान गिर गये हैं। उनसे इस समय

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहायता की आशा करना कठिन है। यह सरकार के सामने बहुत गम्भीर प्रश्न है जो शायद बाराबंकी जिले तक ही सीमित रह गया है। मकान गिरने का मुख्य कारण वाटर लागिंग है मकान बने, सड़कें बनीं, नई रेलवे लाइन निकली, उस समय कोई विचार नहीं किया गया कि पानी कहां से निकलेगा। नतीजा यह हुआ कि आसपास के तमाम गांव जलमग्न हो गये और आपको आश्चर्य होगा कि जिन कुओं में २५ फीट पर पानी था उनमें अब हाथ से पानी भरते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कच्चे मकानों की नीवें बिल्कुल दहल गयीं और ऊपर से वर्षा के कारण तुरन्त धराशायी हो गये। इसके साथ ही साथ जानवरों का चारा बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गया। मनुष्यों के खाने के लिये तो अनाज नष्ट हो ही गया लेकिन जानवरों का चारा भी बर्बाद हो गया इस ओर भी हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं।

हमारे एक साथी ने अभी जौनपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों का जिक्र किया। हमारे यहां भी यही हालत है। कुछ पक्के स्कूल तो शायद बचे हैं लेकिन ८० फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ाई करीब-करीब बन्द सी है। और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां स्कूल लग सके। अड़ोस-पड़ोस रेफ्यूजीज की तरह आदमी रह रहे हैं। जो स्कूल बाकी बचे हैं उनके अन्दर भी गांव वाले आबाद हैं, उनको बाहर नहीं किया जा सकता। शिक्षा को काफी क्षति हो रही है। उनकी मरम्मत का सवाल तो उठता नहीं है, उनका पुर्ननिर्माण करना पड़ेगा।

अन्त में तकावी की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो रकम बतायी गयी है वह बहुत नाकाफी है। इसमें न कोई मकान बन सकता है और न कोई इसको लेना पसन्द करेगा। केवल ५० या ढाई सौ की रकम में शायद एक छप्पर रख दिया जाय। तो ऐसी हालत में अगर तकावी की रकम बढ़ा कर ५०० रुपये और बिला सूद नहीं की जाती तो कोई रेलीफ मिलता नहीं है। इसमें यह हो सकता है कि लोग रकम लेकर दूसरे कामों में लगायें लेकिन इससे कम में काम भी नहीं चल सकता। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह तकावी की रकम को बढ़ावे और बिला सूद के करे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात से कि माननीय मंत्री ने जो आश्वासन परसों दिया था कि उन जिलों को जिनमें बाढ़ से विशेष क्षति हुई है कई प्रकार की सहायता दी जावेगी। माननीय मंत्री महोदय को मैं आप के द्वारा अपने जिले की परिस्थिति से कुछ जानकारी कराना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं। मेरे जिले में २३ नदियां बहती हैं जिनमें दो बड़ी-बड़ी हैं घाघरा और टोंस, जिले में टोंस नदी बीचों बीच से बहती है जो जिले में करीब १५० मील की यात्रा करती है। पुल पर तहसील के कसबा अहरोला से प्रारम्भ होकर जसीहपुर तक जो घोसी तहसील का एक गांव है यह नदी टोंस जाती है। इसका उद्गम स्थान फैजाबाद जिले में है जहां हमारे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि वहां भी बहुत नुकसान हुआ। उस तरफ इन दिनों में गत वर्ष जहां ९ इंच पानी बरसता था वहां इस साल ५० इंच पानी बरसा। इसी प्रकार से हमारे जिले में गत वर्ष जिन नदियों में ९ इंच पानी बरसता था वहां इस साल २८ इंच से ज्यादा पानी बरसा है। इस का नतीजा यह हुआ है कि सारी की सारी नदियों में एक दम से बाढ़ आ गई। छोटी-छोटी नदियों में भी जिनके बारे में महात्मा तुलसी दास जी ने कहा है "क्षुद्र नदी भरि चलि इतराई जस थोड़े धन खल बौरई"। वही हालत इस वर्ष हो गई।

हमारे यहां बड़े-बड़े ताल हैं उन सब में भी वाटर लोगिंग की वजह से बाढ़ आ गई है। हमारे जिले में यदि कोई जाय और देखे तो मालूम होगा कि वहां क्या दशा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई हिस्सा नहीं जो इस समय कष्ट में न हो। इस जिले की अपार क्षति हुई है। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही दिखाई देगा कि गांव के गांव ध्वस्त हो गये हैं। टोंस नदी के एरिया में जितने

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

गांव आते हैं वहां के सारे के सारे मकान ध्वस्त हो गये हैं। हरिजनों की विशेष क्षति हुई है। उनके एक-एक गांव में चौंतीस-चौंतीस, छत्तीस छत्तीस घर रहे हैं और वह सब के सब गिर गये हैं। १९५३ की बाढ़ में जो मकान गिर गये थे और जो ५४ में बने वह फिर ५५ की बाढ़ में गिर गये हैं। इससे उनकी तबाही का ठिकाना नहीं है। मैं आप के द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो क्षति हुई है उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हमारी जितनी सड़कें हैं, स्कूल हैं, पुल हैं, वह कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया है। उनकी दशा हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी देखा होगा। अभी कल माननीय पंत जी भी आये थे उन्होंने भी देखा है कि मऊ में टोंस नदी पर जो पुल रहा है वह समाप्त हो गया है बह गया है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे जिले की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो आज बोलने का अवसर दिया गया है उस के लिये मैं आप का बहुत ही आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो ५५ लाख रुपया बाढ़ पीडितों के लिये दिया है उस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में इस बाढ़ के मौके पर नाव की बहुत भारी कमी थी। इतनी कमी थी कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल था बल्कि नावों की कमी के कारण दूसरे जिले से नाव मंगानी पड़ी और देवरिया जिले से ५ नाव मंगाई गईं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम गोरखपुर जिले के लिये २५०/३०० नावें बनवा दी जायं।

अध्यक्ष महोदय, गांवों की कटाई का जो कार्य शुरू किया गया है उस से गांव वाले खुश हैं क्योंकि जब गांव में बाढ़ आ जाती थी तो लोगों के घरों में पानी घुस जाया करता था। लेकिन गांवों को ऊंचा करने की वजह से गांवों में पानी नहीं रहा। लेकिन कहीं-कहीं बाढ़ वालों ने गड़बड़ी कर दी है और मिट्टी को इतना ऊंचा पाट दिया है कि गांव वालों के घर नीचे चले गये हैं और पानी के घुस जाने से बहुत से घर बरबाद हो गये हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव ऊंचे किये जा रहे हैं वह जुलाई वगैरह में भी ऊंचे किये गये हैं और इस में बाढ़ डिपार्टमेंट वालों में और ठेकेदारों में काफी धांधली हुई है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब गांव पाटे जांय तो जून के महीने में ही उस काम को खत्म कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिले में मेरे क्षेत्र के अन्दर ७५ वर्ष से बहुत पुराना बांध जो एक अंग्रेज जमीदार ने अपने इलाके को बचाने के लिये बनाया था कोयला डाम वह अब एक साल से टूट गया है। उस डाम का नाम कोयला डाम था जो करीब ३, ४ मील के घेरे में था। उस बांध के लिये मैंने पारसाल प्लानिंग डिपार्टमेंट और जिले के अधिकारियों से इस बात की सिफारिश की कि यह बांध बना दिया जाय नहीं तो पचासों गांव इस बांध से बरबाद हो जायंगे लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। बारबार आश्वासन दिया गया कि इस साल बांध बना दिया जायगा और वहां इंजीनियर भी गये उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जायगा लेकिन वह आज तक नहीं बन सका और उस से बहुत हानि इस इलाके की हो रही है।

उस के बाद एक दूसरा डाम जिनका नाम बन्दैया डैम है और जो फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के हाथ में है उसकी भी पिछले साल मरम्मत की गई। वह भी टूट गया। उस में भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। गोरखपुर जिले की एक तिहाई जमीन इस वक्त भी पानी में डूबी हुई है। वहां पर करीब २२।। लाख आदमी बसते हैं उसमें से ५।। लाख आदमी बाढ़ ग्रस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले गोरखपुर में १३ नदियां बहती हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं। राप्ती, घोंघी, कूडा, बुढ़ी राप्ती, घाघरा, छोटी गंडक, बड़ी गंडक, प्यास, महान, तरैनी, कुवानों, गंगरी, आमी यह १३ नदियां बहती हैं।

मने पार साल भी सरकार को एक सुझाव दिया था और सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत अगर एक बांध बांध दिया जाय तो उस बांध के बंधने से वहां किसानों की फसल बाढ़ से बच सकती है लेकिन बार-बार कहने पर भी मेरे क्षेत्र के अन्दर आज तक वह बांध नहीं बनाया गया है। बार-बार वहां पर इंजीनियर भी गये और पिछले साल मैं कृपा शंकर जी सभासचिव को भी वहां पर ले गया था कि वे स्वयं उस को देखें और उन्होंने उसको देखा था और उन्होंने मुझे आश्व सन दिया था कि वहां बांध बनाने की कोशिश की जायगी। लेकिन आज तक बांध वहां नहीं बना। मेरे क्षेत्र के किसानों को उस बांध के न बनने की वजह से बहुत दुख है और उनकी हानि होती है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्रों की तरफ से जो परसों से तकरीर हुई है उन को मैं बहुत गौर से सुनता रहा हूं। जो कुछ बातें कही गयी हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद मैंने अपने आशय को परसों बतलाया उस को अच्छी प्रकार से नहीं समझा सका, इसलिये मेम्बरान को कहनी पड़ीं। अगर मैं अपने मतलब को अच्छी तरह से उसी रोज जाहिर कर सका होता तो शायद कुछ दोस्तों को तकलीफ न करनी होती। मसलन् माननीय गेंदा सिंह जी ने, जिनका मैंने उस रोज भी स्वागत किया था और आज भी स्वागत करता हूं बहैसियत बिरोधी दल के नेता के एक बात कही। वह यह कि माल मंत्री ने यह कहा है कि किसानों की गलती की वजह से बाढ़ आती है। माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से इस तरह का आक्षेप लगाना मैं कुछ बहुत उचित नहीं समझता। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि बाढ़ का एक मात्र कारण, जिसका मनुष्य के पास आज तक कोई इलाज नहीं है, वर्षा का अधिक होना है और कब कितनी वर्षा होगी इसका भी केवल अनुमान ही लगाया जाता है इसका ज्ञान अभी तक मनुष्य को नहीं है। उस दिन ३-४ उप-कारण या सहायक कारण मैंने बयान किये थे और कहा था कि किसानों का ग़लत तरीके से खेती करना भी बाढ़ के आने में सहायक होता है। इस समय तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन इसका ज़िक्र पहले भी आ चुका है। मुख्तसर तौर पर मैं उन बातों को दुहरा देना चाहता हूं। तीन चार गलतियां हैं जो अक्सर किसान करता है और उनकी वजह से बाढ़ आने में सहायता मिलती है। (१) ढलाव के समानान्तर खेती करना। इससे पानी को रुकावट नहीं होती और पानी तेजी से बहता है। जमीन के अन्दर नहीं समाता और सारा नदियों के अन्दर चला जाता है। दूसरा कारण है कि जहां पर नदियों का पानी होता है उससे ठीक दो गज के फासले से ही खेती करना, जब कि इतने नजदीक खेती नहीं होनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि बरसात के दिनों में खेतों का खाली रखना। चौमासे में करीब ८० लाख एकड़ के ज़मीन खाली पड़ी रहती है। इससे होता यह है कि उस जमीन में पानी थमता नहीं है और उस को काट कर नदियों में बहा ले जाता है और पानी भी उस जमीन में नहीं समाता है। डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर की ओर से इस बात का करीब डेढ़ साल तक प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने भी कई जगह अपनी स्पीचेज में कहा और अब भी कहता हूं कि किसानों को चौमासे के दिनों में खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिये। अगर किसान ऐसा करेंगे तो इससे उनका भी लाभ होगा और जमीन का कटाव भी रुक जायगा। कुछ इस प्रकार के भी खाद हैं जिसमें बजाय बहने के पानी ज्यादा जज्ब होगा। कुछ इस प्रकार की क्राप्स भी हैं जिसके रोटेशन में करने से वे ज्यादा पानी सोखती हैं बनिस्बत दूसरी फसलों के। जब सोइल कंजरवेशन (Soil Conservation) बिल पर विचार हो रहा था उस वक्त इसका तफसील के साथ ज़िक्र किया गया था। उस तफसील में जो आज मैं जाना नहीं चाहता। इन बातों को देखते हुए इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूं कि ऐसी बात कह कर माननीय गेंदा सिंह जी ने मेरे साथ अन्याय किया।

दूसरी बात यह कही गयी कि मैंने यह कहा कि बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आयी। श्रीमन्, मेरी तकरीर की ओरीजिनल कापी अभी असेम्बली के आफिस में होगी। मैंने अभी उसको देखा नहीं है, और न उसमें संशोधन किया है, वैसे कभी करता भी नहीं हूं। उसमें

[श्री चरणसिंह]

देखा जा सकता है कि मैंने क्या कहा था और क्या मैंने यह कहा था कि बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आयी जिस पर मेरे दोस्तों ने मुझे उलाहना दिया। मैंने यह कहा था कि बड़ी नदियों में बाढ़ आयी लेकिन इतनी बाढ़ आई जो कि विशेष चिन्ता का विषय नहीं थी। जितनी बाढ़ बड़ी नदियों में आयी अगर उतनी ही बाढ़ आती तो कोई असाधारण नुकसान न होता और उससे ऐसी चिन्ता भी न होती कि दो दिन का समय उस पर बहस के लिये दिया जाता। मैं जानना चाहूंगा कि मेरे उस बयान में क्या था? बेशक घाघरा और राप्ती में बाढ़ आयी, छोटी गंडक में बाढ़ आयी लेकिन बड़ी गंडक में बाढ़ नहीं आयी। गंगा, जमुना और रामगंगा में बाढ़ नहीं आयी। जो दो बड़ी नदियों में बाढ़ आयी और जितनी आयी उससे बड़ी चिन्ता का विषय न होता। बस्ती में राप्ती से बाढ़ आयी लेकिन जितना नुक्सान बस्ती में लोकल रेनफान से हुआ उतना राप्ती की बाढ़ से नहीं हुआ।

श्री गेंदासिंह--(जिला देवरिया) पिछली साल से ज्यादा बाढ़ बड़ी गंडक में आयी।

श्री चरणसिंह--आयी होगी। पिछले साल चितौनी बांध के बन जाने से उसमें बाढ़ की कमी रही।

दूसरी बात यह कही गई कि चना गुड़ देने से इमदाद नहीं होगी। जिस तरह की इमदाद का वह जिक्र करते हैं बेशक नहीं होगी, वह परमानेंट रिलीफ नहीं है लेकिन यहां किसी पर जब मुसीबत हो, उस का गल्ला बह गया हो बरबाद हो गया हो और उनके पास खाने को न हो तो, श्रीमन्, चना और गुड़ से उस आदमी का तन और आत्मा एक जगह इकट्ठा रह सकती है। केवल यही मंशा इसका होता है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, चूंकि वक्त बहुत कम रहेगा, इसलिये मैं बहुत जल्दी-जल्दी कहना चाहता हूं।

एक बात माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने यह कही कि माल मंत्री रेमिशन आफ लैंड रेवेन्यू को किसानों के लिये मुजिर समझते हैं। मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने लफ्ज रेमिशन कहा। मैंने यह कहा था कि अगर फसल ज्यादा बरबाद होगी तो रेमिशन होगा। क्योंकि अभी तो लगान व मालगुजारी की वसूलयाबी का सवाल ही नहीं उठता। हां, पिछली फसल का जिनके ऊपर बकाया है जब कि इस को सभी मानते हैं कि पिछले साल फसल अच्छी रही सन् १३६२ फसली में और जिसे मई, जून, जुलाई, तक बेबाक हो जाना चाहिये था, अगर वह नहीं दी गयी होगी तो उस की वसूलयाबी बन्द नहीं होगी। लेकिन मुकामी परिस्थिति को देख कर कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर है कि अगर वह चाहे तो हमारे ऐप्रूवल से उसे बन्द कर दे। मालगुजारी व लगान के लिये यह कहना कि उस को मुल्तवी कर दिया जाय, या माफी दे दी जाय, यह चीज इतनी आसान नहीं है और यह कोई बहुत जनहित में नहीं है। श्रीमन्, ऐसे मौके पर बड़ी अनईविन पोजीशन हो जाती है और यह एक ऐसी स्थिति होती है जब कि बड़ी आसानी से यह इल्जाम लगाया जाता है कि जैसे मैं पाषाण हृदय हूं, संगदिल हूं और लोगों की तकलीफों के लिये गरीबों की तकलीफों के लिये मेरे दिल में नरमी नहीं है। ऐसे तो मैं दावा तो नहीं करता लेकिन किसी भी माननीय मित्र के दिल में गरीबों और किसानों की तकलीफों के लिये जितनी गरमी या नरमी हो सकती है मेरे दिल में भी उस के लिये किसी से कम गरमी या नरमी नहीं है। यह मुसीबत है और मुसीबत का मुकाबला करना होगा। रोने से मुकाबला करने से कोई लाभ नहीं होगा और चारों तरफ हाय-हाय करने से कि यह माफ हो जाय वह माफ हो जाय इससे कुछ नहीं होगा। उस के दूसरे भी पहलू हैं कि आखिर कहां से रुपया आवे, यह भी सोचना है। लोग मुसीबत में रहे हैं सदियों से, हम नहीं चाहते हैं कि आगे भी लोग मुसीबत में रहें लेकिन इकट्ठा एक दम से सभी सुधार भी नहीं हो सकता। उसमें देर लगेगी, बहुत देर लगेगी और उस के लिये कमर कसना होगा। जो डिक्टेटोरियल मुल्क हैं जैसे रूस ने १/५ धन एक दम से लेकर कृषि की तरक्की के लिये अपने यहां लगा दिया और इससे उनकी जो

तरक्की हुई है वह हमारे सामने है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहां जनतांत्रिक प्रणाली है। हम यह नहीं कहते कि किसानों की तरक्की के लिये कुछ न किया जाय लेकिन फिर भी इस सिलसिले में जो भी काम होगा उसके लिये पैसा चाहिये और उसके लिये जो पैसा होगा वह इन कंगालों की जेब से ही आयेगा।

एक बात श्री राजनारायण जी ने कही कि साहब एक एक्सपर्ट्स कमेटी बिठा दी जाय जो इस बात की जांच करे कि बांध क्यों टूटे। श्रीमन्, एक्सपर्ट्स कमेटी के सम्बन्ध में चार रोज हुए गवर्नमेंट की तरफ से एलान हो चुका है। परसों भी मैंने फिर इसका जिक्र किया लेकिन उसका फिर उन्होंने जिक्र किया। जो कुछ उन्होंने कहा उससे मुझे कोई निराशा नहीं है, मैं तो आशा ही करता था कि वे कुछ न कुछ बात कहें। क्योंकि वह इससे जाहिर होता है जो श्री उमाशंकर जी ने अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पेश करते हुये कहा था। उसके शब्द ये हैं --"यह सदन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भयंकर बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" श्रीमन्, बहुत मुनासिब अल्फाज हैं, ये होने चाहिये और इससे बेहतर अल्फाज नहीं हो सकते। लेकिन श्री राज नारायण जी ने जो उस रोज अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उस को भी मैं आप की इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। "प्रान्त में करीब २० जिलों में बाढ़ से भयंकर परिस्थिति उपस्थित है और उस परिस्थिति का सामना करने में सरकार की जो उदासीनता है उस पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।" खैर, फिर भी आप ने मेहरबानी की कि केवल उदासीनता ही कहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से उदासीनता नहीं की गयी बल्कि जो सुझाव दिये गये थे उनके बारे में एलान पहले ही हो चुका है। यही नहीं मैंने यह भी कहा था कि ऐक्सपर्ट कमेटी के बैठाने के अलावा साथ ही पी० डब्ल्यू० डी०, इर्रीगेशन और रेलवे की तरफ से सर्वे कराने के अहकाम जारी हुए हैं और मौके पर बड़े बड़े अफसरान सर्वे कर भी रहे हैं और मुझे मालूम हुआ है कि जो सड़कें कट गयी थीं या पानी निकालने के लिये काटी गयी थीं उनका इस्तेमाल फिर जारी हो गया है और वह खुल गयी हैं और पी० डब्लू० डी० की तरफ से स्पेशल स्टाफ डिप्यूट हो गया है और अहकाम जारी कर दिये गये हैं कि जितनी जगह सड़कें कट गयी हैं बाढ़ से कटी हैं या किसानों ने काटी है उन सब जगह कलवर्ट बना दिये जायं, इस तरह के आर्डर्स जारी हो चुके हैं।

एक बात यह कही गयी कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मिलना चाहिये। यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूं लेकिन वह धीरे-धीरे मिलेगा। एक नहीं, लाखों आदमी बेरोजगार हो गये हैं बेघर बार हैं लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि अभी बरसात चल रही है और टेस्ट वर्क वगैरह चालू नहीं किये जा सकते। इसके अलावा एक दम से तो कोई काम शुरू नहीं हो सकता, हर चीज के आर्गेनाइजेशन में समय लगता है। इसलिये इस विषय में कोई उदासीनता नहीं है। रेमिशन आफ फीस का भी एलान हो चुका है और ९ अगस्त को यह आर्डर हो चुका है कि--

"The Governor has been pleased to order that such students whose guardians are really very poor and cannot afford to pay their school fees, should be exempted from payment of fees in all secondary and district board schools in the aforesaid districts for the period from August to December, 55."

मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या किया जाय? इन तमाम जिलों के जो प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल हैं या सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उनमें गरीबों के लड़कों की अगस्त से दिसम्बर तक फीस माफ कर दी गयी है और इस तरह के आर्डर जारी कर दिये गये हैं।

कुछ लोगों ने कहा कि यह जो २ लाख २० हजार रुपया मकानों के लिये अनुदान के तौर पर मंजूर किया गया है वह बहुत कम है, यह तो हम खुद तसलीम करते हैं वह बहुत कम है। साढ़े तीन लाख मकान या तो धराशायी हुए या उन को नुकसान पहुंचा। हमारे एक दोस्त

[श्री चरणसिंह]

ने १२ आना फी मकान का हिसाब बताया, वह ठीक भी है, मैं समझता हूं कि वह हिसाब हम भी लगा सकते थे, वह १२ आना से भी कम आता है। लेकिन मैंने जैसा कि अर्ज किया कि यह रुपया तो हमने बिना कलेक्टरों के कहे ही दिया है और २५ हजार फी जिला फिलहाल दिया है और जैसे-जैसे मांग आयेगी और भी दिया जायगा। दूसरी बात यह है कि सितम्बर सन् ५३ में एक आर्डर जारी हुआ था कि बहिया में यह सबसीडी दी जायगी और जैसा कि मेरे सहयोगी श्री चतुभुज शर्मा ने बताया कि जिस को भी अनुदान दिया जायगा वह २५ रुपये तक होगा और उस हद तक दिया जा सकता है केवल ११ आना ही नहीं। अनुदान की मद गरीब आदमियों के लिये है जो कच्ची दीवार खुद बना सकते हैं। उनके लिये नहीं है जो मजदूर रख कर बनवाते और उन को छप्पर वल्ली वगैरा के लिये २५ रुपया काफी हैं। साढ़े ३ लाख में से सब ही को वह नहीं दी जायगी और न सब उस के मुस्तहक हो सकते हैं और न वह सब को देना है जैसा कि मैंने कहा कि हम कलक्टरों की तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी रिटैन मांग आये और उन से टेलीफोन पर भी कहा है कि वह जल्द अपनी मांग असेस कर के भेजें। ५,१० या २० लाख तो गवनमेंट एक दम से नहीं दे सकती थी, सदन ही इतने धन की इजाजत नहीं देता, इतना रुपया हमारे पास नहीं है लेकिन जहां तक सम्भव होगा उतने के लिये हम कोशिश करेंगे और यह २ लाख २० हजार बिना मांगे ही दिया गया है, यह बढ़कर चौगुना पचगुना भी हो सकता है और कम या अधिक भी हो सकता है।

एक बात यह कही गयी कि नावों की बहुत कमी रही, मैं भी मानता हूं कि कमी रही लेकिन अब की बार इतनी बाढ़ आयी कि अगर ५,००० नावें भी होतीं तो इसके लिये नाकाफी होती। मामूली बाढ़ों में बाढ़ नहीं, तो पांच हजार नावें गवर्नमेंट की तरफ से इस आशंका से कि न मालूम फिर ८०,८५ वर्षों के बाद बाढ़ वैसी आ जाय गांवों में रख दी जायें तो क्या होगा दो चार वर्ष में लोग उनका कोयला बनाकर हुक्का पी जायं, कौन मेनटेन करेगा और कहां रखी जायंगी। एक दोस्त जैसा तसलीम कर रहे थे कि अगर मुसीबत के वक्त नावें नजदीक भी हों तो भी नहीं पहुंचायी जा सकतीं। नाव के लायक पानी जब भर जायगा तब नावें उठेंगी और इसीलिये नावों के लिये वही पुरानी पालिसी और सही पालिसी है वह कि नावें किरायें पर ली जायं और इसलिये सन् १९४८ में तय यह किया गया था कि रिक्वीजीशन कर ली जायं यानी कानून के बल पर नावें मुहइया कर ली जायं। आज भी इसी तरह से रिक्वीजीशन्ड नावों पर भरोसा करना होगा। फिर भी १० मोटर बोट्स देने का हमने निश्चय किया था लेकिन वह इसलिये नहीं देसके क्योंकि ऐसा करना हमारी शक्ति के बाहर था वह मैंने अर्ज कर दिया था

अब यह कहा गया कि तकावी विदाउट इंटरेस्ट दी जाय। अभी जगन्नाथ सिंह जी कह रहे थे कि तकावी विदाउट इंटेरेस्ट दी जाय। मेरा कसूर है कि मैं आपको समझा नहीं सका कि तकावी विदाउट इंटरेस्ट दी जायगी।

फिर एक बात और कही गयी कि लोगों को जमीनें दी जायं मकान बनाने के लिये और जोतने के लिये। कहां है वह जमीन। जितनी जमीन हो सकती है गांवों में गांव समाज की, गवर्नमेंट की और प्राइवेट आदमियों की ऐक्वायर की जा सकती है सारा एरिया कितना है। लेकिन अभी एक सज्जन जो देवरिया से बोले हैं, कहां है देवरिया में जमीन बसाने के लिये, कौन-सी जमीन है। हमें तकलीफ होती है जब किसान जो खेती करते हैं उनकी जमीन लेने में मकान बनाने के लिये। तो इतने साधन सीमित हैं, इतनी इस प्रदेश की गरीबी है और इतनी बड़ी विपत्ति है तो श्रीमन् जो बात कही जाय उसको पहले तोल तो लेना चाहिये कि कितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं या नहीं। एक आजमगढ़ के साहब ने कहा कि मालमंत्री ने कहा कि बाढ़ से फायदा भी होता है। मैंने कहा बाज मुकाम पर, बाजवक्त बाढ़ से फायदा भी होता है। हमेशा, हर जगह, हरसाल और हर गांव में फायदा नहीं होता। मेरी तकरीर मौजूद है और मैंने जो कहा था उस पर इस समय भी इनसिस्ट करता हूं। इस सिलसिले में

जो नुक्ताचीनी मेरी जहालत की मेरी नाकाबिलियत की बयान की जाती है उसके लिये मुझे कोई अफसोस नहीं है। चार साहबों ने मेरे जिले को याद किया है, तीन साहब देवरिया के और एक साहब आजमगढ़ के हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने होशियारी के साथ, जैसी उनसे आशा करनी चाहिये, और तीन साहबों ने साफ-साफ कि माननीय मंत्री जी जो नतीजा निकालते हैं उससे यह मालूम होता है कि किसानों की तकलीफ का अहसास नहीं है क्योंकि बदकिस्मती से मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां अकसर बाढ़ नहीं आती।

श्री गेंदासिंह—मैं बिलकुल इन्कार करता हूं। मैंने यह बात नहीं कही है।

श्री चरणसिंह—मैं इसका अधिक जवाब नहीं देना चाहता लेकिन जब अभी हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां आये थे उनका भाषण किसी अखबार में देख लीजिये यहां प्रेस के दोस्त बैठे हुये हैं, उन्होंने यह कहा था कि जाहिर है कि बाढ़ से कभी-कभी फायदा भी होता है। तो श्रीमन्, वह इत्तिफाक से इलाहाबाद से आते हैं जहां बाढ़ आ जाती है।

श्रीमन्, एक बात गेंदा सिंह जी ने यह कही कि जल्द से पक जानेवाली फसल मई-अप्रैल में बोयी जाया करे और पानी का इंतजाम हो जाया करे। अब पानी का जो कुछ इंतजाम हो सकता है वह सब पर जाहिर है। तीस-चालिस लाख एकड़ रकबे पर हो चुका है। और ३६ लाख एकड़ के लिये अगले वर्ष में इंतजाम है। लेकिन आसान काम नहीं है। फिर जहां बाढ़ आ गयी तो यह ट्यूबवेल को बन्द करके बैठ जायेंगे और कहीं नहर खुल गयी तो कहेंगे कि नहर बन्द करो। मैं यह जरूर चाहता हूं कि फास्ट ग्रोइंग क्राप्स गर्मी के जमाने में बोई जायं। यह मुझे तसलीम है। अगर कोई फसल गेंदा सिंह जी या विशेषज्ञ बतला सकें जो मई-जून में पक जाय, अगर बिना पानी के पक जाया करे तो बहुत अच्छा है, तो मैं उनका मशकूर हूंगा। पानी का मुहइया करना ही फैक्टर है तो जितने पानी का इंतजाम गवर्नमेंट ने किया है उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। कुछ कुवों की बात की गयी। पानी पीने के जो कुवें हैं उनकी जगत को ऊंचा किया जाय ताकि बाढ़ का पानी उनके अन्दर न जा सके इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मैं नहीं ढूंढ पाता। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई दूसरा रास्ता मुझे बतलाया जा सके।

तीसरी बात कही गयी कि ठेकेदारी में बड़ी खराबी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पुल व सड़क वगैरह बनायी जाती हैं ये ठेके पर न बनवाई जा कर गांवों वालों को दे दी जायं। कहने के लिये श्रीमन् बात बड़ी अच्छी लगती है। लुभावनी मालूम होती है लेकिन नाकाबिले अमल है। टेस्ट वर्क्स का जहां तक सम्बन्ध है उसे तो गांव वाले खुद ही करते हैं, ठेकेदारों का सवाल नहीं उठता। लेकिन जहां पुख्ता पुर व सड़क बनाने का सवाल है गांव के मजदूर वे काम कर सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जा सकती। ठेकेदार या गवर्नमेंट सीधे अमानी पर काम करायेगी।

एक बात कही गयी कि मई-जून में चारा इकट्ठा कर लिया जाया करे। श्रीमन्, मुझे उनका सुझाव बहुत पसन्द आया फ्लड रिलीफ कमेटीज, जो जिलों के अन्दर मुकर्रर हैं उनको मुझे हिदायतें हैं कि अगर जरूरत समझी जाय तो फाडर इकट्ठा कर सकती हैं लेकिन एक कठिनाई जरूर है। हमारे पुराने आफिसर्स, कलेक्टर्स का तजुर्बा है कि जब-जब भूसा भरा गया हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट और फ्रेट चार्जेज माफ, लेकिन भूसा नहीं खरीदा गया। फिर हमने कहा आधी कीमत माफ लेकिन आधी कीमत पर भी नहीं खरीदा गया और फिर पूरी कीमत माफ करनी पड़ी माननीय ब्रजभूषण मिश्र जी मेरी इस बात की ताईद करेंगे। पहले १८७१ में बाढ़ आयी और फिर वैसी बाढ़ १९५५ में आयी और अब २०३४ में जाकर उसका हिसाब बैठता है। भूसा जमा तो कर लिया जाय लेकिन फिर बेचने का सवाल उठता है। कहने के लिये सुझाव तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा काबिले अमल नहीं है। लेकिन इस मामले में कुछ तथ्य अवश्य है। और मैं इस मामले में संबंधित राज्य कर्मचारियों से सलाह मश्विरा करूंगा।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि फ्री राशन दिया जाया करे। जो लोग गरीब नहीं हैं भले आदमी हैं उनको दिया जाया करे। उसका कोई प्रबंध नहीं है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का यह सुझाव था। मैं मानता हूं कि सुझाव बहुत अच्छा था ....

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—मैंने दूसरे लहजे में कहा था।

श्री चरणसिंह—अल्फ़ाज़ तो यही थे लहजा दूसरा हो सकता है भले आदमी ने कहा होगा शायद जमींदार कहा था। कहा गया कि ग्रेट्युटी रिलीफ दी जा सकती है। अंग्रेजी का एक पैरा है। अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं ताकि माननीय मेम्बरों की जानकारी में कुछ इजाफ़ा हो सके : —

"The following classes of persons shall be eligible for gratuitous village relief, provided that they have no relatives able, and by the custom of the country bound to support them :

(*a*) idiots and lunatics ;

इनके लिये आपने कहा नहीं।

(*b*) cripples ;
(*c*) blind persons ;
(*d*) all persons who, from age or physical infirmity, are incapable of earning their living ;
(*e*) all persons whose attendance on the sick or on infant children in own homes is absolutely necessary ;
(*f*) women of respectable birth, who are debarred by national custom from appearing in public and are unable to provide themselves with sufficient food :
(*g*) men of respectable birth who are unable to earn a livelihood and are in danger of starvation."

तो यह ग्रेटुटस रिलीफ हर आदमी की जरूरत को देख कर दी जा सकती है। फ्री राशंस भी इसमें दिये जा सकते हैं। अगर माननीय मित्र किसी खास इलाके को बतायें तो अहकाम जारी कर दिये जायेंगे।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि फल्ड्स अंडर एस्टीमेट किये गये। हो सकता है। लेकिन मैं इस सिलसिले में दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो यह कि जिन माननीय मित्रों ने इस सिलसिले में विचार जाहिर किये हैं, मैं बा-अदब यह अर्ज करना चाहता हूं बहुत डर के साथ, कि चाहे उन्होंने कितना ही काम किया हो, उनमें से सब को पूरे जिले का उतना नकशा नहीं मालूम हो सकता जितना डिस्ट्रिक्ट आफिसर को। एक तो आदमी कहां-कहां जा सकता है अगर किसी ने २४ घंटे भी काम किया होगा तो २५ गांवों से बाहर नहीं निकल सका होगा। काम इतना ज्यादा था कि २५ गांवों में ही सारा समय लग जाता। इसलिये अगर २५ गांवों की तबाही को देख कर सारे जिले पर घटा दें तो गलत नतीजा निकल सकता है। श्रीमन्, कितने एस्टीमेट्स गलत हैं वह इस बात से साबित हो जायगा कि एक आध मित्र जिन्हें जिले से मालूम हो गया या यहां से मालूम हो गया उनका तो यह अनुमान है कि अंडर एस्टीमेंट है। लेकिन जिन मित्रों को यह मालूम नहीं था कि कितने आंकड़े जिले से आये, उन्होंने यहां जो आंकड़े बतलाये वह अंडर एस्टीमेट हैं बनिस्बत कलेक्टर के आंकड़ों के। मसलन देवनन्दन जी शुक्ल, मैंने उनसे कल कहा भी था। उन्होंने अपने ख्याल से पूरा सही करके साढ़े छः सात सौ गांव बतलाये, इसके आगे वह नहीं बढ़ सके। शायद एक आध दफा साढ़े सात सौ कह गये। मैंने जो अपनी बही निकाली तो उसमें ७६१ गांव लिखे थे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कुछ अंडर एस्टीमेट हों। लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ेगा। पचास करोड़ के बजाय, ५४, ५५, ५७ करोड़ हो जायगा। इतनी बात जरूर है कि जो माननीय देवनन्दन शुक्ल जी ने दो सौ रुपया फी एकड़ के हिसाब से अरबों का हिसाब लगा दिया था वह गलत है। दो सौ रुपये की आमदनी का औसत केवल ईख में बैठेगा। सारे सूबे में दो सौ रुपये फी एकड़ की आमदनी खरीफ में होती नहीं। लिहाजा उन्होंने अरबों का हिसाब लगाया वह नहीं है। लेकिन श्रीमन फिर भी नुकसान इतना है, पचास करोड़ ५५ करोड़ सही, यह हमारे गरीब लोगों के लिये असह्य है।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी अफसरों ने काम आमतौर पर अच्छा किया। मुझे यह जानकर खुशी हुयी कि मेरे मित्रों को यह अहसास हुआ कि आमतौर पर राजकर्मचारियों ने अच्छा काम किया। दो चार जगह उनको शिकायत भी है। तो श्रीमन्, हजारों कर्मचारी हर जिले में लगे हुये थे। तो मेरा यह दावा नहीं है कि कोई राजकर्मचारी गलती नहीं करता, कोई शिथिलता नहीं करता, कोई काहिली नहीं करता, कोई आलस्य नहीं करता या राजकर्मचारी होते ही देवता हो जाता है। जैसे और इंसान गलती करते हैं उसी तरह वह भी कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन सारा सवाल यह था कि मजमूई तौर पर उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे गवर्नमेंट को शिकायत नहीं है, आपको भी शिकायत नहीं है। इस पर मुझे खुशी है। जहां तक लेखपालों के सम्बन्ध में कहा गया कि कुछ लेखपालों ने घर में बैठ कर नकशे बना लिये। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जीने यह कहा। अगर वह मेरे पास उनके नाम लिख कर भेज देंगे तो जरूर मुनासिब कार्यवाही की जायगी। एस०डी०ओज० के बारे में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, वह गवर्नमेंट को पहले से मालूम है। अगर वह बात सही हुयी, क्योंकि तहकीकात करना जरूरी होता है बिना तहकीकात किये हुए सजा नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट उस पर मुनासिब तदारुक देने में नहीं हिचकिचायेगी।

स्कूल की इमारतों की बाबत कहा गया कि वह मिस्मार हो गयीं। ठीक है गिर गयीं। उसके लिये अभी कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से वैसे अहकाम जारी नहीं हुये लेकिन श्रीमन् सोचने की बात यह है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से जहां तक स्कूलों की बिल्डिंग का सवाल है क्या १०,०००,२०,००० या ५०,००० रुपया देना उससे पता नहीं कितना बोझ बढ़ जाय, मुमकिन है? क्या ऐसा वायदा करना मुमकिन है? जैसे सहारनपुर में बच्चों ने एक स्कूल अपने हाथ से बना लिया, एक पुलिस स्टेशन पुलिस कान्स्टेबिल्स ने इलाहाबाद में अपने हाथों से बना लिया और तमाम इमारतें गांव वालों ने अपने हाथ से बनायी और इस सिलसिले में गांव वालों ने और दूसरों ने श्रमदान किया, उस तरह से अगर काम हो तो गवर्नमेंट जरूर कुछ विचार करेगी, लेकिन इस सिलसिले में हम कुछ वायदा नहीं करते।

श्रीमन्, अब मुझे आपकी इजाजत से अगर कुछ मिनट और मिल जायं तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--समय बढ़ जायगा, कोई कठिनाई की बात नहीं।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, अब मुझे अंत में ३,४, बातें कहनी शेष हैं। एक तो यह कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक बात कही थी उस सिलसिले में कुछ गलत फहमी हो गयी। वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २५ करोड़ रुपये के सिलसिले में यह फरमाया था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमने कहा है और उम्मीद हमको पूरी है कि वह रुपया मिल जायगा। लेकिन उनकी तरफ से एक्चुअल कमिटमेंट नहीं हुआ। यह बात जरा सी साफ होने से रह गयी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि "वायदा कर लिया या उनका प्रामिस है" बल्कि यह कि हमको उम्मीद है कि मिल जायगा। हमने दरख्वास्त ऐसी की है।

दूसरी बात श्रीमन्, आपकी इजाजत से यह अर्ज करनी है कि सुल्तानपुर के एक पार्टिकुलर पाकेट में राज कर्मचारी नहीं पहुंच सके। माननीय गुरप्रसाद सिंह जी ने यह स्वीकार किया कि पहुंचना मुमकिन नहीं था। गोंडा में राप्ती के पास अहलकार नहीं पहुंच सके। बीकापुर में केवल ७ ही मेडिकल पर्सनल है, इससे अधिक नहीं। रायबरेली में किसी टाउन एरिया में डेब्रिस पड़ा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुयी। मुमकिन है कि इसी तरह की एक दो और खास बात कही गयी हों। यह तीन चार बातें मैंने नोट कर ली हैं। लेकिन मैं आपकी इजाजत से अपने दोस्तों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपनेअपने जिलों में अपनेअपने हल्कों की बाबत जो उनको शिकायत हो, राजकर्मचारियों की बाबत, उनकी कोताही की बाबत या लोगों की तकलीफ मिटाने के सिलसिले में तो इन सब की वह अगर जल्द से जल्द मेरे पास तहरीर देने की कृपा करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। लेकिन इमदाद मांगने के सिलसिले में जो

[श्री चरणसिंह]

सुझाव हों उनक के लिये मैं यह कहता हूं कि वह जरा धीरेधीरे हों, एक दम से तेजी के साथ नहीं। लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि वह पूरे हों जायं।

दूसरी बात माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कही कि हम गवर्नमेंट से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, दरख्वास्त तो कर ही सकते हैं। श्रीमन्, वह ऐसी बात क्यों कहते हैं ? इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं कि लोग मुसीबतजदा हैं और सब लोग चाहते हैं कि उनकी मुसीबत दूर हो। इसमें दरख्वास्त और प्रार्थना का कोई सवाल नहीं है, यह हर एक का अधिकार है और हम सब लोगों का प्रिंसिपल है। जो भी सुझाव लोग दे सकते हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट या डिमांड मानने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं उसको आपका हक और प्रिविलेज समझता हूं। तो यह स्प्रिट नहीं होनी चाहिये कि हम इसके लिये गवर्नमेंट से भिक्षा मांगने जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो एक रुमाइन्दा है, एक संगठन मात्र है। उसके लिये कभी भी इस बात को इस तरह से अपोज करना कि यह आपकी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, मुमकिन है कि टर्न डाउन हो जाय, हरगिज हरगिज ठीक नहीं।

श्रीमन्, एक बात मुझे अर्ज करना है अपने एक दो मित्रों से वह है कि पंचायत एलेक्शन की बाबत जब कि अफसरान इस तरीके से इस काम में लगे हुये हैं लोगों को मुसीबत से निकालने में और इसमें कि किस स्कीम से उनको फायदा पहुंचाया जाय। कितना नुकसान हुआ उनको इसका एसेसमेंट करने में और लोगों को रिलीफ वगैरह तक्सीम करने में। और जो प्रोग्राम पंचायत एलेक्शंस की बाबत जिलों में गया था जिसमें कोई गुंजाइश यह नहीं थी कि २,४ दिन खाली पड़ा हो। तो वह प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकेगा। अक्टूबर के शुरू में इलेक्शंस नहीं कर सकते इसलिये इलेक्शंस मुल्तवी हो जायं। गवर्नमेंट को कर देने चाहिये। श्रीमन् इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि इलेक्शन अब बजाय अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने के दिसम्बर के पहले हफ्ते में होंगे ताकि उस वक्त तक आप लोगों को फुर्सत मिल जाय और अफसरान को भी जो जरूरी काम उनके ऊपर पड़ गया है उससे पलक मारने का दम मिल जाय। हिल्स में उन्हीं डेट्स में होगा क्योंकि पहाड़ों पर तो यह सवाल उठता नहीं है।

श्रीमन्, अब माननीय गेंदा सिंह जी ने चीन की बात कही। श्रीमन्, कुछ दोस्तों की तकरीर उनकी राय में मुकम्मिल नहीं होगी और उनकी तबियत तब तक नहीं भरती है जब तक कि किसी विदेश का जिक्र न कर लें। क्योंकि विदेश का जिक्र करने में समझते हैं कि हमने गवर्नमेंट को एक ऐसी चोट की है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। श्रीमन्, ऐसा नहीं चीन ने बड़ा काम किया, चीन हमारा मित्र है इसलिये कड़वी बात उसके मुताल्लिक कहना वैसे भी गैर-जरूरी था और और बिल्कुल प्रोप्रायटी के खिलाफ और हर तरह से औचित्य के विरुद्ध। जो भी सिस्टम उनको मंजूर हो, उनको मुबारक हो। लेकिन यह कहना कि चीन ने यह मामला हल कर लिया और यह गवर्नमेंट नहीं कर पाती, श्रीमन्, इससे मेरा वायलेंट रीएक्शन होता है। श्रीमन्, इस कारण कि जो हमने तरीका अपनी जिन्दगी का तय किया जो पंचायत राज का सिस्टम हमने अपनाया उसके मातहत दुनिया में आज तक किसी गवर्नमेंट ने अपने लोगों की इतने थोड़े अर्से में सेवा नहीं की है जितनी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो डे इन ऐंडमडे आउट बारबार इसी बात पर हार्प करना तकलीफ देता है। बेशक उन्होंने अपनी बाढ़ की समस्या को हल करने की कोशिश की है और बहुत कुछ सफल भी हुये होंगे। लेकिन श्रीमन् ऐसा नहीं कि स्वर्ग हो गया हो उस इलाके में। और मेरे पास सन् १९५४ की ७ सितम्बर के पायनियर की कटिंग है। मैं जानता था कि कोई न कोई मित्र जिक्र करेंगे। श्रीमन्, आपकी इजाजत हो तो पढ़ कर सुना दूं।

"Hongkong: September 6 :

Rail traffic has been restored in some parts of China's vast flood areas."

रेल जो बन्द हो गयी थी बाढ़ ग्रस्त चीन में अब फिर चलनी शुरू हो गयी।

"An announcement by Peking Radio yesterday gave details of services which have been restored and is an indication that China's worst floods for 100 years are subsiding.

The swollen Yangtse and Yellow rivers burst through emergency dykes over two months ago flooding 2,500,000 acres ; eighty million people were homeless."

तो मतलब यह कि डाइक्स और बांध जो बनाये गये थे, जितना इनका शो था, और मैं नहीं कहता कि नाजायज तरीके से शो था, बाढ़ के समय वे भी टूट गये।

सन् १९५५ की जो खबरें हैं- एक तो यह कि--

"May 12, 1955 ; Four days of rain have broken the year-long draught in South China where famine conditions were reported by the newspaper southern daily in Canton."

आगे क्या कहता है --

"The newspaper said that peasants were forced to sell their children, clothes, cattle and farming implements during the famine."

यह एक अखबार है जो चीन में निकलता है और आप जानते हैं कि वहां गवर्नमेंट की खिलाफ मर्जी के निकालना जरा कारे दारद है। वह कहता है कि सूखा पड़ा तो बच्चे और कपड़े और पशु बेचने पड़े, अपने हल बेचने पड़े। श्रीमन्, परमात्मा की दया से नेहरू के राज्य में सन् १९४७ से ऐसा समय नहीं आया। तो यहां पर भी करार का कर लिया जाया करे कि इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया।

एक और है १६ जुलाई १९५५ के नेशनल हेरल्ड का--

"Hongkong, July 15,—China has ordered the mobilisation of civilians to help fight the rising waters of the Yellow River , the nation's 'river of sorrow'. Peking Radio reported today.

The call-up order—the second in a fortnight—was issued as the level of the river rose sharply at Lanchow, in north-east province of Kansu. Flooding in the Yangtse valley last summer left several million people homeless."

तो मतलब यह है श्रीमन्, कि यह जो प्रकृति है वह इस बात को नहीं देखती है कि यहां कौन गवर्नमेंट है और क्या नहीं है। मनुष्य अपनी कोशिश करता है, फिर भी काबू से बाहर बात हो जाती है।

दो तीन मिनट बाकी हैं। बस आखिर में एक बात गेंदा सिंह जी से कहनी है। वह यह कि जब जिक्र कर रहे थे कि अखबार में ऐसा छपा है तो मैं समझा कि देवरिया से अखबार निकला होगा। मैंने यह पूछा कि भी उनसे। मैं नहीं समझता कि कोई भला आदमी "ब्लिट्ज" की खबर लेकर कुछ कहे और मच लें गेंदा सिंह!! बड़ी प्रसन्नता के साथ यहां उनका स्वागत हुआ और मैं भी उसमें शामिल होता हूं। कारने यह है कि विरोधीदल के नेता की जिम्मेदारी है। इंगलैण्ड में जैसे हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहलाती है, वैसे ही हिज मैजेस्टीज अपोजीशन कहलाता है।

श्रीमदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--उसे यहां कुछ मिलता ही नहीं है।

श्री चरणसिंह--तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही आल्टरनेटिव नेता, होता है। तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। फिर एक बात और समझा करें कि मेरे चन्द दोस्त बैठे हैं जो माननीय गेंदा सिंह जी के मुंह से निकली हुई बात का एक-एक लफ्ज नोट करते हैं अगर वह धीमे बात भी कहें तो उसमें थोड़ा सा प्वाइंट बढ़ा देते हैं ताकि उसकी पब्लिसिटी हो और बिलकुल मुनासिब तरीके से हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मतलब

[श्री चरणसिंह]

यह है कि जो बात वह कहते हैं उस की पब्लिसिटी खूब होती है इसलिये कि उस की हर बात का वजन बहुत होता है। होना चाहिये, "फार गुड और फ़ार ईविल, अच्छा के लिये या बुराई के लिये। तो मैंने तभी रेवेन्यू सेक्रेटरी को आर्डर दिया कि "

"Please contact District Magistrate of Jaunpur at once."

रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास से जो नोट वहां से लिख कर आया है, वह यह है—

"Revenue Minister.—It was with difficulty that I could get through to Jaunpur. I have just spoken to Collector about this matter. He tells me that this is entirely a false report. According to him his Magistrates on duty visit the evacuee camp daily and that no such complaint has ever been made to any of the Magistrates on duty, or to the S. P. or to the District Magistrate. He further tells me that no such rumour either has been heard in the town."

उन्होंने मुझे बतलाया कि बिलकुल झूठी कहानी है। उनके मातहत उनके मैजिस्ट्रेट एवाकुई कैम्प, जहां कि ये मुसीबतजदा भाई ठहरे हुये हैं, वहां जाते हैं और कभी कोई शिकायत आज तक किसी भी मैजिस्ट्रेट से जो कि इस तरह से जाते हैं, या एस० पी० से या मुझसे नहीं की गई।

कलेक्टर ने यह भी रेवेन्यू सेक्रेटरी को बताया कि यही नहीं कि यह चीज हमारी नोटिस में नहीं आयी है या किसी ने नहीं बतलाई, बल्कि शहर में भी इस तरह की अफवाह नहीं सुनी।

श्रीमन्, अब मैं सिर्फ यह कहूंगा कि हो सकता है कि कलेक्टर ने ९९९ आउट आफ वन थाउजेंड चांसेज लिए हों। हो सकता है कि हजार में से एक बात रही हो। श्रीमन्, और ऐसा पाया गया तो उनको तहरीरी आर्डर भेज रहे हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि ऐसे दुराचरण के सम्बन्ध में जितनी सख्त से सख्त सजा गवर्नमेंट के लिये मुमकिन है वह देगी। लेकिन मैं फिर आप की इजाजत से आखिरी यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी इस अखबार को पढ़ना छोड दें और इसमें लिखी हुई जो बात हो उस का जब तक अपनी जाती तहकीकात न कर लें, खुदा के वास्ते इस हाउस में उस का बयान न करें। यह न उनके लिये अच्छा है, न गवर्नमेंट के लिये अच्छा है।

अन्त में अब मैं गवर्नमेंट की तरफ से अपने माननीय मित्रों को, जिन्होंने वहां काम किया और जिन्होंने इस रेस्ट्रेंट के साथ तकरीरें इस हाउस में कीं, और अपने जन-सेवकों को, पब्लिक सर्वेंट्स को, जिन्होंने काम इस हिम्मत और दिलेरी के साथ किया और अपना निजी काम समझ कर किया और जनता को भी जिसने फार्टीट्यूड और हिम्मत के साथ काम किया बधाई देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि यदि फिर ऐसी विपत्ति आये तो उनको ऐसा बल दे कि वह उस स्थिति का इसी तरह मुकबला कर सकें।

(इस समय १ बज कर २७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्य निर्वाचित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये ५ सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया है :—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय:—२९-८-५५ को सायंकाल ४ बजे तक, नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ३०-८-५५ को ३ बजे अपराह्न तक, नाम वापस लेने की तिथि तथा समय, २ सितम्बर को सायंकाल ४ बजे तक। यदि आवश्यकता हुई तो निर्वाचन की तिथि तथा स्थान की सूचना बाद में दी जायगी।

यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, को जो विधान सभा की २१ जनवरी, १९५० की बैठक में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा मांगी जा रही है वह तो पहले ही वापस लिया जा चुका है। आप को याद होगा कि यह विधेयक दो बार सदन के सामने प्रस्तुत हो चुका है और पहली बार सन् १९५० में यह सेलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ था और दूसरी बार सन् ५२ में, दूसरी बार वह वापस आया और फिर नया विधेयक लाकर सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया और बार-बार आश्वासन दिलाया गया कि सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग दिसम्बर में, जनवरी में और फरवरी में की जायगी और अब फिर वह वापस लिया जा रहा है, हमें नहीं मालूम कि यह कौन सा बिल वापस लिया जा रहा है।

इस समय यह किसी कमेटी के सामने नहीं है, यह सन् ५० वाला विधेयक नहीं है और यह वही है जो सन् ५३ में प्रस्तुत किया गया था।

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इसी एजेंडा में जो नीचे दिया हुआ है वह विधेयक आने को है और इसको इस लिये लाया गया क्योंकि इसमें और तरमीमें जरूरी समझी गईं। माननीय तिवारी जी ने जिसका रिफरेन्स दिया यह वह बिल नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, महज एक फारमल कार्यवाही है, मैं समझता हूं कि सदन इसको इजाजत देगा क्योंकि संशोधन ऐसे नहीं हैं, जो सेलेक्ट कमेटी में हो सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिसको आप वापस लेने की अनुज्ञा मांग रहे हैं वह तो वापस लिया जा चुका है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह वापस नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त से) आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि वापस लेने का कारण क्या है, संशोधन तो सेलेक्ट कमेटी में भी हो सकते हैं क्योंकि पुराने बिल में केवल संशोधन ही करने हैं तो वह उसी में हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन ऐसे नहीं हैं जो सेलेक्ट कमेटी में हो सकते हों यह उन्होंने कहा है, आप ने सुना होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आप बिल के उद्देश्य को ही बदल रहे हों तो बात दूसरी है और अगर केवल संशोधन करना है तो कुछ जरूरत नहीं थी।

श्री चतुर्भुज शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उद्देश्य बदलने की बात नहीं है और एक फार्मल सी चीज है, इसमें वह बेकार उलझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक, १९५०, को जो विधान सभा की २१ जनवरी, १९५०, की बैठक में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कांटिन्युएंस आफ पावर्स) विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कांटिन्युएंस आफ पावर्स) विधेयक, १९५५ जो विधान परिषद् की १९ जनवरी, १९५५ की बैठक में पारित हुआ था, और जो २८ फरवरी, १९५५, को सदन की मेज पर रखा गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो विधान परिषद् की बैठक में बिल पारित हो चुका है और एक बार पुरःस्थापित हो चुका है तो उस को वापस लेने के क्या विशेष कारण उपस्थित हो गये।

श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को वापस लेने की सम्मति केन्द्रीय सरकार से मिली है। २५-१-५५ को केन्द्रीय सरकार का कानून, एसेंशियल सप्लाईज एक्ट की अवधि समाप्त हो चुकी और उस के बाद उस के सामने कुछ वैधानिक कठिनाइयां ऐसी थीं कि वह खाद्यान्नों का फिर से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिये प्रादेशिक सरकार को केन्द्रीय सरकार से सलाह मिली कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है और प्रादेशिक सरकार ने एक अध्यादेश निकाला और उसी को कानून का स्वरूप देने के लिये १९-२-५५ को यह बिल कौंसिल में पेश हुआ और २८-२-५५ को सदन की मेज पर रखा गया। अब केंद्रीय सरकार ने अपने संविधान के तीसरे नियम में परिवर्तन कर लिया है, जिसके द्वारा वह आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिया है कि हम जिस कानून को बनाने जा रहे हैं उस को वापस ले लें। इसलिये यह बिल केन्द्रीय सरकार की सलाह से वापस हो रहा है। और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं ही कानून बना रही है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सप्लाईज (कांटिन्युएंस आफ पावर्स) विधेयक, १९५५, जो विधान परिषद की १९ फरवरी, १९५५, की बैठक में पारित हुआ था, और जो २८ फरवरी, १९५५ को सदन की मेज पर रखा गया था, वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५, पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २३३--२३४ पर)

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश, संशोधन) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २३५-२३६ पर)

उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबंध (प्रशासन) विधेयक, १९५५

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५, पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २३७-२५२ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २५३-२५६ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २५७-२५९ पर)

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५, पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २६०-२८९ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि इस विधेयक पर पुरःस्थापन होने के कितने दिन बाद माननीय मंत्री जी इसको वापस लेने की अनुज्ञा चाहेंगे। (हंसी)

यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २९०-३०३ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३०४-३०५ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मुझे इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह जानना था कि यह विक्री-कर संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में कौन-कौन संशोधन हों यह प्रश्न एक कमेटी के विचाराधीन है। जो कि सेल्स टैक्स कमेटी यू० पी० सरकार ने बनायी है उस की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। तो अगर यह विधेयक सब संशोधनों के सामने रख कर लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का क्या विचार है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वक्त से पहले की बात है। उस की कापियां तो रखी जा चुकी थीं, उस को पढ़ा हो मेरे दोस्त ने तो उन्हें मालूम होगा कि यह कोई ऐसा संशोधन नहीं है कि जिसके लिये किसी बात का इन्तजार किया जाय। इसमें तो सिर्फ़ इतनी बात रखी हुयी है। यह कानून की रू से सेल्स टैक्स से मुस्तसना कर देने का तो अख्तियार है लेकिन उसमें कमी वगैरह करने का अख्तियार नहीं है। तो वह अख्तियार लेने के लिये जरा सा इसके अन्दर लफ्ज रखा गया है। बाकी जब कभी बड़ा बिल बनेगा, वह तब्दीली होगी। अभी कुछ ताल्लुक नहीं है उससे।

*उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के विधेयक, १९५४, पर विचार प्रारम्भ होगा।

खण्ड २

परिभाषायें।

२---इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर---

(क) "प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा ३ के अधीन इस प्रकार स्थापित किया गया हो;

(ख) "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कृत्य करने के लिये अधिकृत करें;

(ग) "हानिप्रद तृनादि" (noxious weeds) का तात्पर्य किसी भी तृणादि (weeds) से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे;

(घ) "अध्यासी" (occupier) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे समय विशेष पर किसी स्थल, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो;

(ङ) "परजीवी" (Parasite) का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे या पशु से है जो पूर्णतः अथवा अंशतः किसी कृषिक, फस्ल पौधे, वृक्ष, झाड़ी अथवा औषधि (herb) पर जीवित रहता हो और जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे,

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

(च) "नाशक कीट" (pest) का तात्पर्य किसी ऐसे कीट अथवा मेरुहीन (Invertebrate) जीव से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे ;

(छ) "पौधे" के अन्तर्गत सभी उद्यान सम्बन्धी तथा कृषिक फस्लें, वृक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (herbs) हैं तथा इसके अन्तर्गत इनके बीज, फल, पत्ते, छाल क़लम (cuttings) अथवा भाग भी हैं ;

(ज) "पौधों के रोग" का तात्पर्य किसी गोमज (fungoid), शाकाणीय (bacterial), विषाणवीय (virus), पारजैविक (parasitical) अथवा अन्य रोग से है जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन पौधों का रोग प्रख्यापित करे,

(झ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है, तथा

(ञ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पहली पंक्ति को निम्न रूप से रख दिया जाय--

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट' के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर भी होगा अथवा ।"

उपाध्यक्ष महोदय, असल में मेरा यह संशोधन रखने का तात्पर्य यह है कि यह जो इस विधेयक का खंड २ है उसका उपखंड (२) इस प्रकार है उसको मैं बदलना चाहता हूं :—

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिससे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कृत्य करने के लिये अधिकृत करे ।" अब मेरा कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस काम के लिये उपयुक्त साबित नहीं हो सकता है। असल में उसकी जो जानकारी होती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, किसी फसल के बारे में या किसी रोग की तो इस तरह की जो चीज मालूम होती है वह ज्यादातर उनको होती है जो खेती बारी से संबंध रखते हैं। उन लोगों को वह बात मालूम होती है। इस लिये बजाय इसके कि अकेले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर यह बात छोड़ दी जाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की डेफीनीशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफीसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर, दोनों को रख दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर न जाने दुनियां के कितने मामलों का बोझा रहता है तो आखिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वह इस विधेयक के जरिये जब यह ऐक्ट बन जायगा तो वह खुद काम न करके बल्कि ऐसा लगता है कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर से ही काम लेगा। इसलिये बजाय इसके कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पावर डेलीगेट करे अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की डेफीनीशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर इन दोनों को रख दिया जाय तो व्यर्थ का कागजी काम नहीं बढ़ेगा। तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने यह बात आती है कि जब वह किसी को पावर्स डेलीगेट करता है तो समय और पैसे का चाहे वह दो पैसे के टिकट का ही खर्चा हो, दोनों का खर्चा होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर इस काम को समझते हैं कि रोगों से बचाने के लिये फसल के लिये कुछ काम करना है। इसलिये इसमें अगर यह चीज हो जाय तो अच्छा है। मेरा मतलब यही है और इसी मतलब से मैंने यह संशोधन रखा भी है और मैं समझता हूं कि सरकार को इसको स्वीकर करने में कठिनाई नहीं होगी और इसे स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा है।

† **कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)**—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी होती अगर मैं गेंदा सिंह जी के संशोधन को कबूल कर सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि काम में बड़ी उलझन हो जाती है। अव्वल तो हमेशा से यह विधान सभा का रुख रहा है कि जब कोई वाइड पावर दी जाती हैं तो वह ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को ही दी जाती है ताकि वह तमाम बातों को सोच समझकर काम करें इसी बुनियाद पर यह पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गयी हैं। रहा यह कि इत्तिला कैसे मिलेगी तो जाहिर है कि जिनका सम्बन्ध खेती से होगा उनसे ही मिलेगी और अगर उसके पास वक्त नहीं होगा तो वह उन्हीं अधिकारी को पावर दे देगा। इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को निकाला नहीं जा रहा है और जब हम अधिकार देने जा रहे हैं तो ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को पावर दी जानी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस असल शक्ल में डेफिनीशन है उसी शक्ल में रहनी चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन मुनासिब इसलिये है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अपनी पावर्स डेलीगेट करता है तो एस०डी०एम० तहसीलदार या नायब तहसीलदार को ही करता है। पहला कारण तो यह है कि यह लोग इसके रोगों के विशेषज्ञ नहीं हैं। आम तौर पर सरकार जो बीच-बीच में काम लेती है वह ज्यादातर माल विभाग से ही लेती है। नतीजा यह होता है जैसा कि बाढ़ के सम्बन्ध में कहा गया है कि झूंठी रिपोर्ट आजाती है जिनसे गलतफहमी होती है। इस विधेयक की स्कीम बहुत ज्यादा वाइड पावर्स हैं जैसे किसी की फसल में या घर में घुस जाना और रिपोर्ट देना जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है कि वह खुद करे और सरकार बाध्य कर सकती है और सरकार खुद कर सकती है और उसका खर्चा उससे रेवेन्यू की तरह से वसूल हो सकता है। ऐसी सूरत में इन दो अधिकारियों के नाम रह जाते हैं जो समझता हूं कि समाज सेवा क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। इसी फैसले से उनका सम्बन्ध है। श्री गेंदा सिंह जी का भी तात्पर्य यही है कि अगर वह किसी दूसरे को अधिकार देना चाहे तो वह न दे। इन शब्दों को वह यहां पर जोड़ देना चाहते हैं। इसके अलावा और भी अधिकारी हो सकता है जो इस विशेष काम को करनेवाला हो। प्लानिंग अफसर या तहसीलदार भी इसके अलावा आ सकते हैं। ऐसी सूरत में कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोई हिदायत दी जाय और उसके लिये कानून में कोई समावेश कर दिया जाय ताकि आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस पर चला करते हैं उस रास्ते को न मानकर जो अन्य जिले में विशेषज्ञ हों और काफी जानकारी इस विषय की रखते हों उनके जरिये इस काम को कराया जाय और माल विभाग के जरिये से इस काम को न कराया जाय।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई ऐसा संशोधन नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ा उलट फेर हो जाय। जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है उसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर भी रहें क्योंकि यह विधेयक कीट नाशक विधेयक है। इसका एग्रीकल्चर अफसर से सम्बन्ध है, इसका खेतीबारी से सम्बन्ध है, और प्लानिंग अफसर से जितना सम्बन्ध है उतना सम्बन्ध दूसरे से नहीं है। आज के युग में इस सरकार के द्वारा जो-जो प्रदत्त अधिकार हैं। गांवों में प्लानिंग का जितना काम है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट का जो काम है, और जितना भी उत्थान का काम आज गांवों के अन्दर हो रहा है उस सब का सम्बन्ध आज प्लानिंग से है। तो यह मान लेना कि जिलाधीश के अन्दर उनको भी माना जाय और प्लानिंग अफसर और एग्रीकल्चर अफसर को भी माना जाय यह उचित नहीं है। गेंदा सिंह जी के संशोधन में इसी बात को साफ कर दिया गया है और जिलाधीश को मनमानी करने का अवसर नहीं रहता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे एक बड़ी भारी खामी दूर हो जायगी जिससे जो विरोधी दल के लोगों को शिकायत करने

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का अक्सर मौका रहता है वह दूर हो जायगा। किसी जिले में प्लानिंग अफसर या ऐग्रीकल्चर अफसर के साथ जिलाधीश के सम्बन्ध बुरे रहते हैं और सम्बन्ध में बुरे होने के कारण आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत सी पावर जो जिलाधीश डेलिगेट करते हैं वह जिससे अच्छे संबंध रहते हैं उनको ही डेलिगेट करते हैं। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि प्लानिंग अफसर और एग्रीकल्चर अफसर को अगर जिलाधीश के अन्तर्गत कर दिया जाय जैसा कि गेंदासिंह जी का प्रस्ताव है तो यह बहुत मुनासिब होगा। सरकार अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो इससे जिलाधीश का भार भी सरकार हल्का करती है। मुझे आशा है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं जिसको न हमारे भाई गेंदासिंह जी ने समझा है, न त्रिपाठी जी ने और न रामेश्वरलाल जी ने समझा है। अगर यह तरमीम मान ली जाती है तो यह खंड (ख) इस तरह से हो जायगा "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर अफसर भी होगा अथवा वह अधिकारी भी होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिये अधिकृत करें।" इसके माने यह हो जायंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्लानिंग अफसर, एग्रीकल्चर अफसर इन तीनों को यह अधिकार होगा कि वह तीनों किसी को इस काम के लिये अधिकार दे सकते हैं। प्लानिंग अफसर भी नामजद होगा। उधर एग्रीकलचर अफसर भी नामजद करेगा और जिलाधीश को भी यह नामजदगी का अधिकार रहता है। तो ऐसी हालत में हमारी यह कानूनी कठिनाई है। इसलिये मेरे लिये यह दिक्कत है। फिर हमारे दोस्त ने यह भी फरमाया कि खर्चा तो उतना ही रहता है। अगर यह "अथवा" रख दिया जाय। मगर मेरी तो गुजारिश यह है कि हमारे दोस्त ने खर्चे को मिटाने की कोशिश जरा भी नहीं की ऐसी सूरत में खर्चा भी उतना ही होगा और तीन अधिकारी भी होंगे जिनको नामजद करने का अधिकार होगा। यह इसमें डेलीकेसी है इस वजह से मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता नहीं तो किसी से मुझे ज्यादा मुहब्बत थोड़े ही है। हमको तो यही खुशी हुयी कि माननीय गेंदा सिंह जी को डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर से उल्फत तो है प्लानिंग आफिसर से उल्फत तो है। लेकिन इस कानूनी अड़चन की वजह से मैं मजबूर हूं।

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो मैं यह समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी मेरी बात को मानेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने जो डेलीकेसी बतायी है उसके सिलसिले में मैं अगर कुछ दरख्वास्त कर दूं तो शायद वे विचार कर लें। मैंने यही समझ कर अमेंडमेंट रक्खा था कि उससे उनको कोई दिक्कत न हो। किसी को अपने पावर्स के डेलीगेट करने में दूसरे आदमी को काम करने में कोई दिक्कत न हो इसलिये "अथवा" के आगे के अधिकार हमने रहने दिये। मैं इसके द्वारा यह समझता हूं और यह समझने की बात भी है कि यदि हम तीन आफिसरों को यह काम सुपुर्द कर देंगे तो वह बहैसियत ऐग्रीकल्चर आफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर वे लोग काम कर सकते हैं। ऐसा भी वक्त आ जाता है जब टिड्डी जैसे कीड़े चल पड़ें और उस वक्त एक ही वक्त में इन तीनों को तीन स्थानों पर काम करने की जरूरत हो। ऐसी हालत में अगर उनको यह पावर्स किसी और शख्स को डेलीगेट करना हो वे ऐसा कर सकते हैं। जब टिड्डी चलती है तो तीनों एक ही जगह काम नहीं कर सकते। तीनों तीन इलाकों में काम कर सकते हैं। अगर उनको इस बात की जरूरत पड़ी कि टिड्डी से बचने के लिये दूसरे आफिसरों को अपनी पावर्स डेलीगेट करें और इस प्रकार से वे दूसरों से भी काम ले सकते हैं। मैंने खास तौर से टिड्डी की तरफ ध्यान दिलाया है क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि केवल एक ही इलाके में टिड्डी आये। अगर पश्चिम की तरफ से टिड्डी चल पड़ी तो प्लानिंग आफिसर एक जगह डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर दूसरी जगह और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तीसरी जगह हो सकता है। ऐसी हालत में आवश्यकता के समय तीनों आदमी ही अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर्स डेलीगेट करने की बाट जोहते रहें और उधर टिड्डी अपना काम करके चली जाय। ऐसा

[श्री गेंदासिंह]

ही समझ कर मैंने इसको रक्खा था। मैं समझता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी इसको इस ख्याल से स्वीकार करने की कृपा करेंगे। वैसे हमको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर से कोई खास मुहब्बत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी आदमी से मुहब्बत करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम आदमी से मुहब्बत करते हैं और उसके काम से मुहब्बत करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर कोई सेवा का कार्य करता है तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं हो सकती और अगर कोई दूसरा आफिसर मुहब्बत वाला क्यों न हो अगर वह काम बिगाड़ता है तो हम कब तक मुहब्बत करते रहेंगे। हमें किसी खास आफीसर के लिये कोई मुहब्बत नहीं है। हम ऐसी जरूरत समझते हैं कि उन लोगों का गांव की फसलों और कीड़ों से ज्यादा सम्बन्ध होता है। वे कीड़ों को पहचानते भी हैं। कई कीड़े ऐसे भी हो सकते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहचानता भी न हो। कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जिन कीड़ों से नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि फायदा पहुंचता है। इसलिये ऐसे कीड़े होते हैं तो यह हो ही नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बेचारा जो भले ही आई० सी० एस० हो और उसे बड़ा ऊंचा दर्जा हासिल हो लेकिन खेती बारी के बारे में जितना ज्ञान डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर को होगा या डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर को होगा उतना कलेक्टर को नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी फील्ड दूसरी है, उसका क्षेत्र दूसरा है। अगर कोई कलेक्टर बहुत मेहनती आदमी हो और वह जानकारी रखता है तो वह बड़ी बधाई का पात्र है लेकिन हर कलेक्टर के बारे में ऐसी बात नहीं सोची जा सकती है। इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है जिससे सरकार के कामों में सुविधा मिलेगी। अगर इस सुविधा से लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं कृषक हैं, तो उनको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जब लाभ उठाने का मौका हो तो उससे लाभ उठाना चाहिये। यों जैसी उनकी मर्जी हो।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय कृषि मंत्री जी इसका कुछ जवाब देंगे ?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, चूंकि टिड्डी ऐक्ट का हवाला दिया है इसलिये मैं केवल वह दफा पढ़ देना चाहता हूं।

"District Magistrate includes any officer authorized by the District Magistrate to perform the functions of a District Magistrate under this Act."

अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर होते हैं और कोई अड़चन नहीं होती। इस संशोधन को मान लेने से तीन आदमी हो जायेंगे जो सारे जिले का इंतजाम करेंगे। जो धारा तीन प्रस्तुत है उसके अनुसार अगर किसी लोकल एरिया में अगर इस तरह की किसी बीमारी की सम्भावना हो तो उसको घोषित कर दिया जायगा, गजट में नोटीफाइड कर दिया जायगा। दफा ४ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिये गये हैं जिस पर वह अमल करे। लेकिन जब तीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो जायेंगे तो उसी पार्टिक्यूलर एरिया के लिये अगर यह संशोधन मंजूर कर लिया जाता है तो इससे तीन-तीन तरह के आर्डर वे देने लगेंगे और यह एक बड़ी असमंजस्य की बात पैदा हो जायगी अगर सारे जिले का इंतजाम करना हो तो यह ठीक है कि तीन चार या ६ आदमी जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपना पावर डेलीगेट कर दे उनसे काम ले और इसके लिये उसको अख्तियार दिया गया है। लिहाजा इस संशोधन को मान लेने से बड़ी गड़बड़ी हो जायगी और इसमें बड़ी दिक्कत होगी वरना इसको मानने में हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पहिली पंक्ति को निम्न रूप से रख दिया जाय—

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर भी होगा अथवा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की दूसरी पंक्ति में "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के स्थान में "राज्य सरकार" रख दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी संशोधन इस सम्बन्ध में मेरा होगा या जो प्रस्तुत संशोधन है उसमें टिड्डी अधिनियम का हवाला आ जायगा । उस अधिनियम में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परिभाषा है ठीक वैसी ही इस वर्तमान विधेयक में है लेकिन मैंने जो यह संशोधन रखा है कि जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह अधिकार होगा तो उसकी जगह पर कोई और अधिकृत हो तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं न निर्धारित करे बल्कि राज्य सरकार जिसको उसकी जगह पर निर्धारित करना चाहे करे । उस अधिनियम में भी एक नजीर सदन ने पहले पास किया था लेकिन उसको ही नजीर मानकर आगे सदन कोई विचार करे तब तो कोई और संशोधन उपस्थित करने की जरूरत ही नहीं है । लेकिन सदन हर वक्त हर मसले पर विचार कर सकता है और अपनी राय को तब्दील भी कर सकता है । यह कोई जरूरी बात नहीं है कि उस अधिनियम में जो कुछ भी एक बार निश्चय किया गया है वह सारी की सारी बातें ज्यों की त्यों इस विधेयक में भी रख दी जायं । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस विषय की चर्चा भी आयी है । तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसमें तीन अधिकार दिये गये हैं । पहला तो प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का, दूसरे यह कि अगर कोई प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है और अगर किसी को आज्ञा दी जाय और वह उसका पालन न करे और सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार से काम कर लें तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां होगी और तीसरी यह कि अगर कोई सहायता नहीं करता है या आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उस पर ५० रुपये तक की पिनाल्टी करने का भी अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है । तो जब इतने विस्तृत अधिकार हैं कि वह स्वयं अपील सुनने वाला है, उसी को प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार हो और जहांतक घोषित करने की बात है वह तो कोई एक्सपर्ट नामजद करे वह उसको घोषित कर देगा उसमें कोई विशेष एतराज की बात नहीं है लेकिन ....।

श्री हुकुमसिंह--मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, अपने मित्र की इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि उसकी धारा ३ के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट उसको घोषित करेगी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--खैर तो वह बात न सही लेकिन अपील सुनने का अधिकार उसको है, ५० रुपये तक पिनाल्टी करने का अधिकार उसको है और यह अधिकार सिवाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिये । अगर उसने कहीं किसी इंस्पेक्टर को यह अधिकार दे दिया या सुपरवाइजर को यह अधिकार दे दिया तो कितना दुरुपयोग हो सकता है । राज्य सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेदार है । राज्य सरकार जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार देती है तो सोच समझ कर देगी । इस कानून से सारे सूबे के किसानों का ताल्लुक है तो उसमें इस तरह के अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सोच समझ कर देना चाहिये कि वह उन अधिकारों को जो जनताके हित के लिये उसके पास रखे गये है ऐसे लोगों को अधिकृत कर दें कि जोउस अधिकार का दुरुपयोग करें और करते भी हैं और इस बात की शिकायत मिली भी है छोटे अधिकारियों के द्वारा जैसे म्यूनिसिपैलिटी में या टाउन एरियाज में ऐडल्टरेशन की जिस तरह की शिकायतें मिली हैं तो इसमें भी हो सकता कि इसी तरह से दुरुपयोग हो । और अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार इतने बड़े हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार होना चाहिये कि वह राज्य सरकार को लिखकर भेज दे और राज्य सरकार देख लेगी कि वह किसको अधिकृत करता है और राज्य सरकार चाहे तो उसको अधिकृत कर दे । यह राज्य सरकार की जानकारी में भी रहेगा । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने अधिकारों को किसी को अधिकृत करने की पावर नहीं होनी चाहिये । इसलिये मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को मान लेने से किसी का कोई नुकसान नहीं है और विधेयक में त्रुटि भी दूर हो जाती है ।

श्री हुकुमसिंह--हमारे मित्र द्वारका प्रसाद जी ने एक लम्बी तकरीर अपनी तरमीम की ताईद में की मैंने उसे समझने की भी कोशिश की लेकिन जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक

[श्री हुकुम सिंह]

है उनकी स्पीच का बहुत बड़ा हिस्सा इस तरमीम के नजदीक तक नहीं आया। उनको इस बात का एतराज है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसी को पावर डेलीगेट करे इस अधिनियम को बरतने के लिये लेकिन उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार रहे क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कोई तरमीम दी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कतई नाम निकाल दिया जाय। उसके खुद बरतने के बारे में उनको कोई एतराज नहीं है केवल डेलीगेट करने के बारे में एतराज है। मेरे मित्र ने मेरी जबान बन्द कर दी कि कोई नजीर इसकी ताईद में न पेश की जाय। नजीर इसी सदन की है और ठीक है और वह कानून जो प्रयोग में आया उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आयी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस अख्तियार को इस तरह से नहीं बरता जिसके बारे में कोई शिकायत हो। न जनता को शिकायत हुयी न आज तक मौर्य जी ने कोई शिकायत की। ऐसी सूरत में यह कानून है। उसका दुरुपयोग नहीं किया गया, अख्तियारात उन्हें दिये गये, उन्हें ठीक तौर से बरता गया और जनहित में बरता। फिर इस मौके पर उनकी आनेस्टी पर किसी किस्म का शक करना कहां तक उचित और मुनासिब है। ये तो ऐसा काम है जो फौरी होना चाहिये। जैसे कालरे की बीमारी में जरा भी देर हुयी तो काम तमाम हो जाता है। जाहिर है जब तक लिखा पढ़ी होगी और फिर वहां से गवर्नमेंट में वह आये और यहां भी नोटिंग हो तब तक काम तमाम हो जायगा। तो इस तरह से यह तरमीम इस कानून में रुकावट डालने वाली होगी। हां कोई शिकायत पहले से होती और फौरी कानून को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने दुरुपयोग किया होता तब तो मैं जरा भी ताम्मुल नहीं करता, फौरन अपने मित्र की बात मान लेता। लेकिन कोई शिकायत न होने पर ऐसा कानून बनाना जिससे बजाय सहूलियत होने के अड़चन हो जब तक अख्तियारात दिये जायं तब तक फसलों का काम तमाम हो जाय फिर देरी भी हो इससे क्या फायदा। इसी तरमीम के सिलसिले में ५० रु० जुर्माने की बात भी कह दी, अपील की भी बात कह दी। इसके बारे में क्या जवाब दूं। उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जब वह प्राविजन आयेगा तब जवाब दूंगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप मानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में आप इतना विश्वास और कीजिये कि वह अच्छे ही अफसरों को डेलीगेट करेगा। इंस्पेक्टर्स तक को अख्तियारात दिये गये हैं लेकिन इसमें तो इंस्पेक्टर को रक्खा भी नहीं गया बल्कि ऐसा आफिसर जिसको अधिकृत करे जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा डिप्टी को डेलीगेट हो सकता है। वह भी अपनी पावर को दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसी सूरत में मैं कहता हूं कि इस तरमीम से बजाय फायदे के जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह जाता रहता है। अगर वक्त पर काम न हुआ तो तमाम फसलें नष्ट हो जायंगी। किसी कानून का यह मंशा हर्गिज नहीं हो सकता कि नुकसान हो, यह जनता के हित के लिये कानून बनाया गया है, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिये नहीं बनाया गया है। अगर गलतफहमी है तो गलत है। तो ऐसी सूरत में अपने दोस्त से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि फिर सोच लें कि इसमें दिक्कत होगी, अड़चन और तबालत होगी। इस वजह से मैं इस को स्वीकार करने से मजबूर हूं।

*श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मौर्य जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जो यह पेश किया कि कलेक्टर को अधिकार दिया जाय कि वह अधिकारी नियुक्त करे, मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूं। इसलिये कि कलेक्टर अपने अधिकार से, अपने अधिकार के अन्दर किसी हाकिम परगना या तहसीलदार या कानूनगो या ऐसे अधिकारी को किसी को मुकर्रर करता है किसी भी काम के लिये तो वह जैसा काम करते हैं वह मंत्री जी को मालूम है। अगर राज्य सरकार किसी को मुकर्रर करती है तो वह अधिकारी जायगा, तो निष्पक्ष होकर काम करेगा। जैसा कि मैं आपके सामने उदाहरणस्वरूप बतला दूं। थोड़े दिन पहले स्पेशल पड़ताल में राज्य सरकार की तरफ से यह था कि जो पड़ताल लेखपाल करेगा उसकी देखरेख के लिये अधिकारी रहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उस पड़ताल में लेखपाल गया। उसमें यह था कि गांवों में वह जायगा तो जा कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोपहर तक वह पड़ताल करेगा उसके बाद बैठ कर दोनों खाते पुराने और नये का मिलान करेगा और शाम को ग्रामाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठ कर खाते खाते को पढ़ कर सुनायेगा और उसको गलत या सही देखने के लिये कानूनगो जायगा, तहसीलदार जायगा, हाकिम परगना जायगा, कलेक्टर जायगा, लेकिन कलेक्टर हमको यकीन है किसी जगह पर नहीं गया, न तहसीलदार गया, न कानूनगो गया। लेखपाल ने अपने घर या किसी एक जगह पर बैठ कर सारी पड़ताल की तो वह स्पेशल पड़ताल में सारा गलत का गलत ही रह गया। ठीक उसी तरह से माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कलेक्टर किसी आदमी को जो अधिकार देता है, तो हमें यह शक है कि वह अपने अधिकार को उचित प्रकार से प्रयोग में नहीं लायेगा। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय मौर्यजी ने रखा है कि सरकार अपनी तरफ से अधिकार देगी, इन बातों को देखते हुए माननीय मौर्य जी का संशोधन बहुत सुन्दर है और मंत्री जी को उसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——माननीय अध्यक्ष महोदय, समझाने का काम मेरा है। माननीय कृषि मंत्री की समझ में नहीं आया। मेरे उनके जाती ताल्लुकात ऐसे हैं कि मैं उनकी बातों को एकदम कैसे कह दूं कि नहीं मानता। इसलिए मुझे तो वापस लेना ही है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब प्रभाव क्षेत्र राज्य सरकार घोषित करेगी तो प्रभाव क्षेत्र के घोषित करने में जो पहला कदम है वह राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है तो कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रभाव क्षेत्र भी घोषित करने का अधिकार दे दें तो और जल्दी हो सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं है तो मैं भी उनकी बात की कद्र करता हूं। और इसे वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति २ में "जल या भूगृहादि" के स्थान पर "या जल" रख दिया जाय। मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि भूगृहादि निकास दिया जाय। आगे धारा ६ में भी भूगृहादि है। लेकिन यह कीट आदि के सम्बन्ध में भूगृहादि में प्रवेश जो अधिकारी चाहे कर सकें, उसको देख लिया जाना चाहिये। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जब कोई अदालत की आज्ञा हो तो वहां सनराइज और सनसेट के पहले कोई न जाय। अगर कोई औरतें हैं जो परदा करती हैं तो उनको बाकायदा अलग हो जाने के लिये मौका दिया जाय। घर के अन्दर प्रवेश करने के लिये जितने भी वकील साहबान हैं, सब जानते हैं कि खासतौर पर हिदायत की गयी है और इस बात की व्यवस्था की गयी है कि मनमाने ढंग पर प्रवेश न किया जाय। यह बात आज तक के कानून में हमेशा देखी गयी है। लेकिन इसमें बीज आदि को देखने के लिये मकान के अन्दर कोई अधिकारी जा सकता है, निरीक्षण कर सकता है और उसके लिये कोई मौका भी नहीं देता, यह नामुनासिब बात है और मैं समझता हूं कि घर के अन्दर जाने की बात होनी भी नहीं चाहिये। फसलें खेत में होती हैं। बीज में अगर रोग होगा तो जब बाहर आयेगा तभी फैलेगा तो अगर इसकी व्यवस्था घर के बाहर ही रहे और खेत, जल वगैरह में ही उनके अधिकारी रहते और घरों के अन्दर जाने का अधिकार उनको न होता तो अच्छा था। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह शब्द "भूगृहादि" निकाल दिया जाय और बाकी स्थल, जल आदि में वह प्रवेश कर सकें। मैं समझता हूं कि इस बात को देखते हुए माननीय मंत्री जी इसको गौर करेंगे कि इसको रखने से उनका कोई लाभ नहीं है और इसको निकाल देने से विधेयक में कोई त्रुटि नहीं आती है और ऐसा कोई डर भी नहीं है कि अगर घर के अन्दर रोग है बीज में तो वह बाहर निकल कर फैल जायगा। वह तो जब चाहे डिस्ट्राय किया जा सकता है, इसको घर के अन्दर घुस करके बरबाद किये जाने की खास आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिये चाहता हूं कि यह निकाल दिया जाय।

***श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**——उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मौर्य जी ने संशोधन पेश किया है उसको वह खुद नहीं समझे हैं। वह कहते हैं कि यह बड़ा गलत होगा कि जब चाहे किसी के घर के अन्दर अधिकारी घुस जायं। यह अधिकार कहीं भी नहीं है। पहले वह क्षेत्र राज्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री]

सरकार द्वारा घोषित किया जायगा, उस के बाद ही अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा। अगर यह निकाल देते हैं तो प्रिमिसेज के अन्दर कंपाउन्ड भी आते हैं और कंपाउन्ड में खेती होती है। उन कंपाउन्ड्स में हो सकता है कि यह रोग हो और वहां से दूसरी जगहों में फैल जाय और बिला वजह सबका नुकसान हो जाय। इसलिये इसकी जरूरत है और इसको रखा गया है। वह जगह तो निश्चित समय के लिये घोषित की जायगी कि इतने समय के लिये यहां यह कार्यवाही हो सकती है। मान लीजिये कि जिस वक्त फसल खड़ी हुई है उस समय रोग फैला और उसके चार महीने बाद ही बोआई का समय आया। तो अगर वही बीज फिर बो दिया जायगा तो उसको फिर जाया करना पड़ेगा। इसलिये इसको रखना ज्यादा अच्छा रहता है और अगर इसको निकाल दिया जाय तो बीमारी का ख़तरा बढ़ जायगा। यह बहुत जरूरी है और इसको रहना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह मतलब नहीं था कि प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित होगा और हमेशा ही कोई घुसता ही रहेगा। मेरा मतलब यह था कि घोषित करने पर बिला किसी प्रतिबन्ध के घुस सकता है। उस के लिये यह नहीं रखा गया है कि घुसने में क्या क्या शर्तें रखी जायंगी। क्या क्या देखभाल होगी, यह बातें नहीं रखी गयी हैं जैसा कि और कानूनों में है। बहरहाल अगर वह समझते हैं कि भूगृहादि के अन्दर घुस घुस कर जाने का अधिकार देने से देश के कीटों का नाश हो जायगा और किसान के जितने ये पौधे हैं सब कीटरहित हो जायंगे अगर घरों के अन्दर घुसने का अधिकार दे दिया जायगा, तो मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जितनी जल्दी वह इसे कर के दिखा सकें, दिखा दें तो अच्छा है।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब भी कुछ गलतफहमी है हमारे दोस्त को। उसमें आक्युपायर के जो लफ्ज हैं जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, वह लफ्ज आक्युपायर यह इस्तेमाल हुआ है धारा ४ में है। उसके माने यह हैं आक्युपायर के कि अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे समय विशेष पर किसी स्थल, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो। उसके बाद धारा ४ में दिया है--धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उस के पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा--

(क) आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि, नाशक कीट पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे।

इसके माने यह हैं.....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--धारा ५ में..... .

श्री हुकुमसिंह--जिसे हम चाहते हैं उसे हम कोट कर रहे हैं, जिसे आप चाहें उसे आप कोट करियेगा।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आक्युपायर में अगर भूगृहादि निकाल दिया जाय तो प्रेमिसेज का आक्युपायर उसमें नहीं आ सकता। फर्ज कीजिये किसी का दस बीघे का कम्पाउन्ड है, उसमें उसने गन्ना भी बोया है, और और भी ऐसी चीजें बोयी हैं जिसमें यह सब रोग लगता है। तो उसको हम किसी तरह से रोक ही नहीं सकेंगे। उनको हम कोई डाइ-रेक्शन दे ही नहीं सकते। तो जब हम कोई डाइरेक्शन दे ही नहीं सकते तो हम दुनिया भर का तो इन्तजाम करें, लेकिन उनके कम्पाउन्ड में जो भूमि है उसका क्या इन्तजाम

होगा। इस वजह से प्रेमिसेज के आक्युपायर का रहना नितान्त आवश्यक है। मौर्य जी के मकान में कम्पाउन्ड नहीं है तो हम उनको थोड़े ही पकड़ेंगे। लेकिन जिसके मकान में है उसे जरूर पकड़ेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जरूरत इस बात की है कि प्रेमिसेज का लफ्ज रखा जाय। यह संशोधन जो दिया गया है यह ऐसा है कि इसके निकल जाने से कुछ लोग जिनसे हानि पहुंचने का अन्देशा हो सकता है, वह लोग इसकी गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे जिससे इसका अभिप्राय ही खत्म हो जायगा। इसलिये इसको रखना आवश्यक है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह वापस लेना है, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति २ में शब्द "पशु" के स्थान पर शब्द "जीव" रख दिया जाय। (ङ) खंड इस प्रकार से है, "परजीवी", पैरासाइट, का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे या पशु से है जो पूर्णतः अथवा अंशतः किसी कृषिक फस्ल, पौधे, वृक्ष, झाड़ी अथवा औषधि पर जीवित रहता हो और जिसे राज्य सरकार धारा ३ के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो "पशु" शब्द रखा गया है, मैं समझता हूं कि अगर यहां "जीव" शब्द रख दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि आपको याद ही होगा कि जिस समय जनरल डिस्कशन चल रहा था उस समय कुछ लोगों ने इस बात का प्रस्ताव दिया था कि इसमें पशु भी आ जाना चाहिये और खास तौर से वह गाय या पालतू जानवर जो कि शहरों में या आस-पास रहते हैं और आस-पास के गांव का नुक्सान करते हैं। अब इसमें जंगली जानवर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके हेडिंग को देखें तो इस में यह है, "उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक" इसमें पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं है कि जो पशु होंगे उनके लिये क्या व्यवस्था करेगी। तो मेरी राय में यह जो शब्द "जीव" है, इसमें ये सब आ जाते हैं। कीट-पतंगे भी आ जाते हैं। पशु से जो माननीय मंत्री जी तात्पर्य निकालना चाहते हैं वह ठीक निकलता नहीं, कीट-पतंगे उसमें नहीं आते। 'जीव' शब्द बहुत व्यापक है। इसलिये यह शब्द उपयुक्त है, इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--मुझे इसमें जरा भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक खतरा है। "जीव" रखने में इन्सान भी आ जायंगे।

श्री जोरावर वर्मा--अगर वह खेती को नुकसान करता है तो वह भी ठीक है।

श्री हुकुमसिंह--अगर इन्सान पर लागू करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम मान लेंगे। लेकिन अगर "पशु" की जगह "पक्षी" कर दिया जाय तो मैं समझता हूं वह ठीक हो, क्योंकि "जीव" एक ज्यादा व्यापक शब्द है, उसमें इनसान भी आ जायगा।

एक सदस्य--वेजीटेबिल भी आ जायगा।

श्री हुकुमसिंह--तो इस दिक्कत को देखते हुये क्या आप प्रेस करेंगे अपनी तरमीम को?

श्री जोरावर वर्मा--"जीव" शब्द मेरी राय में तो अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह उन्हीं के लिये है जो किसानी खेती के लिये नुक्सान पहुंचाते हैं। मनुष्य अगर फस्ल में नुक्सान करता है, किसी प्रकार से उसको नष्ट करता है तो यह उचित ही है कि उस के खिलाफ भी वही कार्रवाई करनी चाहिये जो जीव-जन्तु के खिलाफ है। यदि "पक्षी" रख दिया जाय तो जो नाशक कीट और पतंगे हैं उनके लिये यह शब्द उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये मैं तो इसी बात पर जोर दूंगा कि इसी शब्द को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य तो बिलकुल सत्य है कि नाशक कीट अथवा रोग पास के खेत में न पनप सकें। इसका यह उद्देश्य नहीं है कि जानवर फस्ल में छोड़ दिये जायं तो उन्हें मरवा दिया जाय या कोई पक्षी, कौवा इत्यादि नुक्सान करते हैं तो उन्हें मारना शुरू किया जाय, या जैसा कि कहा गया है कि आदमी भी "जीव" में आता है, वह अगर पहुंच जाय तो उसे भी खत्म किया जाय। इससे उद्देश्य खत्म हो जाता है, चाहे 'जीव' शब्द रखा जाय या 'पक्षी'। उद्देश्य यह है कि रोग नाश करने के लिये, जो ऐसे कीटाणु हैं उन्हें रोकने के लिये यह रखा गया है। इसलिये यह संशोधन मानने के काबिल नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब माननीय मंत्री जी अपने ढंग से किसी भी तर्क को प्रस्तुत करने में सफलता अनुभव करते हैं। पिछले संशोधन में जो माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा, आपका तर्क सुनकर दंग रह गया। आप कहते हैं कि "जीव" रख दिया जायगा तो आदमी भी आ जायंगे और सारा कानून मारने पीटने वाला उन पर भी लागू हो जायगा। इसलिये उसको रखने में घबराते हैं। यह उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक कृषि रोगों को खत्म करने के लिये कीटों को खत्म करने के लिये है। "जीव" के मतलब कीट तो आता है, पर ऐसा कीट जो कृषि में रोग पैदा करता है। आदमी कृषि का रोग नहीं है। किसी तरह से माननीय मंत्री जी अगर यह साबित कर दें कि आदमी भी किसी फस्ल का रोग होता है तो मैं मानने को तैयार हूं। रोग वह नहीं है। तो कृषि के रोग और कीटों को नाश करने के लिये इसमें है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है कि 'पशु' के स्थान पर 'जीव' रख दिया जाय वह ज्यादा उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हुकुमसिंह--इसके मंजूर करने में मुझे दिक्कत मालूम होती है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) की पंक्ति २ में शब्द "पशु" के स्थान पर शब्द "जीव" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ में शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "कामा" रख दिया जाय और शब्द "मेरुहीन (Invertebrate) के बाद शब्द "मेरुयुक्त (vertebrate)" बढ़ा दिये जायं।

कीट दोनों किस्म के हो सकते हैं इसलिये यह संशोधन रखा गया है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--यह संशोधन मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ में शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "कामा" रख दिया जाय और शब्द "मेरुहीन" Invertebrate" के बाद शब्द "मुरुयुक्त vertebrate बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालबहादुर सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (छ) की पंक्ति ३ में शब्द "पत्ते" के बाद "तना, जड़ें" बढ़ा दिये जायं।

इससे परिभाषा कांप्रिहेन्सिव हो जाती है इसलिये रखा है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह भी चूंकि उसके माने को साफ करता है इसलिये इसको भी मंजूर किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (छ) की पंक्ति ३ में शब्द 'पत्ते' के बाद 'तना, जड़ें' बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखंड (ट) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(ट) 'आवश्यक' सूची का तात्पर्य एक ऐसी सूची से है जो सरकार द्वारा बनाई गई है और जिसमें कृषि को हानि पहुंचाने वाले रोग, परजीवी, नाशक कीट, तृणादि का पूरा विवरण हो।"

मैं इसकी आवश्यकता इसलिये समझता हूं कि अभी तक हमारे देश के किसानों को इस बात का भी पता नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हमारी खेती को नुक्सान करती हैं। हमारे देश में बन्दर को हनुमान की सन्तान मान कर उसे भी मारने का रिवाज नहीं। बड़ैला सुअर को भी बाराह औतार समझ कर उसे भी हमारे किसान नहीं दूर करते। नील गाय को गऊ माता समझ कर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जहां किसान ऐसी बहुत सी चीजों को जो खेती को नुक्सान करती हैं उन्हें धार्मिक दृष्टि लेकर दूर करने की भी कोशिश नहीं करते वहां मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से एक ऐसी सूची बनायी जाय जिसमें इसका विवरण हो कि कौन जानवर हमारी खेती को नुक्सान करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर एक ऐसी सूची इसमें जोड़ दी जाय तो अति उत्तम होगा।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसमें सूची का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिये उसकी डेफनीशन देने की जरूरत ही नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामजी लाल सहायक ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस तरह से परिभाषा का शब्द बढ़ाया गया है उसी प्रकार से ऐसे शब्द सूची की परिभाषा उपखंड (ट) करके बढ़ाया जा सकते हैं। जैसे कि श्री राम जी लाल सहायक ने बतलाया कि सचमुच में पशु या कुछ पक्षी या जीव जन्तु हो सकते हैं जो कृषि को नुक्सान पहुंचाते हैं लेकिन हमारे यहां के लोगों की धार्मिक भावना ऐसी है जो जीवमात्र को अपनी बराबरी का दर्जा देने तक में नहीं हिचकते हैं। वह कहते हैं कि "अहिंसा परमोधर्मः" लिहाजा वह इन जीवों के नाश करने का साहस ही नहीं कर सकते हैं। इसलिये यह सही है कि इस प्रकार कोई सूची बन जायगी तो दूसरे किस्म के जो रोग पैदा होंगे और नये किस्म के जीव जन्तु भी पैदा हो सकते हैं जो खेती को नुक्सान करें। इस समय जो कृषि को नुक्सान पहुंचाने वाले रोग, परजीवी, नाशक कीट, तृणादि हैं उनकी एक सूची में समझता हूं कि अवश्य बन जानी चाहिये, जिससे जो देहात के कृषक हैं वह कम से कम यह समझ जायं कि उनके नाश करने में या उनके मारने में हमारी किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती है इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं जो आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन को देखकर जितना आश्चर्य नहीं हुआ था उससे अधिक श्री जोरावर वर्मा का भाषण सुनकर हुआ। उन्होंने यह कहा कि इसमें एक संशोधन लाकर एक आवश्यक सूची का संशोधन उपस्थित कर दिया जाय तब यह लागू हो सकता है इसका अर्थ तो हम समझ सकते हैं लेकिन वह संशोधन कहां है आवश्यक सूची बनाई जाय पहले यह संशोधन रखा जाय तब यह संशोधन लाया जा सकता है और क्योंकि वह संशोधन नहीं है इसलिये

[श्री व्रजबिहारी मिश्र]

उनका सुझाव सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गया। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आवश्यक सूची की परिभाषा न दी जाय तब तक इस सम्बन्ध में कोई बात कहना गलत होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि गवर्नमेंट के बिल में कोई लिमिट नहीं है यानी हम कोई लिमिट नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे लायक दोस्त कहते हैं कि लिमिट कर दी जाय। इस समय तो गवर्नमेंट फ्री है कि चाहे जिस पशु को मार सकते हैं। यदि अभी सूची बना देंगे तो कुछ दिनों बाद नये पशु पैदा होने पर हमें फिर से नई सूची बनानी होगी और फिर से विधेयक लाना होगा और इससे हाउस का लास होगा। यह बिल जिस रूप में गवर्नमेंट ने पेश किया है उसी रूप में रहे तो अति सुन्दर रहेगा और आशा करता हूं कि हमारे दोस्त प्रस्तावक महोदय इसको वापस ले लेंगे।

श्री रामजीलाल सहायक—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापन।

३—जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों को लिये हानिप्रद है और ऐसे रोग, परजीवी नाशक कीट अथवा तृणादि का उन्मूलन अथवा उसके आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम के निरोध का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस क्षेत्र को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय प्रभावित क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है और इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में—

(क) किसी रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा तृणादि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पौधा का रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा हानिप्रद तृणादि प्रख्यापित कर सकती है,

(ख) किसी भी पौधे, भूमि, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने अथवा हटाने को मना कर सकती है अथवा रोक सकती है।

(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (Preventive or remedial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पुनरागम (Introduction Spread and reappearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये आवश्यक समझे, तथा

(घ) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसे पौधे के लगाने अथवा उगाने को मना कर सकती है जो इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में अन्य फसलों के लिये सम्भवतः हानिकारक हो।

श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति के शब्द "को" और शब्द "यह" के बीच में शब्द "कृषि विशेषज्ञों की सलाह से" बढ़ा दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह खंड ३ इस प्रकार से है कि "जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद है और ऐसे रोग, परजीवी नाशक कीट अथवा तृणादि पौधों का उन्मूलन अथवा उसके आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम के निरोध का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस क्षेत्र को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय प्रभावित क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है। "जहां पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ....." उसके स्थान पर राज्य सरकार को कृषि विशेषज्ञों की सलाह से यह प्रतीत हो कि ऐसा मेरा रख देने का विचार है। मैं तो यह समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये। बिना किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सरकार ऐसा प्रख्यापित करेगी मैं ऐसा नहीं समझता हूं। अगर सरकारी का यह इरादा हो कि बगैर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के वह प्रख्यापित कर दे कि फलां चीज हानिप्रद है और फलां चीज लाभप्रद है तो इससे बड़ा अहित होने का डर है। तो मुझे कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इतनी सीधी सी बात है जिसमें कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मालूम यह होता है कि किसी भ्रम से यह बात रह गयी है। मैं समझता हूं कि इतना रख देने से अच्छा रहेगा और कृषि विशेषज्ञों की राय तो सरकार लेगी ही परन्तु वह बात इस ऐक्ट में भी रहे तो अच्छा है।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री गेंदा सिंह जी ने उपस्थित किया है मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है उनके भाषण से भी यह मालूम होता है कि वह स्वयं यह समझते हैं कि राज्य सरकार जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह से काम करेगी। ऐसी बात तो है नहीं कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से कोई काम करती है। राज्य सरकार को तो जब इतमीनान हो जायगा तभी ऐसी बात वह कर सकती है। तो जो चीज बिलकुल प्रत्यक्ष है उसके लिये यह फिकरा जोड़ना फिजूल चीज होगी। इसलिये इसमें यह रिडेंडेंट होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सुझाव के अच्छे होते हुये इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है वह इसलिये कि माननीय गेंदा सिंह जी यह समझते हैं कि यह सरकार जो कुछ भी काम करती है वह बिना विशेषज्ञों की सलाह से करती है। जहां तक मैं समझता हूं जिस विषय का जो भी काम करती है वह उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह लेकर काम करती है। इसलिये यह तो इसमें निहित ही है कि सरकार जो भी काम करेगी वह उस विषय के विशेषज्ञ से सलाह लेकर भी काम करेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब खंड २ में (क) और (ख) हमने पास कर दिये तो इस संशोधन की जरूरत नहीं है। विरोधी पक्ष के ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर से हम अर्ज कर देना चाहते हैं कि कम से कम वह तैयार होकर आवें। बिना विशेषज्ञों की सलाह के राज्य सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं चलती है। हर डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ मौजूद हैं और उनकी सलाह से काम होता है। इसलिये मैं गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। राज्य सरकार कभी-कभी ऐसी गलती करने पर आमादा हो जाया करती है जैसी कि पिछले दिनों देखने को मिली है। राज्य सरकार को अधिकार है कि अपने प्रान्त में मिलों के साथ ज्यादतियां होती क्षेत्रों को मिलावे और निर्धारित करे। इसमें राज्य सरकार की ओर से बहुत गन्ना उत्पादक हैं। सरकार ने जनता की इच्छा के विरुद्ध मिलों के साथ उनके सम्बन्ध किये

[श्री रामेश्वर लाल]

हैं। ए० सी० डी० ओज या डिप्टी जो वहां काम करते हैं उन्हीं की सलाह को मानकर यहां से राज्य सरकार आदेश देती है और जनता की इच्छा का हनन होता है। इसलिये जरूरी है कि कृषि विशेषज्ञों को रखा जाय। यह कोई भी माननीय सदस्य नहीं मानेगा कि सरकार से गलती होती ही नहीं है। हमारे मंत्रियों के लिये यह मान लेना कि वह कृषि के महापंडित हैं ठीक नहीं है। वह कृषि के महापंडित की राय पर चलने वाले हैं। तो माननीय गेंदा सिंह जी ने तो इस संशोधन से माननीय मंत्री जी का कार्य हल्का किया है।

माननीय जोरावर जी की बात मेरी समझ में नहीं आयी। अभी तक वह विरोधी रहे लेकिन आज हो सकता है कि कुछ उपाधि वितरण की लालसा हो या लालच उनको दे दिया गया हो। वह अभी पशु की जगह जीव के लिये लड़ रहे थे उनको कृषि विशेषज्ञों के नाम पर क्यों आपत्ति है? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी हठवादिता से काम न लेकर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि न मैं महापंडित हूं और न महाब्राह्मण हूं। मैं कृषि मंत्री हूं और जनता का सेवक हूं। मेरे मित्र रामेश्वर लाल जी ने तो जोरावर वर्मा जी पर भी आरोप किया। मगर चूंकि यथार्थ में यह तरमीम बिलकुल गैरजरूरी है इसलिये हर समझदार आदमी इसका विरोध करेगा। यह विधेयक है एग्रीकल्चर विभाग की ओर से और आपके कृषि मंत्री उसके मुताबिक काम करेंगे जब आप इसे कानून बना देंगे। उनके मातहत कृषि विभाग के सारे अफसरान होते हैं जो कृषि में विशेषज्ञ कहे जाते हैं। मेरे पास डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं आवेगी। वह जायगी चौधरी चरणसिंह जी के पास। मेरे पास एन्टीमालोजिस्ट की और डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर की जो खेती से सम्बन्ध रखते हैं उनकी रिपोर्ट आवेगी। राज्य सरकार अगर उनकी रिपोर्टों से मुतमइयन होगी तो धारा ३ के अनुसार आदेश जारी करेगी। लिहाजा ऐसी सूरत में जब कृषि विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर अमल करना है तो ये शब्द इसमें बढ़ाना उचित नहीं है। कानून में हर शब्द कांटे पर तौल कर रखा जाता है। अगर एक शब्द भी फाजिल हो तो उसमें बहुत गलती होने की गुंजाइश रह जाती है। ऐसी सूरत में बेकार किताब को मोटा बनाने से कोई लाभ नहीं है। मैं रामेश्वरलाल जी को बता देना चाहता हूं कि बिना मेरे इशारे या सलाह मश्विरे के जोरावर जी ने विरोध किया है। मैं उनको यकीन दिला देना चाहता हूं कि मैं बिना विशेषज्ञों की सलाह के कोई काम न करूंगा और अपनी कामनसेंस के साथ व उनकी सलाह से काम करूंगा। कृषि के पंडित और महापंडित होने का फख्र रामेश्वर लाल जी को हासिल है और एक दफा उन्होंने अपनी विद्वता की यहां बात भी कही थी। मैं तो खेतिहर हूं। मैं मक्खी का स्थाने मक्खी करने वाला नहीं हूं। इसलिये मैं गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही यह निवेदन किया था कि सरकार अगर कोई इस प्रकार का प्रख्यापन करेगी तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करेगी और इसलिये मैंने यह सोचा था कि इस खंड में यह स्पष्ट रहे तो फिर कोई शुबहे की गुन्जाइश नहीं रहेगी। इस विधेयक में सबसे अधिक अगर किसी अधिकारी का नाम आया है तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आया है। मुझे शक जरूर होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रधान पार्ट प्ले करने वाला इस विधेयक में बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यदि कृषि अधिकारी भी होता और कृषि के बारे में भी जानता तो मैं भी समझता कि वह कृषि के बारे में भी जानता है और कृषि के कार्य को जानने के बाद, ऐसा दर्जा पास करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति न होती कि उसको अधिकार दे दिया जाय और फिर उसमें कोई आपत्ति होने की संभावना भी नहीं थी लेकिन जब मैंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परिभाषा में जोड़ना चाहा तो उसको मान

नहीं जिनका कि प्रत्यक्ष खेती-बारी से संबंध होता है, इसलिये मुझे यह आवश्यकता पड़ी कि यह शब्द रखूं कि सरकार कृषि विशेषज्ञों की सलाह से प्रख्यापन करे।

मैं शुरू में समझता था कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा और इस संशोधन पर किसी खास बहस की आवश्यकता भी न होगी, लेकिन यह संशोधन झगड़े में पड़ गया और सबसे अधिक झगड़े की बात यूं हो गयी कि हमारे दोस्त जोरावर वर्मा ने उसका विरोध कर दिया। मैं माननीय जोरावर वर्मा के विरोध की वकत करता हूं। अगर मैं उनको नहीं समझा पाया तो मैं यह जरूर समझता हूं कि उसमें मेरी अपनी खामी जरूर है और मैं कोशिश करूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी को अपनी बात समझा पाऊं। लेकिन जब उन्होंने भी हमारे संशोधन का विरोध किया है तो मैं सोचता हूं कि इसको किसी दूसरी तरह से ही इस बात को सोचूं और अगर मेरे दोस्त मुखालिब हों तो कृषि मंत्री जी ने भी इसके बारे में हमें आश्वासन दिया है कि वह जो कुछ भी कार्य इस बारे में करेंगे वह कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही करेंगे। इन दो बातों पर विचार करके, कृषि मंत्री जी बुरा न मानें मैं कुछ जिद भी करता अपने संशोधन को मनवाने की, लेकिन क्योंकि मैं जोरावर वर्मा जी को नहीं समझा पाया हूं इसलिये इसको वापस लेता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कार्य करेंगे।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "स्थानीय" निकाल दिया जाय और पंक्ति २ में "रोग हानिप्रद है" के स्थान पर "पौधों का रोग, नाशककीट, परजीवी अथवा हानिप्रद तृणादि का प्रभाव है" रख दिया जाय।

यह संशोधन केवल शाब्दिक है। इससे आशय और स्पष्ट हो जाता है और इसमें जो शब्द "हानिप्रद" दो बार आया है वह भी नहीं रह जाता है और उसका आशय भी ठीक हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि——

"जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र इसमें 'स्थानीय' रिडेन्डेंट है में कोई रोग नाशक, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद है" के स्थान पर "पौधों का रोग नाशक कीट, परजीवी अथवा हानिप्रद तृणादि का प्रभाव है" रखा जाय। इसके द्वारा मेरा कहना यह है कि अगर वह क्षेत्र प्रभावित है तो सरकार उसको प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है लेकिन उसमें लिखा है कि अगर हानिप्रद है तो प्रभावित घोषित कर सकती है और प्रख्यापित कर सकती है। तो "क" के अन्दर तो प्रख्यापित कर सकती है लेकिन पहले ही से कोई रोग हानिप्रद है तो उस क्षेत्र को वह प्रभावित घोषित कर दे और जब वह प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दे तो देखे कि कौन-कौन से रोग और कीट वगैरह हैं जो हानिप्रद हैं, मेरा आशय केवल यही है। अगर ऐसे नाशक कीट वगैरह का प्रभाव है तब उसे प्रभावित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिये और अगर यह प्रश्न स्थानीय हो और हानिप्रद हो तो उस क्षेत्र को प्रभावित घोषित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को मान लेने से कोई कानूनी दिक्कत होती नहीं है। इससे जरा स्पष्ट हो जाता है कि वह क्षेत्र जहां इसका प्रभाव हो उसे प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय और "स्थानीय" को निकाल दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन के पहले भाग का ताल्लुक है यानी "स्थानीय" शब्द को निकाल दिया जाय वह मुझे स्वीकृत है लेकिन जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है जैसा कि हमारे मित्र ने कहा है कि महज शाब्दिक है, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। शाब्दिक नहीं है बल्कि यह सब्स्टेंस चेंज करता है, उसमें तब्दीली पैदा करता है। ऐसी सूरत में मैं उसे मंजूर करने में असमर्थ हूं। जो मौजूदा शक्ल है वह यह है, मैं श्रीमान् की आज्ञा से उसकी दो तीन लाइनें पढ़ दूं। "जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद है," अगर हम अपनी तरमीम को मंजूर करते हैं तो हानिप्रद महज तृणादि के लिये आता है। रोग, नाशक कीट, परजीवी उसकी सीमा के अन्दर नहीं आता है और इसका अर्थ बिलकुल बदल जाता है। ऐसी

[श्री हुकुमसिंह]

सूरत में हम इसको शाब्दिक तरमीम नहीं मानते । मैं समझता हूं कि यह उसके मतलब को खब्त कर देता है । जो मौजूदा शक्ल है वह बिलकुल ठीक है और उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा इस हिस्से का मैं विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में जो बिल है उसमें ट्रांसलेशन हिन्दी में डिजीज शब्द केलिये तो रोग है, पेस्ट के लिये नाशक कीट है, पैरासाइट के लिये परजीवी है, विधेयक में पहले 'परजीवी' किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी दी जा चुकी है क्या यह ठीक है ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां "परजीवी" को डिफाइन किया है क्लाज २ में ।

श्री अध्यक्ष--'तृणादि" से क्या तात्पर्य है ?

श्री हुकुमसिंह--तृणादि से तात्पर्य पौधों से तो नहीं होगा । आपको झांसी का तजुर्बा है । वहां कांस जैसे होती है वह तृणादि में आयेगी, पौधों में नहीं आयेगी ।

श्री अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि यह इस तरह से होना चाहिये कि "जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि जो किन्हीं पौधों के लिये हानिकारक है ।"

श्री हुकुमसिंह--"जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि जो पौधों के लिये हानिप्रद है" यह तात्पर्य इसका है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मैंने जिस तरह रक्खा है उसका अर्थ यह होगा कि केवल तृणादि का प्रभाव रहेगा बाकी सब व्यर्थ हो जायगा, यह बात तो हिन्दी की लैन्गुएज से नहीं निकलती है । जब "रोग, नाशक कीट, परजीवी" रक्खा जाता है तो सबका प्रभाव आ जाता है केवल तृणादि का प्रभाव रहता है यह बात नहीं है । लेकिन चूंकि "स्थानीय" को स्वीकार कर रहे हैं और बाकी को नहीं इसलिये मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं, उससे कोई खास बात नहीं होती । वैसे भाषा में कोई चेंज नहीं होता स्थानीय वाला रहने दिया जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन का दूसरा भाग वापस लिया गया)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "स्थानीय" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में "पौधा" के स्थान पर "पौधों" कर दिया जाय । यह परिभाषा में "पौधों" तो दिया हुआ है इसलिये "पौधा का रोग" न रखकर "पौधों के रोग" रख दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में "पौधा" के स्थान पर "पौधों" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लालबहादुर सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "पौधे" के बाद शब्द "तथा उसके भाग जैसे कि बीज, फल, पत्ते, तथा जड़, छाल या कलम (Cuttings) "बढ़ा दिये जायं। जिस तरह से पौधों के हटाने की व्यवस्था है वैसे ही इन वस्तुओं के हटाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। ये भी रोगयुक्त हो सकते हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस संशोधन से इस सेक्शन का मतलब साफ हो जाता है लिहाजा इसको भी मंजूर करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका विरोध है। इसलिये विरोध है कि मंत्री जी ने शायद परिभाषा को देखा नहीं, पौधे की परिभाषा को। इसलिये एकायक मंजूर करने की बात कह दी। इसमें लिखा हुआ है 'पौधे' के अन्तर्गत सभी उद्यान सम्बन्धी तथा कृषिक "फस्लें, वृक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (herbs) हैं तथा इसके अन्तर्गत इनके बीज, फल, पत्ते, छाल, कलम (Cuttings) अथवा भाग भी हैं।" माननीय सदस्य ने एक शब्द और जोड़ दिया वह भी आ गया है। इसलिये इन शब्दों के जोड़ देने से विधेयक सुन्दर नहीं बनता है। मालूम होता है कि मंत्री जी ने आंख मूंद कर इसको देखा है।

श्री लालबहादुर सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वारका प्रसाद मौर्य जी के भाषण से मालूम हो जाता है कि यह अनावश्यक है इसलिये मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गेंदासिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "भूमि" निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो (ख) है वह इस प्रकार है:--

"किसी भी पौधे भूमि, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने या हटाने को मना कर सकती है अथवा रोक सकती है।" यह सरकार के सम्बन्ध में है कि वह ऐसा करने से रोक सकती है, तो किसी के पौधे, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने या हटाने से रोक सकती है, लेकिन भूमि को कैसे रोक सकती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष--भूमि को एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी कैसे जा सकता है, यह भी एक प्रश्न है।

श्री गेंदासिंह--मैं समझता हूं कि इस पर कुछ न करके सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं मुमकिन है कि शब्दों की गलती हो गयी हो, तो फिर माननीय कृषि मंत्री जी इसे समझ कर विचार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी का जो है वह यह है:--

"prohibit or restrict movement or removal of any plant, earth, Soil or, man-nner from one place to another.

उसका तर्जुमा भूमि रखा गया है। इसके मानी मैं यह समझता हूं कि ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है--स्वायल से मलतलब यह है कि जोतीगोड़ी जमीन में, खेतों की मिट्टी लायी जाय, उसे स्वायल कहते हैं। जैसे उसके करीब कोई परती जमीन हो और उसमें कांस जैसी कोई चीज लगी हो, जिसे हानिकारक घोषित कर दिया गया हो तो उसको काट-काट करके लेजा कर खंद के बनाते हैं उसके साथ उसकी जड़ें चली जाती हैं। वह मिट्टी जा कर उसमें जो जड़ें रहती हैं वह पनप जाती हैं तो वहां भी कांस का इजाफ हो जाता है यह बात यहां मालूम होती है, इस वजह से यह बात रखी गयी है। जो तृण ऐसा हानिप्रद घोषित कर दिया जिस जमीन पर हो उस जगह की जमीन खोद करके न ले जाय दूसरी जगह यह बात रखी गयी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय विरोधी दल के नेता ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय कृषि मंत्री जी बजाय इसके कि अपनी गलती को मान लेते और भूमि शब्द को यहां से हटा देते वह हमें उलटा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी को तो हटा लीजिये लेकिन भूमि को कैसे हटाइये। अगर बहराइच को उठाकर गोंडा ले जा रहे हैं तब तो दूसरी बात है। भूमि हट नहीं सकती तो उसको हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष---"अर्थ" और "स्वायल" का जो डिफरेंस है वह बतला दीजिये ? "अर्थ" का हिन्दी में शब्द ले आइये काम चल जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---बिल तो हमारे सामने अध्यक्ष महोदय हिन्दी में है और जनता इसी को समझेगी। मैं तो यह कहता हूं कि अगर भूमि शब्द हटाने से सरकार का कुछ बिगड़ता हो तो न हटाया जाय, कुछ खामी रह जाती हो या वकीलों को कुछ बहस करने का मौका मिलता हो तो इसको रखा जा सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो भूमि हट नहीं सकती है इसलिये भूमि को हटाने की बात नहीं रहनी चाहिये।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अंग्रेजी में चाहे जो शब्द हो, हिन्दी में मिट्टी शब्द दोनों की ही पूर्ति कर देता है। तो भूमि शब्द हटा देना चाहिये क्योंकि यह अनावश्यक मालूम होता है।

श्री हुकुमसिंह---मंजूर है जब सब की राय है तो। मैं हिन्दी का पंडित तो हूं नहीं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "भूमि" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल---अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "भूमि" के बाद शब्द "बीज" रख दिया जाय।

अब माननीय मंत्री जी ने "भूमि" शब्द निकाल दिया है। उसके बाद अब अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो उचित होगा इसलिये कि "पौधे" और बीज में फर्क है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि बीज में कभी-कभी कीटाणु लग जाते हैं और जब वह दूसरी जगह जाकर लगाये जाते हैं या रखे जाते हैं तब दूसरे पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैं निवेदन करूं कि रबी की फसल में एक प्रकार का हरदी का रोग लग जाता है और अगर वह बीज दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वह दूसरे पौधों को भी खराब कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि पौधे और बीज दोनों को रख दिया जाय तो तात्पर्य स्पष्ट हो जायगा।

श्री हुकुमसिंह---"बीज" शब्द बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वह जो पौधों की परिभाषा है उसमें पौधे, बीज सब आ जाते हैं। जब पौधा शब्द इस्तेमाल होगा तो सब चीजें आ जायंगी इसलिये उसकी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह पौधे की परिभाषा में है।

श्री रामेश्वरलाल---मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गेंदासिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा" रख दिये जायं और अन्त के शब्द "तथा" के पहले शब्द "समझे" के स्थान पर शब्द "समझा जाय" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह मेरे संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायगा :--

"(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (preventive or remedial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा किसी हानिप्रद तृणादि परजीवी, नाशक, कीट, पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पुनरागम (introduction, spread and reappearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये आवश्यक समझा जाय, तथा"

जहां पर "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" है वहां मैं यह चाहता हूं कि "डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा" हो जाय। "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" भी उसमें रहेगा लेकिन यह तीन अफसर जिनका खेती से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है उनके संयुक्त निर्णय से जो कुछ तय हो उसके बाद कोई कार्यवाही हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैं समझता हूं कि अभी भी बगैर उनकी सलाह के शायद कुछ करेगा नहीं और न करना चाहिये, लेकिन इन अधिकारियों को भी इस ऐक्ट में ले आने से और उनका नाम दे देने से उन पर भी पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और इस तरह से वह हमारे सामने लेजिस्लेचर के सामने पूरी तरह पर जिम्मेदार रहेंगे। तो इस तरह से गल्तियां कुछ कम होने की संभावना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उचित सलाह न मिल सकी और उचित सलाह न मिलने के कारण गलती हो जाय, तो वैसी हालत के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेना, मैं समझता हूं कि ठीक होगा। ऐसा करने से हम उस गलती से बच जायंगे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दलील देने की जरूरत नहीं है और न समझाने की जरूरत है। इतना कह कर मैं सोचता हूं कि माननीय कृषि मंत्री अपने विचार प्रकट करें, अगर वह स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे दूसरों का वक्त खराब करने और उनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के मंजूर होने के बाद इस उपधारा की शकल यूं होगी :--

"(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (preventive or remedial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा किसी हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव, प्रसार तथा पुनरागम (introduction, spread and reappearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये आवश्यक समझा जाय, तथा"

तो इसमें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पिक्चर से निकल जाता है बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर अगर यह शब्द होंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो निकल गया इस तस्वीर से और इन लोगों को हमने कहीं अपनी धारा २ में डिफाइन नहीं किया है, न एग्रीकल्चर आफिसर को डिफाइन किया है, न प्लानिंग आफिसर का डेफिनीशन दिया है और नहीं केन कमिश्नर का डेफिनीशन दिया है तो ऐसी सूरत में ऐसे दो तीन आफिसर्स का नाम रख देना जिनको हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जिसको हमने रखा है परिभाषा में उसका यहां अन्त हो जाता है, तो यह हमारे लिये बड़ी गड़बड़ है और हम इसे मंजूर नहीं कर सकते।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, यह संशोधन जो इस वक्त सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है, विवश होकर, बाध्य होकर, मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। मान्यवर, यह हो सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

सदस्य यह कहना आरम्भ करें जैसे कि एक माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि जोरावर वर्मा को कि सम्भवतः किसी उपाधि के लिए लालायित होकर उन्होंने उनका विरोध किया है, यदि वह इस लांछन को मेरे ऊपर लगाना चाहें तो मैं पहले ही उनको बता देना चाहूंगा कि यह लांछन उनके घर में ही उनके कल के नेता जो पुराने थे वह स्वयं लगाते हैं। डाक्टर राममनोहर लोहिया स्वयं यह कहते हैं कि ये लोग स्वयं भागना चाहते हैं उस तरफ। तो पहले अपना दामन तो साफ रखें फिर दूसरों से कहें।

श्री अध्यक्ष---यह आप किस संशोधन पर बोल रहे हैं?

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, यह जरूर गलती थी मेरी लेकिन इस वजह से कि इन लोगों को कहीं फिर इस गलती को करने का मौका न मिले, इसलिये इनको सुधारना चाहता हूं ताकि आइन्दा वह ऐसा न कहें।

तो मान्यवर, यह मैं न समझा कि डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर अगर रखा जाता तो उसके लिए तो एक तर्क था, उसके लिए कुछ कहा भी जा सकता था कि वह यह समझ सकते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग है, विशेषज्ञ हैं, वह कुछ बता सकते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर जो हैं वह पराया है, एक डिप्टी कलेक्टर या सम्भवतः कोई जिले ऐसे हों कि जहां पर कि कोई आई० ए० एस० ग्रेड का व्यक्ति हो, तो उसको क्या जानकारी हो सकती है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह आज जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को वह कब से विशेषज्ञ मानने लगे। जहां तक केन अफसर का ताल्लुक है इसमें भी हो सकता है कि वह केन के मुताल्लिक कुछ कह सकें लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर से कुछ कम नहीं जानता। ऐसी परिस्थिति में मैं यह समझता हूं कि केवल डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर को रखना चाहिये तो मैं उनके संशोधन के समर्थन में खड़ा होता। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर इन दोनों को उसमें रखना और उसमें उनका संयुक्त रहना उसके माने यह हुए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो उसमें निकल ही जाता है। तो उनकी जहां तक स्पिरिट है, मैंने कहा नहीं, उस हद तक कोई बुराई नहीं। लेकिन इट इज नाट वेरी हैपिली वर्डेड। अच्छी तरह से उसकी ड्राफ्टिंग नहीं है। उनका भी मंशा उस अमेंडमेंट से पूरा नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में वह इसको वापस लें और आइन्दा यह ख्याल रखें कि जब कोई अमेंडमेंट आवे तो अगर वह उनकी मंशा को पूरा करता हो तब तो वह इस सदन में आना चाहिए नहीं तो मैं समझता हूं कि बिला वजह न उनका मतलब हल होता है और हमारे कृषि मंत्री जी को भी कहने का मौका मिलता है और उसके बाद वह फिकरेबन्दी भी करेंगे कुछ देर के बाद, और यह भी कहना शुरू करेंगे कि उनका वक्त खराब होता है।

श्री हुकुमसिंह---एक दिक्कत यह भी है मैं अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि हर जिले में केन आफिसर है भी नहीं। जहां गन्ना नहीं बोया जाता है वहां केन आफिसर नहीं है। तो इसमें अगर यह रख दिया जायगा तो कहां से हम लायेंगे केन आफिसर कि परामर्श करें। यह भी एक दिक्कत की बात है और एक ऐसी माकूल बात है जिससे इन्कार नहीं कर सकते हमारे मित्र गेंदा सिंह जी, तो इस दिक्कत को देखते हुए तो वापस कर लीजिये।

श्री गेंदासिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को वापस लेने के लिए नहीं तैयार हूं और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से इसके लिये माफी चाहूंगा। मैं क्या करूं, माननीय अवधेश प्रताप जी के लहजे और उनकी अदाओं से मैं बहुत प्रभावित होता हूं, लेकिन मजबूरी है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---खैर कोई कद्रदान तो है।

श्री गेंदासिंह--मैं उनके विरोध के बावजूद भी इस संशोधन को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कठिनाई बताई कि हर डिस्ट्रिक्ट में केन आफिसर नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कैसे यह लाजमी होगा कि डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर जब होगा तभी बोर्ड बन पायेगा। अगर वजूद में ही वहां नहीं है तो यह सवाल ही नहीं उठता है वहां के लिए। जितने लोग बाकी रहेंगे उनका बोर्ड बनेगा।

श्री हुकुमसिंह--यह कायदा नहीं है।

श्री गेंदासिंह--आपनहीं समझते तो ठीक है। मैं तो समझता हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अकेले इस काम को सुपुर्द करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सरकार समझती है कि वह सर्वसम्पन्न है, सारे गुणों का मजमूआ है। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दुनिया की कोई अक्ल उससे बाकी रह नहीं गयी है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, अवधेश प्रताप जी ने फरमाया था कि मामूली एस० डी० ओ० हुआ करता है। उसको डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर कहें तो बात मेरी समझ में आ जाय, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर तो एक दो साल, एक साल या ६ महीने की ट्रेनिंग प्राप्त अफसर होता है और खास तौर से जब हमारा सूबा ऐग्रीकल्चरिस्ट है तो हर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर अगर खेती बाड़ी नहीं जानता है तो ....

श्री हुकुमसिंह--मैं आपकी इत्तला के लिये बता दूं कि प्लानिंग आफिसर खेती-बाड़ी नहीं जानता, इसलिए, यह रखा गया है डिस्ट्रिक्ट ऐग्रिकल्चर आफिसर उसके मातहत कर दिया जाय सलाह मशविरा देने के लिए। तो मातहत और अफसर दोनों मिल कर बोर्ड बनाएं यह कहां तक जायज है?

श्री गेंदासिंह--यह बात मुझे पहले पहल मालूम हुई और यह ज्ञान कराने के लिये मैं मशकूर हूं माननीय कृषि मंत्री जी का कि प्लानिंग अफसर खेती-बाड़ी के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता और अगर वह यह स्वीकार करते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि ऐसा कोई प्लानिंग आफिसर सूबे में नहीं रहना चाहिये जो खेती न जानता हो।

श्री हुकुम सिंह-- अगर बिल आये तो बतलाइयेगा।

श्री गेंदा सिंह--जिले में सारा काम १६ आने में १५ आने खेती-बाड़ी का है। वह क्या प्लानिंग आफिसर होगा जो खेती-बाड़ी न जानता हो। मैं मानता हूं कि अगर ऐसा कोई बिल आवे तो मैं उनका ध्यान उस तरफ दिलाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा और मेरा आज भी विश्वास है और माननीय कृषि मंत्री जी भी इस बात की जानकारी करने की कोशिश करें कि हर प्लानिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ज्यादा खेती बाड़ी जानता है और खेती बाड़ी के सम्बन्ध में उससे ज्यादा योग्यता रखता है।

(इस समय ४ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री मलखान सिंह पीठासीन हुए।)

श्री हुकुम सिंह--ही इज नाट एन एक्सपर्ट।

श्री गेंदा सिंह--मैं तो एक्सपर्ट नहीं कहता हूं। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से वह काम करे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन अफसर और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर रखे जायं। तो अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी की इस उक्ति से सहमत नहीं हो पा रहा हूं और मैं फिर उनसे कहता हूं कि, जिद कैसे कहूं जरा हमारे बड़े हैं, इसलिए जिद नहीं कहूंगा। लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि उन्हें

[श्री गेंदासिंह]

कुछ शब्दों से बड़ी मुहब्बत हो गयी है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लफ्ज से बड़ी मुहब्बत हो गयी है।

श्री हुकुमसिंह---सब अपने हैं।

श्री गेंदासिंह---मैं कहां कहता हूं कि बिराने हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफ़िसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर, डिस्ट्रिक्ट केन अफसर को क्यों बिराना समझ रहे हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपना समझ रहे हैं उसी तरह से उनको भी अपना समझ कर इस काम में उनकी भी सलाह ले लीजिये, उनकी सलाह से कोई काम होगा तो कम क्षति होने की गुंजायश है। माननीय अवधेश प्रताप जी ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर का मैं प्रस्ताव करता तो वह राजी हो जाते। फैजाबाद में तो वे तीनों अफसर हैं जो मैंने रखे हैं, लेकिन यह कानून केवल फैजाबाद के लिए तो बन नहीं रहा है, यह तो सारे सूबे के लाभ के लिये बन रहा है। मैं समझता हूं कि इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए सरकार को और हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर ले। लेकिन अगर यह तय हो गया हो कि नहीं, हमारा यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन अगर सरकार मान ले तो अच्छा है। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि माननीय मंत्री जी वैसे तो शायद अभी महसूस कर रहे हों कि मेरा संशोधन ठीक है और अगर अभी नहीं तो जरा देर बाद करेंगे।

श्री हुकुमसिंह---अब कुछ नहीं कहना है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ग) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर तथा डिस्ट्रिक्ट केन अफसर के संयुक्त निर्णय द्वारा" रख दिये जायं और अन्त के शब्द "तथा" के पहले शब्द "समझे" के स्थान पर शब्द "समझा जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नागेश्वर द्विवेदी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (घ) की पंक्ति ३ में से शब्द "सम्भवतः" निकाल दिया जाय।

श्रीमान्, यह जो "सम्भवतः" शब्द इसमें रखा गया है इससे सम्भावना के ही आधार पर किसी भी पौधे या फस्ल के नष्ट करने की आज्ञा दी जा सकती है और इस तरह से अनायास ही किसान दूसरे लोग परेशान किये जा सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह शब्द हटा दिया जाय जिससे यह हो जायगा कि निश्चित रूप से जिसके सम्बन्ध में यह निर्णय किया जायगा कि वह हानिकारक है उसी के सम्बन्ध में यह कार्यवाही की जायगी। मैं चाहता हूं कि यह संशोधन मंजूर किया जाय।

श्री हुकुमसिंह---दुनिया में यह चीज बड़ी मुश्किल है और खास कर मर्जों के मामले में कि निश्चित रूप से कोई कह दे कि यह फलां शख्स को नुकसान करेगा।

श्री गेंदासिंह---अपने को आप मानते हैं या नहीं।

श्री हुकुमसिंह---उसका इम्तहान ले सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि "सम्भवतः" इस वजह से रखा गया है कि अगर कहीं जरा भी लाइकलीहुड हो तो इस दफा का प्रयोग किया जा सकता है। छोटे-बड़े सभी मर जाते हैं, बड़े-बड़े डाक्टर

हैरान हो जाते हैं। हमेशा "सम्भवतः" का ही आधार लेकर दवाई प्रेसक्राइब की जाती है। लिहाजा अगर यह दफा निकाल दी जाय तो सारा मतलब ही खत्म हो जायगा। कल को रिट दाखिल हो जाय या कम्पेंसेशन का दावा हो जाय तो लेने के देने पड़ जायंगे। इसलिये यह सम्भवतः का लफ्ज रखा जाय। अंग्रेजी में "Likely to injurious" लफ्ज हैं। यह उसी का हिन्दी तर्जुमा है, इसलिये यह बहुत जरूरी है। अगर यह मंजूर कर लिया जाय तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी——मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वर लाल——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (घ) की पंक्ति ३ में शब्द "हानिकारक" के बाद शब्द "होता रहा हो, या प्रत्यक्ष हानिकारक हो"। बढ़ा दिये जायं।

अभी माननीय मंत्री जी ने सम्भवतः पर जोर दिया कि सम्भवतः अनुमान पर आधारित है और सम्भवतः के सम्बन्ध में जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया वह मैंने सुना। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कोई पौदा या बीज नुकसान पहुंचा देगा। पहले जो किसी पंडित की बात कही उस पर आप नाराज हो गये। निश्चित रूप से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि उन बीमारियों से ग्रसित पौदे को लगाते हैं तो उससे जो बीज या फसल पैदा होगी वह निश्चित रूप से खराब होगी। जैसे कि रेड राट की एक बीमारी होती है जो गन्ने के किसी खेत में लगने के बाद यह जरूरी है कि उस खेत में बीमारी फैलेगी। सम्भवतः अनुमान पर आधारित है "होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो।" यह हो जायगा तो अनुमान और अनुभव दोनों इसमें आ जाते हैं। साथ-साथ इस क्लाज में संभवतः रखने से अनुमान आ जाता है जिससे मंत्री जी को बचने की काफी गुंजायश है। होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो तो इसमें अनुभव आ जाता है। मैंने अनुमान और अनुभव दोनों को संयुक्त कर दिया है। इसीलिये मैंने इसको रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर करेंगे।

श्री हुकुमसिंह——अधिष्ठाता महोदय, इस तरमीम के माने यह हैं कि अगर यह मंजूर कर ली जाय तो इसकी शक्ल यों होगी कि "सम्भवतः हानिकारक होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो।" जब प्रत्यक्ष है तो सम्भवतः कैसे होता रहा हो। सदन ने सम्भवतः शब्द को मंजूर किया और होता रहा हो के माने तो यह हैं कि साल दो साल वह मर्ज हो चुका हो और बराबर होता आया हो तो उसकी गुंजायश नहीं रहती है और प्रत्यक्ष रूप से हो गया है तब भी गुंजायश नहीं है। शायद हानि का मतलब समझ में नहीं आता है जो शक्ल इसके मंजूर करने से हो जायगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका तात्पर्य यह होगा कि जब मरीज मर जाय तब दवा की जाय। अगर हम देखें कि किसी एक इलाके में जहां पहले ऐसी विपत्ति नहीं आई, ऐसा कोई रोग नहीं लगा हो और ऐसे कोई हानिप्रद कीट पैदा नहीं हुये और पहले-पहल उनकी सम्भावना हो तो इस तरमीम के मंजूर हो जाने के बाद, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले एक फसल इन्तजार करें और सारा गन्ना सड़ जाने दें या सारे गेहूं में गिर्दी लग जाय और तबाह और बरबाद हो जाय। तब हमको हक होगा कि हम कुछ करें तो इसके मायने यह हैं कि अगर कोई ऐसा कानून हो जो आदमी की दवादारू से सम्बन्ध रखता है जब तक हम उस आदमी को देख न लें कि इससे २, ४ आदमी मर जायं तब हम उसके लिये हाथ उठावें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा और इस तरह के कानून से कोई फायदा नहीं होगा। उस इलाके में इस प्रकार होता रहा

[श्री हुकुमसिंह]

है या नहीं तो इस बात को देखने से लाभ नहीं होगा। अगर फौरी कोई बात पैदा हो जाय तो उसी के लिये यह कानून बनाया गया है। हम इन्तजाम करें और हम देखें कि हजारों लाखों का नुकसान हो जाय तो हम कार्यवाही करें तो इस प्रकार के कानून से क्या फायदा? इसलिये बजाय सहूलियत के यह तरमीम और ज्यादा अड़चन पैदा करेगी। जो शब्द रखे गये हैं वह तो शब्दावली को और भी खराब कर देते हैं और उससे और भी शब्दावली खराब होगी। होता रहा भी हो, सम्भव भी हो और प्रत्यक्ष भी हो तो यह बात किसी की समझ में नहीं आ सकती है। जिस तरमीम से शक्ल सूरत खराब होती हो उसको भला कौन मंजूर कर सकता है। लिहाजा मैं रामेश्वरलाल जी से कहना चाहता हूं कि जब तक कोई माकूल तरमीम न हो तब तक मेरे लिये उसको मानने में दिक्कत है। यह माकूल तरमीम नहीं है और अगर कोई मुझे समझा दें तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त तो यह किसी तरह से उचित नहीं मालूम होती है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल--अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी की ओर से सन् १९५४ में और आज सन् ५५ में जो यहां उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक रखा गया है उसमें मेरा यह संशोधन रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इसके पहले माननीय मंत्री जी के पास ऐसे कीटों और पौधों और अन्य नाशक चीजों के संबंध में इस जानकारी के अलावा और अधिक विशेष जानकारी उनको होती और इस बात को कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश होती तो शायद उनको इस विधेयक के लाने की यहां पर आवश्यकता नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था और मेरा यह विश्वास है कि अपने प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कीट और पौधे पाये गये हैं जिनके बारे में हमारी सरकार को हमारे मंत्री जी को जानकारी नहीं होगी। श्रीमान्, एक पौधा होता है जो गन्ने की फसल को बहुत हानि पहुंचाता है उसको हमारी तरफ अगिया कहते हैं। वह अक्सर गन्ने की फसल में पैदा हो जाता है। उस फसल में चाहे कितना भी पानी बरसे लेकिन वह गन्ने को जला कर खत्म कर देता है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इतने विशेषज्ञ नहीं हैं जितने कि देहात के अनुभवी बूढ़े जानकारी रखते हैं। उन लोगों की जानकारी इन पौधों के सम्बन्ध में ज्यादा होती है जो कि खेतों को बरबाद करते हैं। इसलिये सम्भवतः होता रहा हो, या प्रत्यक्ष हानिकारक हो, ये शब्द रखे गये हैं। मैं चाहता हूं कि जो जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है वह उनको जानकारी हो जाय। इसी वजह से इन शब्दों की गुंजाइश रह जाती है जो कि मैंने ऊपर बतलाये हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिन्दी के किसी विशेषज्ञ से इस बात को पूछ लिया जाय कि व्याकरण की दृष्टि से इनमें कोई शब्द गलत है या नहीं। इसीलिये मैंने कहा है कि यदि हमारे इस संशोधन को मान लिया जाय तो यह कठिनाई दूर हो जायगी मुझे शक है माननीय मंत्री जी और उनके विभाग पर कि उन्होंने नाशक कीटों के बारे में पूरी छानबीन कराई है इसलिये मैंने सम्भवतः के साथ यह रखा है। यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री शिवनारायण--"सम्भवतः" शब्द पर मुझे भी संदेह है।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमान् जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि जब इधर से मूवर ने उत्तर दे दिया तो फिर कोई स्पीच नहीं हो सकती।

अधिष्ठाता--(श्री हुकुम सिंह से) आप बोलें।

श्री हुकुमसिंह--मुझे तो दो मर्तबा बोलने का अधिकार है। मैंने अपनी मंशा समझाने का भरसक प्रयत्न किया। जब मैंने अपनी तकरीर खत्म की थी तो मुझे पूरा विश्वास था कि रामेश्वर लाल जी मेरी बातों पर गौर करेंगे और अपनी तरमीम के नकायस पर दोबारा

सोचेंगे। इस तरमीम से माने खब्त होंगे और धारा की शक्ल भी बिगड़ जायगी। लेकिन मुझे उनके भाषण से निराशा हुई। उन्होंने मेरी कठिनाइयों पर जरा भी तव्वजह नहीं दी। मैंने उनकी तरमीम को समझने की कोशिश बहुत की मगर जब ऐसे शब्द लाये जावे जिनके कोई अर्थ ही न हों तो मैं क्या करूं। मैं फिर अपने मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया वह इसे वापस ले लें और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सदन उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा।

श्री रामेश्वरलाल--मैं वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (घ) की पंक्ति ३ में शब्द "हानिकारक" के बाद शब्द "होता रहा हो या प्रत्यक्ष हानिकारक हो" बढ़ा दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना से संबंधित १९ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न १४ व १५ के विषय पर विवाद

अधिष्ठाता--अब कन्धारी बाजार सामान्य सुधार योजना से सम्बन्धित श्री श्रीचन्द्र द्वारा २९-३-५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न १४ व १५ के विषय पर नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फर नगर)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, यह कंधारी बाजार सामान्य सुधार योजना १९३५ में आरंभ हुई थी और इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय कौंसिल हाउस के नजदीक बड़े बड़े अफसरों की कोठियां बनवाने की तजवीज थी परन्तु इस समय इस बात की ज्यादा जरूरत है कि सामान्य जनता के हितों पर विचार किया जाय और उसकी सहूलियतों को देखा जाय। फिर सन् १९३९ में चार साल के पश्चात् उत्तर प्रदेश की प्राविन्शियल गवर्नमेंट ने स्कीम को मंजूर किया और उसका गजट २८ अक्तूबर १९३९ को हुआ। जिस समय यह योजना मंजूर हुई उस समय अगर जरूरत थी तो टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की दफा ४२ की उपधारा (१) के अनुसार यह स्कीम तुरन्त लागू हो जानी चाहिये थी लेकिन अब १६ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसका अर्थ यह है कि यह ऐक्ट बालायेताक रख दिया गया, उसकी कोई परवाह नहीं की गयी और इन १६ सालों में कंधारी बाजार के गरीब आदमियों की हानि हुई है। उसका कुछ वणन सदन के सामने मैं कर देना चाहता हूं।

मैंने स्वयं इस जमीन को देखा है जिसकी ११ बीघा पुख्ता जमीन है, जिसमें १६ परिवार रहते हैं तथा उसमें अच्छी-अच्छी इमारतें भी हैं, खाली जगह भी है। २९ मार्च, १९५५ को एक प्रश्न किया गया था उसके जवाब में सरकार ने बताया था कि घनी आबादी के कारण इसको सुधार योजना में लिया जा रहा है। मैंने स्वयं देखा है कि कंधारी बाजार में जो घर आबाद हैं और जितनी खुली जगह वहां पर है उतनी लखनऊ में शायद ही कहीं हो। उसको सुधार में लेने का कारण केवल यही था कि वहां पर आफीसरों के बंगले बनाये जाने वाले थे। १६ साल हो गये लेकिन वह उसी तरह से है। इस सम्बन्ध में जनता की जो हानि हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और उसका मुआविजा देना चाहिये, मुआविजा वसूल किया जा सकता है और उसको देना भी चाहिये। इसके साथ ही मैं एक बात और आप से निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि जिस समय यह पास किया गया था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और सामान्य सुधार के लिये यह जमीन ली जाय तो उस समय यह भी प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिये था कि वहां के जितने रहने वाले हैं उनके रहने के वास्ते दूसरी जगह नियत कर देनी चाहिये थी। जब कि दूसरे स्थानों से हमारे उत्तर प्रदेश में लोग आकर बसते हैं तो उनके लिये मकानात का इन्तजाम किया जाता है फिर कोई कारण नहीं मालूम होता कि अब तक इस पर विचार नहीं किया गया। इसलिये यदि उनकी जमीन ली जाती है तो हमें

[श्री श्रीचन्द्र]

यह भी सोचना होगा कि उनके मकान कहां बनाये जायं, उनको कहां जगह दी जाय ? इस १६ साल में एक काम्पीटेंट आफीसर ने कुछ जगह को नीलाम भी कर दिया है और जन साधारण ने उस जमीन को ले लिया है। यदि उनके पास से यह जमीनें ले ली जाती हैं इस स्कीम के अनुसार तो जो जमीन नीलाम कर दी गयी है वह भी वापिस लेनी पड़ेगी और उस पर गवर्नमेंट को १५ प्रतिशत रुपया अधिक देना होगा। ऐसा ही नहीं कि यह जमीन १५ प्रतिशत रुपया दे कर वापिस ले ली जाय बल्कि उसके साथ एक ट्रिब्युनल बैठाना पड़ेगा।

(इस समय कोरम न होने के कारण घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुन: आरंभ हुई।)

१५ प्रतिशत अधिक रुपया यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट १९१९ की धारा ५७ के अनुसार देना होगा और ट्रिब्युनल भी बैठाना पड़ेगा जिसके वेतन आदि में बड़ा भारी खर्चा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि सरकार इस स्कीम को लागू करके कुछ अधिक लाभ उठाना चाहती है तो उस स्कीम को शीघ्र आरंभ कर देना चाहिये, अन्यथा इस स्कीम को कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके लिये कानून भी मौजूद है। जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ के सेक्शन ३१ में साफ लिखा हुआ है जिसके अनुसार इसको कैंसिल किया जा सकता है। टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट १९१९ की धारा ४२ में साफ बतलाया गया है कि यह कैंसिल हो सकता है। अब इसके बारे में मुझे सिर्फ यह निवेदन करना है कि यदि इससे जनता का हित है तो यहां से दूसरी जगह मकान बनाये जा सकते हैं और इसके लिये प्रबंध हो सकता है तो अच्छा है क्योंकि यह सरकार जनता की है और अगर जनता का हित है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसके हित को ध्यान में रखते हुए काम करे और अगर वह स्कीम लागू की जाय तो उसे शीघ्र ही आरम्भ कर देना चाहिये और यदि यह ठीक नहीं है और यह स्कीम लागू नहीं की जाती तो यह अच्छा है कि यह मकान उन्हीं के पास रहने दिये जायं जब तक कि उनके रहने का दूसरी जगह प्रबन्ध न हो जाय। मुझे मालूम है कि १६ साल से वहां की जनता आवेदन पत्र भेजती रही है कि किसी आवेदन पत्र को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। सब दरख्वास्ते नामंजूर कर दी जाती हैं। मैंने खुद देखा है कि इन मकानों की कोई दुरुस्ती तक नहीं करता है और इसकी वजह से मकान बरबाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं और इससे अधिक नुकसान हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस ओर शीघ्र से शीघ्र कदम उठावे।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)—अध्यक्ष महोदय, यह श्री चन्द्र जी ने बहुत सही कहा कि अक्तूबर सन् १९३९ ई० में यह स्कीम गवर्नमेंट ने मंजूर की थी लेकिन या तो यह स्कीम की बदकिस्मती थी या कुछ दुनियां की कि उसी के बाद ही अक्तूबर में दुनियां की दूसरी जंग छिड़ गयी और जिस तरह से उस जमाने में कोई भी इस किस्म की स्कीम के ऊपर वह गवर्नमेंट जो कि यहां पर नवम्बर-दिसम्बर के बाद आयी, उसके लिये कोई कदम उठाना मुनासिब या जरूरी नहीं समझती थी। नतीजा इस का यह हुआ कि ५,६ वर्ष गुजर गये। उसके बाद जब मौजूदा सरकार आयी तो इसने सोचा कि स्कीम के लिये क्या तरीके कार किये जायं। उस वक्त खयाल किया गया तो यह मालूम हुआ कि जो इसकी गरज है, जिस तरह से हम इस स्कीम को बनाना चाहते हैं वह यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ के मातहत कुछ ठीक तरह से नहीं चल सकती और जो हमारी स्कीम का मकसद है वह पूरा नहीं हो सकता। तब यह तजवीज की गयी कि इस ऐक्ट में कुछ तरमीम कर दी जाय। चुनाचें यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट का एक मसविदा हमारा तैयार हुआ जो इस वक्त हमारे सामने है और यह ख्याल था कि इसको पास करके हम कानून में तरमीम करके इस स्कीम को पूरा कर सकेंगे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि इसी दौरान में कब्ल इसके कि वह तरमीम टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट की पास की जा सके यह राय हुई कि बजाय म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के यहां पर कारपोरेशन कायम किया जाय। चुनांचे जब कारपोरेशन की

राय हुई तो यह फैसला हुआ कि कारपोरेशन बिल में यह जरूरी तरमीमात कर दी जायगी और इसीलिये यह चीज अभी तक नहीं हुई, इसमें गैर मामूली तौर से देर हुई यह मैं तसलीम करता हूं, इतनी देर न होनी चाहिए थी। जो इसके वजूहात थे वह मैंने आपके सामने पेश कर दिए और मेरे ख्याल में सभी मेम्बरान समझेंगे कि ये ज्यादातर ऐसे वजूहात थे जिन पर हमारा काबू नहीं था। जहां तक कारपोरेशन बिल का ताल्लुक है वह मौजूदा सेशन में, उम्मीद है कि मैं सदन के सामने पेश कर सकूंगा और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वह बिल हाउस के सामनेआ जाय।

यह स्कीम जैसा कि मेम्बरान असेम्बली जानते हैं हमारे नए कौंसिलर्स रेजीडेंटस, दारुलशफा से मिली हुई है और उसी की पुश्त पर यह गान्धारी बाजार का महल्ला है। इस में शक नहीं कि वहां कि सराउन्डिग्ज बहुत अनहेलदी है और उसकी जल्द दुरुस्ती की जरुरत है। पहले लखनऊ की एक मास्टर प्लान बनी थी और तजवीज की गई थी कि किस तरह से आरचिटेक्ट बने और तजवीज थी कि यह मौजूदा नया कौंसिलर्स रेजीडेन्स है उसका एक्सटेंशन करना हो या जो मौजूदा विधान सभा है उसका एक्सटेंशन अगर करना हो तो उस सिलसिले में इस जमीन का इस्तेमाल किया जाय। एक स्कीम गवर्नमेंट के सामने है कि यह दारुलशफा के सामने की सड़क बन्द कर दी जाय और कौंसिलर्स रेजीडेंस के उधर से एक सड़क आए और वह हजरतगंज की सड़क में मिल जाय और दूसरी तरफ एक सड़क बना दी जाय और इस सामने की सड़क पर फव्वारा वगैरह बना दिया जाय लेकिन अभी यह सब जेर गौर है और कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। और इसी की वजह से अभी तक गान्धारी बाजार की स्कीम भी मुकम्मल नहीं हुई है। जहां तक वहां के रहने वालों का ताल्लुक है, वह जो अपने मकानों में रहते हैं, वह बहुत कम हैं, उनको नोटिफाई किया जा चुका है, वह तरमीम भी करा सकते हैं, मुमानियत नहीं है लेकिन वह जो तरमीम करायेंगे या मकान में बढ़ायेंगे इस तरह से अगर उनके मकानों की कीमत बढ़ जायगी तो सरकार नोटिफिकेशन के वक्त जो हैसियत थी उससे बढ़ी हुई हैसियत के मुआविजे की जिम्मेदार न होगी, नोटिफिकेशन के वक्त जो कीमत थी वह वाजिबुलअदा होगी वही रहेगी। जो मालिक मकान वहां खुद रहते हैं उनकी कुल तादाद १६ है, बाकी किरायेदार हैं, उनको ऐक्ट के मुताबिक मुआविजा दिया जायगा, वह चाहें तो किरायेदार रख सकते हैं। उनको जो भी सहूलियतें दी जा सकती है वह सरकार मुहैया करेगी। जहां तक मकानदारों का ताल्लुक है उनका तरीका यह है कि उनको जमीन के ऐवज में दूसरी जमीन देते हैं और उनके मकान के मलबे के बारे में यह होता है कि उनको अख्यतार है वह चाहें तो उसको ले जायं या उसको दूसरा मकान बनाने में इस्तेमाल कर लें यह उनकी खुशी पर है। इस लिए इसमें कोई ज्यादती या जबरदस्ती का ख्याल नहीं है, जो कायदे कानून इसके मुताबिक हैं उनके ऊपर अमल किया जायगा और उसी हैसियत से इन मामलात को तय कर दिया जायगा।

इस वक्त जहां तक मेरे पास इत्तिला है वहां पर ४५ प्रापर्टीज थी जिनको कि गवर्नमेंट को एक्वायर करना है। उनमें से ९ हम पहले ले चुके हैं और बकिया हमने नहीं लिये और आगे चल कर हमें लेना है। एक दो प्रापर्टीज ऐसी थी जो कि इवैकुई प्रापर्टी हो गई थी और जो इवैकुई प्रापर्टी के दफ्तर से नीलाम होने को थीं। जहां तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और गवर्नमेंट का ताल्लुक है हम नीलाम की जायदाद नहीं खरीदते। हमारे लिये तो यही है कि या तो लैन्ड एक्जीक्रीशन ऐक्ट के मातहत या प्राइवेट नेगोसियेशब से लें। नीलाम में जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट शरीक हो और बोली बोले तो जो दूसरे बोलने वाले हैं उनमें नहीं कहा जा सकता कि यह जो कीमत दी जा रही है वह सही है या गलत है कम है या ज्यादा है और उसमें एतराज किया जा सकता है। लिहाजा उस तरीके से जहां एवैकुई प्रापर्टी का सवाल है वह तो हल नहीं हो सकता। सैकड़ों एवैकुई प्रापर्टीज थीं और वह डिस्पोज आफ भी हुई। वह मुन्तकिल की गई और जैसे वह मुन्तकिल की गई वैसे ही यह भी मुन्तकिल की गई। बहरहाल गवर्नमेंट का जैसा नोटिफिकेशन जारी है उसी हिसाब से

[श्री सैयद अलीजहीर]

हम इन प्रापर्टीज को जब वक्त आयेगा एक्वायर करेंगे। तो इन वजूहात से मैं अर्ज करूंगा कि कोई खास बात ऐसी जवाब में नहीं कही गई और न गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कोताही हुई है जिसके ऊपर ज्यादा एतराज किया जा सकता हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सदन में तीन बार भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद इसी सेशन में कारपोरेशन बिल लायेंगे आज तक कारपोरेशन बिल इस सदन में पुरःस्थापित किये जाने में क्यों रुकावट पड़ी।

श्री सैयद अलीजहीर—इस सेशन में किसी न किसी दिन आयेगा। सेशन आज तो खत्म नहीं हो रहा है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि दारुलशफा एक्सटेंशन स्कीम पर जब तक कोई निर्णय नहीं कर लेंगे तब तक उस पुराने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम को लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री सैयद अलीजहीर—मैं समझा नहीं कि आपका क्या मतलब है। जाहिर है कि सब चीजें विचाराधीन है। इसमें एक्सटेंशन भी और ऐक्वीजीशन भी सभी चीजें विचाराधीन हैं, कारपोरेशन बिल भी है। यह सब चीजें जेरे गौर हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि दारुलशफा एक्सटेंशन स्कीम पर आप कितने दिन और विचार करने में अन्तिम रुप से लेंगे?

श्री सैयद अलीजहीर—इसका कोई जवाब इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस बात का निश्चित आश्वासन दे सकेंगे कि इसी सेशन में वे कारपोरेशन बिल को पुरःस्थापित कर देंगे?

श्री सैयद अलीजहीर—मेरी पूरी कोशिश यही है कि इसी सेशन में वह पुरःस्थापित हो जाय।

श्री श्रीचन्द्र—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, आज १६ वर्षों के पश्चात्...

श्री रामनरेश शुक्ल—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या मैं जान सकता हूं कि अब इस पर भाषण हो सकते हैं? केवल क्वेश्चन हो सकते हैं भाषण नहीं।

अधिष्ठाता—जी नहीं, वह बोल सकते हैं।

श्री श्रीचन्द्र—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि १६ वर्षों के पश्चात् आज इस लखनऊ की जनता को संतोष होगा। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और शीघ्र से शीघ्र इस स्कीम को चालू करने के लिए जो विश्वास दिलाया है उसको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायगा। मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं कि मंत्री जी ने आज इतने समय के पश्चात् यह भ्रम दूर किया।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर सोमवार, २२ अगस्त, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१९ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

मजदूरों की मांगों की प्रतिलिपि

१--दिनांक २५ अप्रैल, सन् १९४९ से अब तक पिछले पांच साल में जो भी मजदूर निकाले गये हैं उन्हें अपने स्थान पर बहाल किया जावे और इस बीच का उनका कुल वेतन उन्हें दिया जावे तथा निकाले जाने के कारण उनका जो भी नुकसान हुआ है उसे पूरा किया जाये।

२--पहली अक्तूबर, सन् १९५० से ३० सितम्बर, सन् १९५१ तक बोनस आठ आने प्रति रुपया की दर से दिया जाये।

३--पहली अक्तूबर, सन् १९५१ से ३० सितम्बर, सन् १९५२ तक का बोनस आठ आने प्रति रुपया की दर से दिया जाये।

४--पहली अक्तूबर, १९५२ से ३० सितम्बर, सन् १९५३ तक का बोनस आठ आने प्रति रुपया की दर से दिया जाये।

५--त्यौहारों की छुट्टियां पैसा सहित दी जायें।

६--सालाना डयू की छुट्टियां सुविधानुसार दी जायें।

७--डी० एफ० ए० का आधा तनख्वाह में शामिल किया जाये।

८--इस मिल में बहुत से कैटेगरी के मजदूरों की तनख्वाह अन्य जूट मिलों की तनख्वाह से कम है, जैसे सरदार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मैकेनिकल फिटर की तनख्वाहें इत्यादि। इन सब कैटेगरी के मजदूरों की तनख्वाहें अन्य जूट मिलों के अनुसार बढ़ाई जावें।

९--माहवारी तनख्वाह वाले मजदूरों को जैसे क्लर्क, जमादार, मेहतर, सिपाही इत्यादि को सन् १९४८ के पहले जो इन्क्रीमेंट दिया जाता था वह दिया जाये तथा बकाया की पूर्ति की जाये।

१०--आयल मिल के मजदूरों को भी जूट मिल की भांति प्राविडेंट फण्ड और डयु दी जाय।

११--जो मशीनरी मिल के अन्दर हैं उन्हें बराबर चलाया जाये और किसी मशीन को मनमाने तौर पर बन्द करके उन पर काम करने वाले मजदूरों को निकाला न जाये, बल्कि उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाये।

१२--सबस्टिट्यूट मजदूरों का नियमानुसार रजिस्टर रखा जाये तथा सीनियारिटी के अनुसार उन्हें काम दिया जाये।

१३--मजदूरों को मुफ्त मकान, रोशनी, लकड़ी, बाल्टी, चारपाई इत्यादि चीनी मिलों की भांति दिया जाय।

१४--मजदूरों को अपने काम से हटाया न जाये और उनका तबादला एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में न किया जावे।

१५—मजदूरों को नियमानुसार तीन माह बाद परमानेन्ट किया जाये।

१६—मजदूरों के खेल-कूद, लाइब्रेरी इत्यादि का उचित प्रबन्ध किया जाये।

१७—जिन मजदूरों की तनख्वाह में कटौती की गई है उनकी कटौती की पूर्ति की जाये।

१८—सन् १९५३ ई० में जिन-जिन मजदूरों को प्लेग्राफ किया गया है उन्हें मुआविजा नियमानुसार दिया जाये।

आज्ञा से,
ह० सभापति,
३१-३-५४

ह० महताब लाल,
मंत्री,
३१-३-५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर)

१९५३–५४ में पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की जिलेवार संख्या

क्रम-संख्या	जिला	छात्रवृत्तियों की संख्या	क्रम-संख्या	जिला	छात्रवृत्तियों की संख्या
१	देहरादून	१०४	२७	मिर्जापुर	११२
२	सहारनपुर	१२७	२८	जौनपुर	१०७
३	मुजफ्फरनगर	९७	२९	गाजीपुर	१०२
४	मेरठ	१४९	३०	बलिया	१०६
५	बुलन्दशहर	११२	३१	गोरखपुर	१५६
६	अलीगढ़	१२१	३२	बस्ती	९३
७	मथुरा	११२	३३	आजमगढ़	१२७
८	आगरा	१५४	३४	देवरिया	८६
९	मैनपुरी	९१	३५	नैनीताल	१२१
१०	एटा	१०९	३६	अल्मोड़ा	९५
११	बरेली	१२१	३७	गढ़वाल	८४
१२	बिजनौर	११५	३८	लखनऊ	१९२
१३	बदायूं	११२	३९	उन्नाव	१०१
१४	मुरादाबाद	१२९	४०	रायबरेली	९४
१५	शाहजहांपुर	११०	४१	सीतापुर	९७
१६	पीलीभीत	९९	४२	हरदोई	१०९
१७	फर्रुखाबाद	११३	४३	खेरी	१००
१८	इटावा	१०३	४४	फैजाबाद	१२२
१९	कानपुर	१६५	४५	गोंडा	१०२
२०	फतेहपुर	९८	४६	बहराइच	९१
२१	इलाहाबाद	२३३	४७	सुल्तानपुर	९२
२२	झांसी	१२०	४८	प्रतापगढ़	८९
२३	जालौन	१००	४९	बाराबंकी	८९
२४	हमीरपुर	८९	५०	टेहरी गढ़वाल	२७
२५	बांदा	१०१	५१	रामपुर	२७
२६	बनारस	१३८			
				कुल	५,६४३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

प्रदेश में बेकारी दूर करने की योजनाओं पर भारत सरकार से मांगी गई आर्थिक सहायता की तालिका

क्रम-संख्या	योजना का नाम	मांगी गई धनराशि (लाख रुपयों में)
१	घरेलू उद्योगों के विकास की योजना ..	१९२.६०
२	खादी, गुड़, खांडसारी आदि के विकास की योजना ..	८८.२५
३	औद्योगिक और औद्योगिक स्कूलों के पुनःसंगठन की योजना ..	२८८.००
४	कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत औद्योगिक और औद्योगिक स्कूलों के लिये सामान (equipment) खरीदने की योजना ..	२४.३१
५	नगरों में सफाई प्रबन्ध (drainage) के उन्नतिशील करने की योजना	१२७.९३
६	नगरों में पीने वाले पानी के पहुंचाने (supply) के प्रबन्ध को उन्नतिशील करने की योजना ..	२१०.८६
७	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों को उन्नत करने की योजना ..	१६०.००
८	लोकल बाडीज के कम वेतन वाले कर्मचारियों और कम वेतन-वर्गीय लोगों की आवास योजना ..	४००.००
९	सहकारी ईंटों के भट्ठे की योजना ..	३७०.००
१०	एन्टी मलेरिया आपरेशन्स की विस्तृत योजना ..	२०.५०
११	शिक्षित बेरोजगार लोगों को भूमि पर बसाने की योजना ..	६९.६२
१२	पक्की नई सड़कें बनाने की योजना ..	२३६.१४
१३	चुनी हुई कच्ची सड़कों को पक्का करने की योजना ..	१४५.३०
१४	स्थानीय पक्की सड़कों के पुनः निर्माण की योजना ..	१६.००
१५	बड़े पुलों के निर्माण की योजना	५०.२५
१६	छोटे पावर प्लान्ट बनाने और छोटे नगरों में डिस्ट्रीब्यूशन नेट के प्रबन्ध करने की योजना	२९५.००
१७	स्थानांतरित व्यक्तियों के लिये मकान और दुकानें बनवाने की योजना	३८०.००
१८	पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए स्थानान्तरित लोगों को भूमि पर बसाने की योजना	५७.९४
१९	शरणार्थी बस्तियों में तथा अन्य नागरिक क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने की योजना	२५२.५०
२०	रोडवेज की विस्तृत करने की योजना ..	१२०.००
२१	औद्योगिक महत्व के विविध पेड़ों को लगाने की योजना ..	८.००
२२	खेल के सामानों के लिये मलबेरी और ऐश के पेड़ों के बाग लगाने की योजना	३.००
२३	बेरोजगारी दूर करने के लिए बागों के लगाने की अतिरिक्त योजना	४.००

क्रम-संख्या	योजना का नाम	मांगी गई धनराशि (लाख रूपयों में)
२४	गण्डक नहर योजना	१९१.५५
२५	दोहरी घाट नहर योजना	१२९.००
२६	टान्डा पम्प नहर योजना भाग १	४५.००
२७	माता टीला बांध योजना	६०.००
२८	झांसी जिले में बन्धियां बनवाने की योजना ..	२०.००
२९	हिन्द-तिब्बत सीमा के क्षेत्र को विकसित करने की योजना ..	२१२.००
३०	शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिये शिक्षा योजना ..	१७५.५
३१	युवक कल्याण योजना	३०.४८
३२	इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन स्थापित करने की योजना ..	७.५०
३३	घरेलू उद्योगों के विकास की योजना ..	७१.७१
३४	पिछड़े हुये क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों के विकास की योजना ..	२०.०
३५	प्रदेश की आर्थिक महत्ववाली सड़कों के उन्नत करने की योजना	१४९.००
३६	ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी पहुंचाने की योजना ..	१२६.९८
	योग ..	४७५८.९२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

विवरण पत्र "क"

आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर जिलों में हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त करने वाली पाठशालाओं और पुस्तकालयों की संख्या इस प्रकार है :

जिला	पाठशाला	पुस्तकालय
आजमगढ़	२४	—
देवरिया	५७	१५
जौनपुर	६	८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

विवरण पत्र 'ख'

जिला का नाम	पाठशाला		पुस्तकालय	
	१९५३–५४ में दिया गया अनुदान	१९५४–५५ में दिया गया अनुदान	१९५३–५४ में दिया गया अनुदान	१९५४–५५ में दिया गया अनुदान
	रु०	रु०	रु०	रु०
आजमगढ़ ..	१४,३५६	१७,१००	..	..
देवरिया ..	३०,८१६	२८,७१०	६,५८०	७,५५०
जौनपुर ..	३,१८४	१,५४०	३,६९६	२,७५७

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

१—सी० बी० हायर सेकेंडरी स्कूल, तरवा, आजमगढ़।

२—श्री शंकरजी हा० से० स्कूल, पुष्पनगर, आजमगढ़।

३—पटेल मेमोरियल हा० से० स्कूल, अतरौलिया आजमगढ़।

४—गांधी गुरुकुल हा० से० स्कूल, सर्वोदय नगर, मार्टिनगंज, सुरहन, आजमगढ़।

५—गांधी गुरुकुल हा० से० स्कूल, भंरवनाथ, आजमगढ़।

६—श्री शंकर हा० से० स्कूल, डीहा, आजमगढ़।

७—सुखनन्दन हा० से० स्कूल, मठ महमदपुर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़।

८—जनता हा० से० स्कूल, अहरौला, आजमगढ़।

९—पंचायत हा० से० स्कूल, गौरा मेंहनगर, आजमगढ़।

१०—ग्राम समाज महाविद्यालय हा० से० स्कूल, जयनगर (जिगनी), मेंहनगर, आजमगढ़

११—ब्रजपाल हा० से० स्कूल, तेरही, आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

हरिजन सहायक अधिकारी,

डी० ओ० वहं-सं०-३५७३/१६-५२/५ उत्तर प्रदेश।

दिनांक लखनऊ, मई १, १९५२ ई०

प्रिय महोदय,

मैं आप की सूचना के लिए इस विभाग के अन्तर्गत, आपके अधीन कार्य करने वाले सुपरवाइजरों की संलग्न कर्तव्य सूची भेज रहा हूं। कृपया इस सूची के अनुसार उन्हें निर्देशित करें। भविष्य के लिए उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में आपके संशोधन व सुझाव सहर्ष स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,

छेदीलाल,

आई० ए० एस०।

सेवा में,--

समस्त जिला नियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि सूचनार्थ--(१) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(२) समस्त अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।
(३) समस्त चेयरमैन, म्यूनिसिपल बोर्ड।
(५) रीजनल हरिजन सहायक आफिसर, एवं ग्रुप आफिसर।

हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले सुपरवाइजर एवं पंचायत आर्गनाइजर के कर्त्तव्य

इस विभाग के अन्तर्गत जिलों में "नियुक्त कर्मचारियों" की निम्नलिखित श्रेणियां हैं :--

(१) हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर।
(२) परिगणित जातीय शिक्षा सुपरवाइजर।
(३) परगणित जातीय सुपरवाइजर।
(४) पंचायत आर्गनाइजर।

"परिगणित जातीय शिक्षा सुपरवाइजर" इस विभाग के पुनस्संगठन के पूर्व शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे। उनका कार्य केवल शिक्षा तक ही सीमित था। "परिगणित जातीय सुपरवाइजर" रिक्लेमेशन आफिसर के मातहत कार्य कर रहे थे। उनका कार्य कूप निर्माण एवं जातीय पंचायत द्वारा हरिजनों में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना था। पंचायत आर्गनाइजर मूलतः प्रारम्भ में जरायम पेशा (अपराधशील) जातियों में सुधार का काम कर रहे थे। हरिजन सहायक विभाग के स्थापित होने पर हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों की नियुक्ति हुई थी। इस विभाग द्वारा संचालित समस्त हरिजन उत्थान विषयक योजनाओं को अपने क्षेत्र में कार्यान्वित करना उनका काम था।

इस विभाग के केवल अप्रैल, १९५१ के पुनःसंगठन के परिणाम स्वरूप उपरोक्त समस्त कार्यकर्त्ताओं के कार्य में केवल पंचायत आर्गनाइजरों को छोड़कर अब कोई भेद नहीं रह गया है।

सुपरवाइजरों की सर्व प्रथम तीन श्रेणियों की नामावली हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों में परिणत करने के लिये उचित कार्यवाही हो रही है। अब यह समस्त सुपरवाइजर निम्नलिखित

कर्त्तव्य सूची के अनुसार कार्य करेंगे ।

सामान्य--

१---प्रत्येक सुपरवाइजर साल में कम से कम दो सौ बीस दिन अपने जिले या नियोजित क्षेत्र में दौरा करेंगे। संतोष जनक स्पष्टीकरण के अभाव में इतने निर्धारित दौरे न कर सकने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है।

२--सुपरवाइजर के दौरे का कार्य क्रम जिला नियोजन अधिकारी स्वीकृत करेंगे। और उनकी दिन-पत्री (डायरी) का परिनिक्षण भी करेंगे।

३--प्रत्येक मास की डायरी उनके अगले महीने की चौथी तारीख तक जिला नियोजन अधिकारी के पास प्रेषित हो जानी चाहिये (डायरी अथवा पर्यटन कार्यक्रम की प्रतिलिपि हरिजन सहायक अधिकारी के पास प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं।)

४--प्रतिमास यह सुपरवाइजर कुछ अवधि के लिये उप जिला विद्यालय निरीक्षक (डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल) व सुपरिंटेंडेंट आफ एजूकेशन म्यूनिसिपल बोर्ड को परिगणित जाति एवं पिछड़ी जातियों के शिक्षा संबंधी कार्य में सहायता प्रदान करेंगे, जिला नियोजन अधिकारी उक्त अधिकारियों से परामर्श लेकर तिथियाँ निश्चित करेंगे।

५--प्रत्येक सुपरवाइजर के पास निम्नलिखित सूचना सामग्री रहना चाहिये :--

(१) अ--अपने जिले या क्षेत्र का एक मानचित्र, जिसमें मुख्य-मुख्य हरिजन बस्तियां, अपराधशील जातीय बस्तियां तथा उपनिवेश अंकित हों।

ब--अपराधशील जातियों एवं हरिजनों के लाभार्थ इस विभाग द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त अपराधशील जातीय बस्तियां एवं अन्य शिक्षालय।

स--हरिजन सहायक विभाग या अन्य सरकारी निधि से निर्मित कूपों के स्थान।

द--वे स्थान जहां हरिजनों के पीने के लिये स्वच्छ जल की सुविधा न हो।

(२) हरिजनहितैषी कार्य कर्त्ताओं की सूची।

(३) स्थानीय विधान सभा के सदस्यों एवं संसदीय सदस्यों की नामावली।

(४) जिले के मुख्य कुटीर उद्योग जिनमें हरिजन संलग्न हो।

(५) जिले की स्थानीय संस्थाओं के हरिजन सदस्यों के नाम।

(६) जिले के हरिजन और पिछड़ी जातियों की जन-संख्या।

(७) हरिजन सहायक आफिसर, जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय कन्या पाठशाला निरीक्षक द्वारा हरिजन व पिछड़ी जातीय विद्यार्थियों को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की तालिका।

(८) परिगणित व पिछड़ी जातीय विद्यार्थियों की दर्जेवार संख्या जो कि निम्न संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों (क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल, (ख) म्युनिसपल बोर्ड स्कूल, (ग) हरिजन सहायक विभाग से सहायता प्राप्त स्कूल (घ) जिले के स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल (च) जिले के डिग्री कालेज तीन वर्षों के उत्तरोत्तर रिपोर्ट (प्रोग्रेसिव रिपोर्ट) तैयार की जाय।

(९) इस विभाग की निधि से पीने के लिये बनवाये गये कुओं की पतेवार सूची।

(१०) हरिजन सहायक विभाग का आय-व्ययक (बजट) मुख्यतः अपने जिले को प्रदत्त धन का विस्तृत विवरण।

(११) राज्यादेशों की प्रतिलिपियां, परिपत्र, रिपोर्ट एवं हरिजन उत्थान संबंधी साहित्य।

शैक्षणिक--

(१) परिगणित जातीय अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल वा कालेज में नाम लिखाने में सहायता प्रदान करना।

(२) परिगणित जातीय अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करके उनके स्कूल पढ़ने जाने योग्य अवस्था वाले बच्चों को स्कूल भेजने की प्रेरणा करना।

(३) विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले परिगणित जातीय विद्यार्थियों की संख्या तथा उनके प्रगति के आँकड़े रखना और विभिन्न परीक्षाओं में पास हुये विद्यार्थियों की भी संख्या का रिकार्ड रखना।

(४) म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों का निरीक्षण करना और इस बात की जांच करना कि पुस्तकों एवं छात्रवृत्तियों का वितरण समय से होता है या नहीं।

(५) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों का निरीक्षण करना एवं इस बात की जांच करना कि पुस्तकों आदि का वितरण ठीक समय से होता है कि नहीं।

(६) परिगणित जातीय शिक्षा संस्थाओं को राज्य से अनुदान दिलाने के लिये उनका निरीक्षण, उनको दिये गये अनुदान के उचित प्रयोग पर रिपोर्ट।

(७) म्युनिसिपल बोर्ड व जिला बोर्ड के आधीन समस्त प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों का निरीक्षण। एजूकेशनल कोड के नियम ३० के अनुसार हरिजन विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट।

(८) पुस्तक एवं छात्रवृत्ति वितरणार्थ सूची तैयार करके इस कार्य में उप जिला विद्यालय निरीक्षक एवं नगर पालिका के शिक्षा अधीक्षक की सहायता करना।

(९) इस बात का ध्यान, रखना कि जिले के स्कूल व कालेज परिगणित जातीय विद्यार्थियों की फीस मुक्ति संबंधी सरकारी आदेशों का यथा विधि पालन करते हैं या नहीं।

आर्थिक उत्थान--

(१) हरिजन युवकों को विभिन्न औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण के लिये प्राप्त सुविधाओं का प्रचार करना और हरिजनों को उन समस्त सुविधाओं से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहन देना।

(२) हरिजन समुदाय को सरकारी समितियां बनाकर कुटीर उद्योग संचालन के लिये उत्साहित करना।

(३) जिले में कुटीर उद्योग विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक कक्षाओं की एक सूची रखना और उनसे लाभ उठाने के लिये हरिजनों को प्रेरणा देना।

(४) सहकारी विभाग, कृषि विभाग, एवं पशुपालन विभाग आदि से ग्रामीण जनता को दी गई सुविधाओं की सूचना संकलन करना और उनसे हरिजन जनता को अवगत कराना।

(५) जिलाधीश द्वारा दिये गये तकावी और अन्य सहायताओं की सूचना रखना और उनसे लाभ उठाने के हेतु हरिजन जनता को जानकारी कराना।

(६) जिले की पड़ती भूमि की सूचना प्राप्त करना, तथा हरिजनों को वहां बसाने के लिये जिलाधीश से सिफारिश करना।

उत्तम रहन-सहन संबंधी सुविधायें--

(१) पक्के कुओं के निर्माण अथवा जीर्ण कुओं की मरम्मत कराने के लिये आवेदन पत्रों की जांच करना और तत्संबंधी रिपोर्ट जिला नियोजन अधिकारी को देना।

(२) इस बात की जांच करना कि कहां, किन हरिजन बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी सुधार की आवश्यकता है तथा हरिजन जनता को इस कार्य में सरकारी सहायता मिलने के नियमों से अवगत कराकर उनको इस योजना से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करना ।

(३) आदर्श हरिजन बस्तियों के निर्माण में हरिजन जनता को प्रोत्साहित करना।

सामाजिक असमर्थता निवारण विधि कार्य—

(१) सामाजिक असमर्थता निवारण ऐक्ट का प्रचार करना।

(२) उपरोक्त ऐक्ट एवं भारतीय गणतंत्र संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों से हरिजनों को वंचित रखने की शिकायतों की जांच करना।

(३) हरिजनों और अन्य लोगों के बीच सद्भावना वृद्धि का प्रयत्न करना।

प्रचार—

(१) हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लाभार्थ सरकारी योजनाओं को समझाने के लिये सभाएं आयोजित करना।

(२) हरिजनों को समान अधिकार देने की आवश्यकता पर समाज को शिक्षित करना।

(३) हरिजनों के सामाजिक दोषों को दूर करने के लिये प्रयत्न करना।

(५) हरिजनों में मद्य-निषेध का प्रचार करना।

पंचायत आर्गनाइजर के कर्त्तव्य—

(१) जाति उत्थान के लिये परिगणित एवं अपराधशील जातियों में पंचायतें स्थापित करना।

(२) अपराधशील जातियों की पंचायतों को सक्रिय बनाकर उनके द्वारा इन जातियों की अपराधी प्रवृत्ति छुड़ाने का प्रयत्न करना।

(३) हरिजन एवं अपराधशील जातियों की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिये पंचायतें बनाना।

(४) पंचायत रजिस्टर रखना जिसमें पंच-सरपंच, और प्रधान सरपंच के नाम लिखे हों।

(५) पंचायतों के द्वारा अपराधशील जातियों के लोगों के लिये स्वास्थ्यप्रद मनोरंजनात्मक उपाय करना।

(६) पंचायतों से प्राप्त धन का हिसाब रखना।

(७) अपने क्षेत्र की पंचायत की त्रैमासिक रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के पास समयानुकूल भेजना।

छेदीलाल,
आई० ए० एस०,
हरिजन सहायक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

मई १,१९५२ ई०।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९० पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

यह घोषित करने के लिये कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा ;

विधेयक

यह घोषित करना आवश्यक है कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह न करेगा ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। — प्रसार तथा

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। — प्रारम्भ।

२—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश कारपोरेशन के अथवा उक्त ऐक्ट के अधीन तथा अनुसार संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा। — अनर्हता निवारण।

उद्देश्य और कारण

एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ द्वारा उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था है। सदस्य ऐसे शुल्क तथा भत्ते प्राप्त करते हैं, जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियत किये जाते हैं।

२—राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के सदस्यों की नियुक्ति पूर्वोक्त संस्थाओं में की जाती है या की जा सकती है। यह शंका उत्पन्न हुई है कि संविधान के अनुच्छेद १९१ के अन्तर्गत इन संस्थाओं की सदस्यता को लाभप्रद पद समझा जा सकता है जिससे उस पर अध्यासीन व्यक्ति को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह होना पड़े।

३—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत यह घोषित किया जा चुका है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके

द्वारा नियुक्त अथवा किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संगठित या स्थापित किसी कमेटी या बोर्ड के चेयरमैन या सदस्य का पद लाभप्रद नहीं समझा जायगा यदि उस पर अध्यासीन व्यक्ति केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो। इस प्रकार एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश ऐक्ट, १९४८ के अधीन विभिन्न कमेटियों तथा बोर्डों की सदस्यता इस विधायन के अन्तर्गत आ जाती किन्तु इस कारण से नहीं आती कि इन सदस्यों को केवल प्रतिकर भत्ता ही नहीं बल्कि शुल्क तथा भत्ते भी दिये जाते हैं।

४—तदनुसार यह आवश्यक समझा गया कि संविधान के अनुच्छेद १९१ के अनुसार यह घोषित कर दिया जाय कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, १९४८ के अधीन विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता उस पर अध्यासीन व्यक्ति को राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह न करेगी।

अतएव उपर्युक्त उद्देश्य से ही विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९१ पर)

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश, संशोधन) विधेयक, १९५५

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में १८९८ की में उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, संशोधित करने का, ऐक्ट संख्या ५।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ को जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, संशोधन करना आवश्यक है, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :— १८९८की ऐक्ट संख्या ५।

१—(१) यह अधिनियम कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस हेतु सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

२—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४०८ में: १८९८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४०८ का संशोधन।

(क) शब्द "A Sub-Divisional Magistrate of the Second Class or a Magistrate of the first Class or the District Magistrate." के स्थान पर शब्द "any Magistrate" रख दिये जायं, तथा

(ख) खंड (b) के प्रतिबन्धात्मक खंड में से शब्द "or any sentence of transportation" निकाल दिये जायं।

३—मूल अधिनियम की धारा ४०९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय : १८९८ की ऐक्ट संख्या ५ की धारा ४०९ का संशोधन।

"409—*Appeals to Courts of Session how heard*—(1) Subject to the provision of this section an appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or by an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge. :

Provided that no such appeal shall be heard by an Assistant Sessions Judge unless the appeal is of a person convicted on a trial held by any Magistrate of second or third class.

(2) An Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the State Government may, by general or special order, direct or as the Sessions Judge of the division may make over to him."

उद्देश्य और कारण

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ (ऐक्ट ५ ,१८९८) की धारा ४०८ और ४०९ भारत सरकार के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ द्वारा संशोधित हो रही है। राज्य सरकार ने उक्त धाराओं को कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संशोधन) अधिनियम, १९४८ द्वारा उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित किया था। अब केंद्रीय विधेयक द्वारा इन धाराओं को प्रदान किया जाने वाला रूप राज्य विधान मंडल द्वारा संशोधित धाराओं के रूप से कुछ भिन्न है और क्षेत्र में वृहत्तर है, अतः यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में आजकल प्रवृत्त उक्त धारायें इस प्रकार संशोधित की जायं कि जब केंद्रीय विधेयक अधिनियम बन कर प्रचलित हो तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रचालित रूप में उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित हो सके।

सैयद अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९१ पर)

उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन)—विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में मंदिरों तथा धार्मिक निबन्धों के सुप्रशासन की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में मंदिरों तथा धार्मिक निबन्धों के सुप्रशासन की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निर्दिष्ट करे।

अधिनियम का लागू होना।

२—यह अधिनियम समस्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर लागू होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी भी ऐसी संस्था को इस अधिनियम के किसी अथवा समस्त उपबन्धों के प्रभाव से मुक्त कर सकती है तथा इसी प्रकार ऐसी मुक्ति को बदल सकती है अथवा उसे परिवर्तित या निरस्त (cancel) कर सकती है।

अधिनियम को जैनियों तथा सिक्खों की धार्मिक संस्थाओं पर लागू करने का अधिकार।

३—राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के किसी अथवा समस्त उपबन्धों को जैनियों अथवा सिक्खों की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर लागू कर सकती है और तदुपरान्त पूर्वोक्त उपबन्ध ऐसी संस्थाओं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो "हिन्दू" तथा "हिन्दुओं" इन पदों के अन्तर्गत क्रमशः पद "जैन" तथा "जैनियों" अथवा "सिक्ख" तथा "सिक्खों" जैसी भी दशा हो, आ जाते हों।

परिभाषायें

४—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "क्षेत्र समिति" से तात्पर्य है धारा ८ के अधीन संगठित क्षेत्र समिति है,

(ख) "सहायक आयुक्त" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त.

(ग) "आयुक्त" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन नियुक्त आयुक्त,

(घ) "जांच अधिकारी" से तात्पर्य है धारा ५ के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी,

(ङ) "मठ" से तात्पर्य है ऐसी हिन्दू धार्मिक संस्था जिससे सम्पत्ति सम्बद्ध हो और जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता हो जिसका कर्तव्य किसी शिष्य समुदाय को धार्मिक उपदेश देने में अपने को संलग्न रखना अथवा उसकी आध्यात्मिक सेवा करना हो अथवा जो ऐसे समुदाय की आध्यात्मिक अध्यक्षता (Headship) करता हो अथवा करने का दावा करता हो, तथा इसमें धार्मिक उपासना अथवा शिक्षा के ऐसे स्थान सम्मिलित हैं जो उक्त संस्था से सम्बद्ध हो,

स्पष्टीकरण—यदि किसी मठ का मुख्यावास (Headquarters) राज्य के बाहर है, परन्तु उस मठ की सम्पत्ति राज्य के भीतर है, तो जहां तक राज्य स्थित सम्पत्ति का सम्बन्ध है उस पर नियंत्रण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रखा जायगा।

(च) "नियत" से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत,

(छ) "धार्मिक संस्था" से तात्पर्य है मठ, मन्दिर अथवा धार्मिक निबन्ध,

(ज) "धार्मिक निबन्ध" से तात्पर्य है मठ अथवा मन्दिर की समस्त सम्पत्ति तथा उसमें निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये दी गयी अथवा निबंधित सम्पत्ति भी सम्मिलित है—

(१) मठ या मन्दिर की सहायता अथवा,

(२) मठ या मन्दिर से संबद्ध कोई सार्वजनिक ढंग की सेवा अथवा पुण्यदान करना,

(३) मठ या मन्दिर में कोई विशिष्ट सेवा अथवा पुण्यदान करना, अथवा

(४) किसी हिन्दू पर्व अथवा धार्मिक कार्य-सम्पादन, चाहे उसका सम्बन्ध मठ अथवा मन्दिर से हो अथवा न हो, से सम्बद्ध कोई सार्वजनिक पुण्यदान करना,

तथा इसमें सम्बद्ध संस्था और उसके भूगृहादि (Premises) भी सम्मिलित है परन्तु इसमें ऐसी सम्पत्ति दान सम्मिलित नहीं है, जो धार्मिक संस्था के किसी सेवक अथवा अन्य किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत दान के रूप में दिये गये हों,

स्पष्टीकरण—इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात् कोई धार्मिक संस्था विद्यमान नहीं रही है अथवा उसका उपयोग धार्मिक उपासना या उपदेशों के लिये नहीं हो रहा है अथवा वहां

सेवा तथा दान-पुण्य के कार्य नहीं किये जा रहे हैं, वह सभी सम्पत्ति धार्मिक निबन्ध समझी जायगी जो उस धार्मिक संस्था को थी अथवा पूर्वोक्तानुसार उसे दी अथवा निबंधित की गयी थी।

(झ) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार,

(ञ) "मंदिर" से तात्पर्य है वह स्थान चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक उपासना के लिये किया जाता है, तथा जो सार्वजनिक धार्मिक उपासना-स्थल के रूप में हिन्दू जाति अथवा उसके किसी वर्ग को अथवा उसकी भलाई के लिये समर्पित किया गया हो अथवा उसके द्वारा साधिकार उपयोग में लाया जाता हो, तथा

(ट) "न्यासी" से तात्पर्य है वह व्यक्ति अथवा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसमें किसी धार्मिक संस्था का प्रशासन निहित (vested) हो और इसमें वह व्यक्ति अथवा निकाय सम्मिलित है, जो इस प्रकार उत्तरदायी हों, मानों वह व्यक्ति अथवा निकाय न्यासी है।

अध्याय २

प्रशासकीय संगठन

आयुक्त, सहायक आयुक्तों तथा जांच अधिकारियों की नियुक्ति।

५—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार—

(क) एक आयुक्त,

(ख) सहायक आयुक्तों, तथा

(ग) जांच अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

आयुक्त आदि का हिन्दू होना।

६—आयुक्त, प्रत्येक सहायक आयुक्त तथा जांच अधिकारी और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अन्य अधिकारी अथवा चाहे वह किसी के द्वारा नियुक्त किया गया हो, ऐसा व्यक्ति होगा जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो और जब वह उस धर्म में अपनी आस्था का त्याग-परित्याग कर देगा तो उसका पद-त्याग हो जायेगा।

आयुक्त, सहायक आयुक्तों तथा जांच अधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य।

७—आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा जांच अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा उन कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उन्हें दिये गये हों।

क्षेत्र समिति

८—(१) राज्य सरकार समस्त अथवा किसी वर्ग अथवा वर्गों की धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में विहित रीति के अनुसार किसी स्थानिक क्षेत्र के लिये एक समिति (जिसे आगे क्षेत्र समिति कहा जायगा) संगठित कर सकती है तथा एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के लिये ऐसी एक से अधिक समितियां संगठित की जा सकती हैं।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह संस्था के महत्व को तथा उससे संबद्ध परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर किसी भी धार्मिक संस्था के लिये एक अलग क्षेत्र समिति संगठित करें।

(३) प्रत्येक क्षेत्र समति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—

(क) राज्य सरकार की पूर्व-सहमति से आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, तथा

(ख) आयुक्त द्वारा नियुक्त सदस्य, जिनकी संख्या, जो तीन से कम तथा दस से अधिक नहीं होगी वह, होगी जैसी कि नियत कर दी जाय,

(४) अध्यक्ष तथा सदस्य उस अवधि तक पद धारण करेंगे जो कार्यभार संभालने के दिनांक से तीन वर्ष से कम तथा ५ वर्ष से अधिक, जो भी नियत की जाय, न होगी।

(५) किसी आकस्मिक रिक्त स्थान (casual vacancy) को भरने के लिये आयुक्त तथा सदस्य का नाम निर्देशन उसके पूर्वाधिकारी (predecessor) की शेष पदावधि के लिये ही किया जायगा।

(६) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही (proceeding) केवल समिति में कोई स्थान रिक्त रहने अथवा उसके संगठन में कोई दोष होने के कारण अवैध न समझी जायगी न इस कारण से कि बाद में पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस कार्यवाही में उपस्थित हुआ है अथवा उसमें उसने मतदान किया है अथवा अन्य किसी प्रकार से भाग लिया है, जो इनमें से किसी का भी अधिकारी न था,

(७) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हतायें (qualifications) तथा अनर्हतायें (disqualifications) वही होंगी जो विहिति की जायं,

किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि कोई व्यक्ति, यदि वह हिन्दू धर्म में आस्था न रखता हो क्षेत्र समिति का अध्यक्ष (chairman) अथवा सदस्य होने अथवा नियुक्त होने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualified) होगा।

क्षेत्र समिति का पुनस्संगठन तथा विघटन (dissolution) और सदस्यों तथा अध्यक्ष का हटाया जाना।

९—(१) यदि राज्य सरकार संतुष्ट हो कि किसी क्षेत्र समिति ने अपने कर्तव्यों तथा कार्यों के सम्पादन में उपेक्षा की है, अथवा अपना कार्य संचालन इस प्रकार किया है जिससे उसका बना रहना सम्बद्ध धार्मिक संस्था के हितों के लिये हानिकारक है तो वह समिति को विघटित तथा उसे पुनस्संगठित कर सकती है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन कोई क्षेत्र समिति विघटित कर दी जाय तो उसका प्रत्येक सदस्य मय अध्यक्ष के अपने अपने पद को रिक्त कर देगा परन्तु वह पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा।

(३) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को बाधित न करते हुये, राज्य सरकार क्षेत्र समिति के किसी भी सदस्य तथा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है यदि उसकी राय में ऐसे सदस्य या अध्यक्ष ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा की हो अथवा दुराचरण का दोषी हो, अथवा वह धारा ८ की उपधारा (७) में दी हुई किसी अनर्हता (disqualification) का भागी हो गया हो।

किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि राज्य सरकार सदस्य अथवा अध्यक्ष को हटाने से पहले उसे एक उचित अवसर देगी जिससे वह प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दिखा सके।

क्षेत्र समिति के अधिकार तथा कर्त्तव्य।

१०—(१) क्षेत्र समिति आयुक्त तथा सहायक आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों, कर्तव्यों तथा कार्यों के सम्पादन में सहायता करेगी।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डालते हुये समिति :

(क) किसी धार्मिक कृत्य (practice) के अवसर पर दिये गये या दिये जाने वाले चढ़ावों (offerings) तथा उनके निस्तारण (disposal) और ऐसे कृत्य से संबद्ध किसी अन्य आर्थिक तथा वित्तीय कार्यवाही से संबद्ध किसी अन्य आर्थिक तथा वित्तीय कार्यवाही के संबंध में आयुक्त को परामर्श देगी,

(ख) आयुक्त द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य आदेश के अधीन किसी धार्मिक संस्था के भूगृहादि (premises) अथवा उससे सम्बद्ध उपासना-स्थल अथवा संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति तथा धार्मिक संस्था से सम्बद्ध अभिलेख-पत्र व्यवहार योजना, हिसाब किताब तथा अन्य लेख्यों (documents) का निरीक्षण करेगी।

(ग) आयुक्त का ध्यान किसी धार्मिक संस्था के प्रशासन में होने वाली वित्तीय अथवा प्रशासकीय अनियमितताओं (irregularities) की ओर आकृष्ट करेगी,

(घ) संस्था के प्रशासन में सुधार करने की दृष्टि से सिफारिशें करेगी, तथा

(ङ) ऐसे अन्य कार्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन करेगी, जो विहित किये जायं।

आपात काल (emergency) में क्षेत्र समिति की ओर से कार्य करने के सहायक आयुक्त के अधिकार।

११—(१) सहायक आयुक्त आपात काल (emergency) में तथा ऐसे समय जब उसके विचार से किसी कार्य का तुरन्त किया जाना धार्मिक संस्था के हित में आवश्यक हो, कोई भी ऐसा कार्य करने का निर्देश कर सकता है, जिसे साधारणतया क्षेत्र समिति को ही करना चाहिये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस धारा के अधीन की गयी कार्यवाही को, उसके कारणों सहित, समिति को उसकी अगली बैठक में प्रसूचित करेगा।

(२) जब कभी इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन आयुक्त तथा सहायक आयुक्त का, किसी आज्ञा के जारी करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही करने के पहले, क्षेत्र समिति से परामर्श करना आवश्यक हो और आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त के विचार से ऐसा परामर्श उचित रूप से सुविधाजनक न हो, तो वह बिना ऐसे परामर्श के भी आज्ञा जारी कर सकता है अथवा कार्यवाही कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सहायक आयुक्त ऐसी आज्ञा जारी करने अथवा कार्यवाही करने के पूर्व आयुक्त से उसकी सहमति प्राप्त कर लेगा।

अध्याय ३

प्रशासन का पर्यवेक्षण (Supervision)

धार्मिक संस्थाओं का सर्वेक्षण (survey)।

१२—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जांच अधिकारी को उसके अधिक्षेत्र (jurisdiction) में स्थित धार्मिक संस्थाओं का सर्वेक्षण करने के लिये आदेश दे सकती है।

(२) जांच अधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, अपने अधिक्षेत्र में स्थित प्रत्येक धार्मिक संस्था के सम्बन्ध में विहित रीति के अनुसार एक विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा:—

(क) संस्था का स्वरूप (nature), दाता (donor) या संस्थापक (founder) का नाम तथा संस्था से सम्बद्ध समस्त आगम विलेखों (title-deeds) तथा अन्य लेख्यों (documents) के ब्योरे,

(ख) प्रशासन की योजना के ब्योरे,

(ग) वेतन उपलब्धि (emoluments) अथवा अनुलाभ (perquisite) वाले समस्त पदों के नाम तथा प्रत्येक मामले में सेवा का स्वरूप (nature), समय तथा शर्तें,

(घ) संस्था में स्थापित तथा उससे संबद्ध मूर्तियों तथा प्रतिमाओं के ब्योरे, चाहे वह उपासना के लिये हो अथवा समारोहों, यात्राओं (procession) में ले जाने के लिये,

(ङ) वर्तमान न्यासियों तथा प्रबन्धकों के नाम तथा उसके पदों की उत्तराधिकारिता (succession) और नियुक्ति संबंधी ब्योरे,

(च) उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति में धार्मिक संस्था के अधिकार, आगम (title) अथवा स्वत्व (interests) सम्बन्धी ब्योरे,

(छ) धार्मिक संस्था के तथा उसके स्वामित्व में रहने वाली चल सम्पत्ति, जिसमें नगदी, सामान (Stocks) जवाहरात (jewels), सोना, चांदी, तथा मूल्यवान रत्नादि (precious-stones) भी शामिल हैं; के ब्योरे तथा उनका अनुमानित मूल्य;

(ज) धार्मिक संस्थाओं की कच्ची (gross) आय;

(झ) संस्था के धार्मिक तथा अन्य उद्देश्यों पर होने वाले व्यय;

(ञ) धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध मदों पर होने वाले व्यय के ब्योरे;

(ट) किसी अन्य आर्थिक, वित्तीय या धर्म निरपेक्ष (secular) ऐसे कार्यों के ब्योरे, जिन्हें संस्था में सम्पादित होने वाले धार्मिक कृत्यों से संबद्ध किया जा सके; तथा

(ठ) ऐसे अन्य ब्योरे, जो विहित किये जायं।

(३) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो किसी न्यायालय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन वाद की सुनवाई के समय निहित रहते (vested) हैं।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर, या सत्य-कथन (affirmation) द्वारा उसका परीक्षण करना, तथा स्थानिक निरीक्षण करना;

(ख) लेख्य (document) प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;

(ग) साक्षियों का वक्तव्य लेने, लेखा की परीक्षा कराने तथा स्थानिक जांच करने के लिये कमीशनों (Commissions) का निकालना,

(४) उपधारा (२) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति आयुक्त को भेजी जायगी।

(५) उपधारा (२) के अधीन तैयार किये गये विवरण की समस्त प्रविष्टि उस समय तक सत्य समझी जायगी जब तक प्रतिकूल न सिद्ध किया जाय।

धार्मिक संस्थाओं की सूची।

१३—आयुक्त विहित रीति के अनुसार ऐसे सभी धार्मिक संस्थाओं की सूची प्रकाशित करायेगा जिन पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हों।

१४—(१) प्रत्येक धार्मिक संस्था के लिए विहित रीति के अनुसार एक रजिस्टर तैयार किया तथा रखा जायगा जिसमें धारा १२ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई अथवा समस्त ब्योरे दिखाये जायेंगे।

(२) रजिस्टर प्रत्येक वर्ष विहित रीति के अनुसार सत्यापित (verified) तथा पुनरीक्षित (revised) किया जायगा।

आयुक्त द्वारा धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का पर्यवेक्षण।

१५—इस अधिनियम के निदेशों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश में समस्त धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन, जिन पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हों, आयुक्त के सामान्य अधीक्षण (superintendence) तथा नियंत्रण (control) में होगा।

आयुक्त के सामान्य अधिकार।

१६—धारा १५ के उपबन्धों की व्याप्ति (generality) को बाधित न करते हुए, आयुक्त को निम्नलिखित अधिकार होंगे—

(क) प्रवेश के समय तथा रीति से संबंधित ऐसे निरोधों के, जो विहित किये जायं, अधीन रहते हुए, किसी संस्था के भूगृहादि (premises) अथवा उससे संबद्ध किसी उपासना-स्थल में प्रवेश करना;

(ख) किसी धार्मिक संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति का तथा उससे सम्बद्ध अभिलेखों (records), पत्र-व्यवहार, योजना, हिसाब-किताब तथा अन्य लेखों (documents) का निरीक्षण;

(ग) संस्था के प्रशासन अथवा उसकी निधि; सम्पत्ति अथवा आय, अथवा उससे सम्बद्ध धन अथवा उसके विनियोग (appropriation) के सम्बन्ध में ऐसे नियत कालिक विवरण-पत्र (periodical returns), प्रसूचनाएं (reports), विवरण (statement), हिसाब-किताब (accounts) या अन्य सूचनाएं मांगना जिनके लिये आयुक्त आदेश दे तथा उन्हें ऐसे समय तथा आकार में मांगना, जैसा कि आयुक्त आदेश दें;

(घ) ऐसे आकार तथा रीति से जैसा कि वह निर्दिष्ट करे, संस्था की आय तथा व्यय के वार्षिक विवरण तैयार कराने का आदेश देना;

(ङ) धार्मिक संस्था की शर्तों तथा उपचारों (usages) के अनुकूल निम्नलिखित से सम्बद्ध विभिन्न प्रयोजनों के व्यय के प्रतिमान स्तर (standard scale) निश्चित करना:—

(१) संस्था का प्रशासन;

(२) धार्मिक तथा अन्य उद्देश्य, जिनके लिये संस्था स्थापित की गयी अथवा विद्यमान है; और

(३) संस्था में आने वाले अनुयायियों (disciples) अथवा उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा सुविधा;

(च) संस्था के हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा कराने तथा उसमें बतायी गयी त्रुटियों और आपत्तियों के परिशोधन (rectification) का प्रबन्ध करना;

(छ) न्यासियों अथवा प्रबन्धक के पास की अतिरिक्त (surplus) निधि को किसी अनुमोदित (approved) बैंक अथवा प्रतिभू (security) में जमा कराने का आदेश देना;

(ज) जब कभी आवश्यकता हो संस्था के प्रशासन के सम्बन्ध में जांच कराना;

(झ) संस्था की तथा उसके स्वामित्व में रहने वाली वंचित (lost) सम्पत्ति की वापसी के उपाय करना;

(ञ) संस्था के प्रशासन से सम्बन्धित वादों तथा कार्यवाहियों (proceedings) के संस्थित करने (Institution) तथा प्रतिवादन के आदेश जारी करना;

(ट) संस्था के जवाहरात तथा उसकी अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा (safe custody) के आदेश जारी करना; तथा

(ठ) सामान्यतः ऐसे अन्य आदेश जारी करना, जो यह निश्चय करने के लिए आवश्यक समझे जायं कि धार्मिक संस्था का उचित रूप से प्रशासन होता है तथा उसकी आय का

यथाविधि (duly) विनियोग (appropriation) उन प्रयोजनों के लिये किया जाता है जिनके लिये वह स्थापित की गयी थी अथवा विद्यमान है।

प्रशासन की योजना बनाने के लिये आयुक्त का अधिकार।

१७—(१) जब आयुक्त की सम्मति में धार्मिक संस्था के उचित प्रशासन के हित में संस्था के लिये प्रशासन की एक योजना बनायी जानी चाहिए तो वह विहित रीति के अनुसार संस्था के लिए एक योजना बना सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनायी गयी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :—

(क) विद्यमान न्यासियों के स्थान पर अथवा उनके रहते हुए नये न्यासियों की नियुक्ति;

(ख) किसी विद्यमान न्यासी का हटाया जाना;

(ग) न्यासी के अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिभाषा करना,

(घ) धारा १६ के खंड (ङ) के उप-खंड (१) से (३) तक में निर्दिष्ट कोई विषय;

(ङ) अन्य कोई विषय, जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (१) के अधीन बनायी गयी किसी योजना को आयुक्त विहित रीति के अनुसार परिष्कृत (modify) अथवा निरस्त (cancel) कर सकता है।

(४) उपधारा (२) के अधीन बनायी गयी योजना अथवा उपधारा (३) के अधीन परिष्कृत किये गये किसी रूपभेद में, केवल उन दशाओं को छोड़ कर जब आयुक्त सन्तुष्ट हो कि धार्मिक विषयों की व्यवस्था करना सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता अथवा स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है, अन्य दशाओं में धार्मिक विषयों की व्यवस्था न होगी।

निबन्धों का विनियोग (appropriation)।

१८—जब कभी आयुक्त सन्तुष्ट हो कि धार्मिक संस्था के प्रयोजन की पूर्ति आरम्भ से ही अथवा बाद से असम्भव हो गयी है, तो वह आज्ञा द्वारा निदेश दे सकता है कि संस्था के निबन्ध का विनियोग (appropriation) निम्नलिखित समस्त अथवा किसी भी प्रयोजन के लिये किया जाय—

(क) संस्था के धार्मिक सिद्धान्तों (tenets) का प्रचार;

(ख) शिक्षा सम्बन्धी ऐसी संस्थाओं की स्थापना तथा रख-रखाव, जहां हिन्दू धर्म, दर्शन अथवा शास्त्रों के अध्ययन की व्यवस्था हो;

(ग) संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन की समुन्नति;

(घ) भारतीय कलाओं तथा स्थापत्य कला (architecture) के परिशीलन (cultivation) की समुन्नति;

(ङ) निर्धन-गृहों, अनाथालयों, अस्पताल, तथा औषधालयों की स्थापना तथा रखरखाव और छात्रवृत्तियों का दिया जाना; तथा

(च) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किये जायं;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धार्मिक संस्था किसी धार्मिक सम्प्रदाय (denomination) अथवा उसके किसी वर्ग द्वारा स्थापित की गयी हो और उन्हीं के द्वारा उसका रख-रखाव किया जाता हो तो यथासम्भव निबन्धों का उपयोग, साधारणतया सम्बद्ध सम्प्रदाय अथवा उसके किसी वर्ग के हित में उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये किया जायगा।

न्यासी द्वारा अपेक्षित देख-रेख तथा उसके अधिकार।

१९—प्रत्येक धार्मिक संस्था का न्यासी उसके कार्यों को सम्पन्न करने के लिए तथा, न्यास की शर्तों, संस्था के उपाचार (usage) तथा उन समस्त विधिसंगत (lawful) आदेशों के अनुसार जो समर्थ प्राधिकारी (competent authority) उसके सम्बन्ध में जारी करें उसकी निधियों और सम्पत्तियों का उपयोग करने के लिये बाध्य होगा और इतनी सावधानी के साथ करेगा, जितनी कि साधारण विवेक का कोई व्यक्ति ऐसे मामलों, निधियों तथा सम्पत्तियों के विषय में यह समझकर बरतता कि वे उसकी अपनी ही हों।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यासी को धार्मिक संस्था के कुशल प्रशासन के लिये समस्त अधिकारों का उपयोग करने तथा उन कर्तव्यों को निभाने के निमित्त, जो उसे निर्दिष्ट किये गये हों, सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने का अधिकार होगा।

(३) न्यासी को, उसके पद से हटाये जाने अथवा उसके विरुद्ध की गयी किसी अनुशासन-कार्यवाही के लिये, अथवा उसके सम्बन्ध में, किसी वाद, अपीलें अथवा प्रार्थना-पत्र अथवा अन्य किसी कार्यवाही पर उसके द्वारा उठाये गये वाद-व्ययों (costs) परिव्ययों (charges) अथवा व्ययों (expenses) की पूर्ति के लिए धार्मिक संस्था की निधि को खर्च करने का अधिकार न होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्यासी को धारा २२ के अधीन जारी की गयी आज्ञा द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति दे दी गयी हो, तो वह ऐसे वाद-व्ययों, परिव्ययों अथवा व्ययों की भरपाई (reimburse) करा सकता है।

इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी आज्ञाओं का न्यासी, प्रबन्धक तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अनिवार्यतः पालन किया जाना।

२०—धार्मिक संस्था के प्रत्येक न्यासी, प्रबन्धक तथा उनके अधीन कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों और सेवकों तथा उनके अभिकर्ताओं (agents) तथा धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयुक्त द्वारा जारी की गयी समस्त विधिसंगत आज्ञाओं अथवा निदेशों (directions) को यथाशीघ्र पालन करें तथा उन्हें कार्यान्वित करें,

(ख) यदि आज्ञा दी जाय तो धारा १६ के खंड (ख) में अभिदिष्ट किसी चल सम्पत्ति या लेख्य (document) को निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करे, तथा

(ग) इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को, उसके कार्यों को सम्पन्न करने अथवा अधिकारों का उपयोग करने के लिये, ऐसी सभी सहायता तथा सुविधायें दें, जो आवश्यक हों अथवा जिनकी उचित रूप से उन्हें जरूरत हो।

न्यासियों आदि के द्वारा इस अधिनियम के अनुसार काम करने से इनकार करने पर दंड।

२१—यदि कोई न्यासी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक, अभिकर्ता अथवा धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा आयुक्त द्वारा जारी की गयी आज्ञाओं तथा निदेशों (directions) के अनुसार काम करने से इन्कार करता है, उनकी उपेक्षा करता है अथवा उनका पालन नहीं करता है,

(ख) ऐसे समय तथा ऐसी रीति से, जैसा कि आयुक्त आदेश दें, धार्मिक संस्था के प्रशासन अथवा उसकी निधियों, सम्पत्ति अथवा आय तथा उसके उपयोग (application) के विषय में लेखे, विवरण-पत्र (returns), सूचनायें (reports) देने से इन्कार करता है अथवा देने में उपेक्षा करता है अथवा नहीं देता, अथवा

(ग) धार्मिक संस्था की किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति अथवा उससे सम्बद्ध किसी अभिलेख, पत्र-व्यवहार योजना, हिसाब-किताब तथा अन्य लेखों का आयुक्त द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देने से इन्कार करता है अथवा निरीक्षण में बाधा डालता है, अथवा निरीक्षण के लिये उन्हें प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है अथवा उन्हें प्रस्तुत नहीं करता;

तो न्यासी, अथवा जहां एक से अधिक न्यासी हों वहां प्रत्येक न्यासी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक, अभिकर्ता अथवा उसके कार्यों पर नियंत्रण रखने वाले अन्य व्यक्ति को निहित रीति के अनुसार आयुक्त द्वारा उसके पद से हटाया अथवा बरखास्त (dismiss) किया जा सकता है।

(२) कोई ऐसा पर्वोक्त व्यक्ति तब तक हटाया अथवा बरखास्त नहीं किया जायगा जब तक कि उसके विषय में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में उसे कारण बताने का उचित अवसर न दिया जाय।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आयुक्त की आज्ञा से असन्तुष्ट व्यक्ति आज्ञा की प्राप्ति के तीन मास के भीतर आगे की व्यवस्था के अनुसार संगठित न्यायाधिकरण (tribunal) को अपील कर सकता है।

(४) उपधारा (३) में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण निम्नलिखित से बनेगा—

(क) अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और जो या तो जिला जज होगा अथवा जिला जज रह चुका हो,

(ख) दो अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे (nominated) जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे हिन्दू धार्मिक निबन्धों के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो,

(५) यदि अपील की सुनवाई के समय न्यायाधिकरण के सदस्यों में दी जाने वाली आज्ञा के किसी विषय या प्रश्न पर मतभेद हो तो बहुमत की राय मान्य होगी तथा न्यायाधिकरण की आज्ञा बहुमत की राय के अनुसार व्यक्त की जायगी।

(६) अपील की सुनवाई के विषय में न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जो विहित की जाय;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी पक्ष को अपनी बात कहने का उचित अवसर दिये बिना ऐसा कोई आदेश जारी न करेगा जिससे उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो ।

(७) उपधारा (३) में अभिदिष्ट न्यायाधिकरण की नियुक्ति समस्त राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र अथवा किसी विशेष मुकदमे अथवा मुकदमों के वर्ग के लिये की जा सकती है ।

विधिक कार्यवाहियों पर होने वाले वाद-व्ययों तथा व्ययों की वसूली ।

२२—(१) किसी धार्मिक संस्था के विषय में विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा उसके एक पक्ष (Party) के रूप में राज्य सरकार, आयुक्त, सहायक आयुक्त, जांच अधिकारी अथवा क्षेत्र समिति द्वारा उठाये गये समस्त वाद, व्यय (costs), परिव्यय (charges) तथा व्यय (expenses), उन दशाओं को छोड़कर जब उनके दिये जाने का दायित्व किसी पक्ष (party) अथवा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर निश्चित कर दिया गया हो तथा इस धारा के अधीन भरपाई के अधिकार का स्पष्ट शब्दों में निषेध कर दिया गया हो, अन्य दशाओं में उस संस्था की निधि में से देय होंगे,

(२) उपधारा (१) के अधीन देय वाद-व्यय परिव्यय और व्यय विहित रीति से निर्धारित तथा अदा किये जायेंगे ।

अध्याय ४

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

इस अधिनियम के उपबन्ध अन्य विधायनों से वरिष्ठ (to prevail) रहेंगे ।

२३—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी अन्य विधि के उपबन्धों में कोई विरोध अथवा असंगति हो तो इसी अधिनियम के उपबन्ध मान्य होंगे ।

(२) इस अधिनियम के अधीन पारित कोई योजना, अथवा दी गयी, समझी गई कोई आज्ञा इस बात के रहते हुए भी प्रभावकर रहेगी कि किसी अन्य लेख्य अथवा विधायन अथवा किसी विलेख (instrument), जो ऐसे लेख्य अथवा विधायन के कारण प्रभावकर हैं, में दी हुई कोई बात उससे असंगत है ।

अधिकारों का प्रतिविधान (delegation) ।

२४—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अपने अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी (authority) को, अथवा क्षेत्र समिति को, ऐसे निरोधों या शर्तों के अधीन उपयोग के लिए जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दी जायं, ऐसे कोई भी अधिकार सौंप सकती है जो इस अधिनियम द्वारा आयुक्त को प्रदान किये गये हैं ।

सरकारी अधिकारियों द्वारा लेख्यों की प्राप्तियां अथवा उनके उद्धरण निःशुल्क देने की व्यवस्था ।

२५—वे समस्त सरकारी (public) अधिकारी, जिनके संरक्षण में धार्मिक संस्था अथवा उसकी किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति से सम्बद्ध अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट अथवा अन्य लेख्य रहते हों, इनकी प्राप्तियां अथवा इनके उद्धरण, जिनकी आयुक्त को आवश्यकता हो, निःशुल्क प्रस्तुत करेंगे ।

२६---राज्य सरकार किसी कार्यवाही की नियमितता (regularity) अथवा उस पर दिये गये किसी निर्णय अथवा जारी की गयी किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता अथवा औचित्य (propriety) के विषय में अपने को संतुष्ट करने के लिये आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त, अथवा किसी क्षेत्र समिति अथवा किसी न्यासी के अभिलेखों को मंगा कर उनकी जांच कर सकती है, और यदि किसी मामले में, जो ऐसा नहीं है, जिसमें धारा २१ की उपधारा (३) के अधीन न्यायाधिकरण को अपील हो सकती हो, राज्य सरकार को प्रतीत हो कि पुनर्विचार के लिये ऐसे निर्णय या ऐसी आज्ञा को परिष्कृत (modified), रद्द (annulled), निर्वातित (reverse) अथवा विप्रेषित (remit) करना आवश्यक है तो वह तदनुसार आज्ञा जारी कर सकती है,

अभिलेखों को मंगा सकने तथा आज्ञा देने का राज्य सरकार का अधिकार।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उस समय तक ऐसी कोई आज्ञा जिससे किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जारी न करेगी जब तक कि उसे अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर न दिया जाय।

(२) राज्य सरकार ऐसे किसी निर्णय अथवा आज्ञा के निष्पादन को उस समय तक के लिये स्थगित कर सकती है, जब तक कि उसके विषय में वह उपधारा (१) के अधीन अधिकारों का उपभोग नहीं कर लेती।

२७---इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, जांच अधिकारी तथा अन्य कोई अधिकारी अथवा सेवक इंडियन पेनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में सरकारी सेवक (public servant) समझा जायगा।

आयुक्त आदि का सरकारी सेवक माना जाना।

२८---(१) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सरकारी सेवक इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन किये गये अथवा किये गये प्रतीत होने वाले कोई कार्य के लिये यदि वह सद्भाव से और अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन करने अथवा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करने के दौरान में किया गया हो, उसके विषय में किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही में भागी न होगा।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के सम्बन्ध में अधिकारियों और सरकारी सेवकों की सुरक्षा।

(२) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के कारण अथवा इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने किन्हीं नियमों के अनुसार सद्भाव से की गई अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात से हुई अथवा हो सकने वाली किसी हानि (damage) अथवा हुई या हो सकने वाली किसी क्षति (injury) के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध न तो कोई वाद (suit) ही चलाया जा सकेगा और न अन्य कोई विधिक कार्यवाही ही की जा सकेगी।

२९---उस दशा को छोड़ कर जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस नियम द्वारा कर दी गयी हो, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार, आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त अथवा क्षेत्र समिति द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति अथवा दिये गये प्रमाण-पत्र, दी गयी आज्ञा, किये गये निर्णय, की गयी प्रक्रिया (proceedings) अथवा कार्यवाही (action)। बनायी गयी योजना अथवा किये गये अन्य कार्यों पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

न्यायालय में आज्ञाओं आदि पर आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

३०---इस अधिनियम की कोई बात--

अपवाद (savings)।

(क) उस दशा को छोड़ कर, जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन की गयी हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उपलब्धि (emoluments) अथवा

अनुलाभ (perquisite) पर, जिसका वह धार्मिक संस्था के रीति-रिवाजों, अथवा अन्य किसी प्रकार से, अथवा अन्य किसी मामले के सम्बन्ध में संस्था के मान्य (established) उपचारों (usage) पर अधिकारी हो, प्रभाव नहीं डालेगी।

(ख) किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संस्था के अध्यक्ष के धार्मिक तथा आध्यात्मिक कर्तव्यों में, जिनके अन्तर्गत धार्मिक उपदेश देना अथवा आध्यात्मिक सेवा करना सम्मिलित है, हस्तक्षेप करने का अधिकार न देगी,

(ग) संविधान के अनुच्छेद २६ के खंड (क), (ख) तथा (ग) द्वारा प्राप्त किसी धार्मिक सम्प्रदाय (denomination) या उसके किसी वर्ग के अधिकारों के विपरीत न तो किसी अधिकार का प्रदान करने वाली और न किसी कर्त्तव्य का आरोपण करने वाली ही समझी जायगी,

(घ) श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ के मंदिरों तथा उनसे सम्बद्ध (appurtenant) और उनके अधीन समस्त मन्दिरों तथा निबन्धों पर (endowments) जिन पर यू० पी० बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ लागू होता है, लागू नहीं होगी।

नियम

३१—राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :—

(१) धारा ५ के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्तों की तथा जांच अधिकारियों का प्रादेशिक अधिक्षेत्र (jurisdiction);

(२) क्षेत्र समिति के संगठन, विघटन तथा पुनस्संगठन सम्बन्धी विषय;

(३) क्षेत्र समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;

(४) क्षेत्र समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के पदों के आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उनकी पूर्ति;

(५) क्षेत्र समिति द्वारा उसके कार्यों का संचालन करने से सम्बद्ध प्रक्रिया (procedure);

(६) वह रीति जिसके अनुसार, तथा वह विषय जिन पर क्षेत्र समिति की धारा १० के अधीन आयुक्त को सहायता देगी;

(७) क्षेत्र समिति के सदस्यों के मार्ग-व्ययों, विराम भत्तों, तथा अन्य पारिश्रमिकों (emoluments), यदि कोई हों, की स्वीकृति;

(८) धार १२ के अधीन किये जाने वाले सर्वेक्षण तथा तत्सम्बन्धी जांच की व्यवस्था से सम्बद्ध विषय;

(९) वह रीति, जिसके अनुसार धारा १५ तथा १६ में निर्दिष्ट अधिकारों का आयुक्त द्वारा उपयोग किया जायगा;

(१०) वह रीति जिसके अनुसार धारा २१ के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा अपील की सुनवाई तथा निस्तारण किया जायगा;

(११) वह आकार तथा रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण, आयुक्त अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी (authority) को अपील की जायगी;

(१२) इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन रखे जाने वाले विवरणों (stateme ts), विवरण-पत्रों (returns), रजिस्टरों तथा अन्य आकार-पत्रों के आकार तथा वह रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे;

(१३) वह आकार तथा रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे ;

(१४) उन मामलों में, जिनकी यहां स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अवधि;

(१५) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों तथा अपीलों के सम्बन्ध में देय शुल्क;

(१६) लेख्यों का निरीक्षण तथा उनके निरीक्षण के लिये लगाये जाने वाले शुल्क;

(१७) प्रमाण-पत्रों, प्रसारों (processes) तथा नोटिसों के जारी किये जाने के लिये लगाया जाने वाला शुल्क;

(१८) प्रमाणित प्रतिलिपियों का दिया जाना तथा उनके लिये लगाये जाने वाले शुल्क;

(१९) धार्मिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध न्यासियों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट, विवरण-पत्र, हिसाब–किताब तथा अन्य सूचनाएं;

(२०) न्यासियों की बैठकों का बुलाया जाना तथा ऐसी बैठकों का कार्य–संचालन;

(२१) वह रीति जिसके अनुसार, धार्मिक संस्था के प्रशासन से संबद्ध न्यासियों तथा अन्य व्यक्तियों का मत मालूम किया जायगा;

(२२) वह रीति तथा वह अवधि, जिसके लिये धार्मिक संस्था की सम्पत्तियों के पट्टे दिये जायेंगे;

(२३) धार्मिक संस्था के भवनों तथा सम्पत्तियों का संरक्षण, रख-रखाव, प्रशासन तथा सुधार;

(२४) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति सम्बन्धी तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बद्ध विषय, तथा उनके कर्त्तव्य, अधिकार और कार्य;

(२५) इस अधिनियम के अधीन उन मामलों में जिनके निमित्त, यहां विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, प्रार्थना-पत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(२६) ऐसी कालावधि निर्दिष्ट करना, जिसके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये सम्पन्न किये जाने वाले कार्य नियमों में उल्लिखित निर्दिष्ट कालावधि बढ़ा सकने वाले किसी प्राधिकारिक (authority) के अधिकारों सहित, अथवा उनके बिना, कर लिये जाने चाहिये;

(२७) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; तथा

(२८) ऐसे विषय जिन्हे विहित करना है या जो विहित किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बने समस्त नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे (come in to force)।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों (modifications) के अधीन रहेंगे जो राज्य विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे, जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

उद्देश्य और कारण

राज्य में धार्मिक संस्थाओं के उचित प्रबन्ध तथा नियंत्रण के निमित्त विधान निर्माण के प्रश्न पर सरकार का ध्यान सन् १९४९ ई० से रहा है। उससे अगले वर्ष में धार्मिक संस्थाओं के सम्बन्ध में उपयोगी आंकड़े एकत्र करने के लिये एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया था।

विशेष कार्याधिकारी द्वारा संकलित प्रसूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न मंदिरों तथा धार्मिक निबन्धों में, जिन्हें साधारण जनता द्वारा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत कुप्रबन्ध है तथा निधियों का अलाभकर उपयोग किया जाता है। सम्प्रति इन संस्थाओं में व्याप्त कुप्रबन्ध का अन्त करने तथा उनके प्रशासन का सामान्य स्तर ऊंचा करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५ बनाया गया।

जुगलकिशोर,
समाज कल्याण मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९१ पर)

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५

खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राज्यपाल द्वारा प्रचारित किया गया था ;

और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम, विस्तार, प्रारम्भ तथा अवधि ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह ७ जुलाई, १९५५ को, और से प्रचलित समझा जायगा ।

(४) इस अधिनियम की समाप्ति से पूर्वकृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) बातों को छोड़कर, यह अधिनियम ३० जून, १९५६ की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायगा और इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ उसी प्रकार लागू होगी मानो वह उस समय उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था ।

परिभाषाएं ।

२—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "न्यायालय" से तात्पर्य है अधिक्षेत्र (jurisdiction) रखने वाले मुंसिफ या सिविल जज का न्यायालय,

(ख) "स्वामी" के अन्तर्गत भोग बन्धकी (mortgagee in possession) भी है,

(ग) "भांडारिक आवास" (storage accommodation) से तात्पर्य है भांडार के निमित्त प्रयुक्त अथवा उपयुक्त कोई भवन और इसके अन्तर्गत खत्ती भी है,

(घ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति कर के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी (authority) भी है ।

अधिग्रहण का अधिकार।

३--(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखने (storing) के लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण (requisition) आवश्यक है तो वह लिखित आज्ञा दे कर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता है कि उस का कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम न होगी), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय :

फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा ।

(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त है या नहीं, इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा।

तामील ।

४--अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी (occupier) अविलम्ब प्राप्य (readily traceable) न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त (in dispute) हो, तो सरकारी गजट में आज्ञा के प्रकाशन द्वारा, की जायगी ।

भांडारिक आवास के प्रयोग का अधिकार ।

५--यदि कलेक्टर ने धारा ३ के अधीन कोई भांडारिक आवास अधिगृहीत कर लिया हो तो वह उसे ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत (deal with) करेगा जो उसे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त इष्टकर प्रतीत हो।

प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार।

६--कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि (premises) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उस का निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त, प्रयुक्त किये जा सकते हैं, अथवा नहीं ।

अनुबन्ध (agreement) द्वारा प्रतिकर।

७--कलेक्टर अपने द्वारा अधिगृहीत भांडारिक अवास के स्वामी को ऐसा प्रतिकर, जो एकमुट्ठ धनराशि अथवा मासिक अथवा नियतकालिक भुगतानों के रूप में हो, जो अपने और स्वामी के बीच लिखित रूप में तय हो जाय, देगा ।

न्यायालय का अभिदेश (reference) ।

८--(१) यदि धारा ७ में निर्दिष्ट अनुबन्ध (agreement) न हो सके तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा।

(२) अभिदेश (reference) निर्णय करने में न्यायालय लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का, जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा।

९—समय विशेष पर प्रचलित किसी भी विधायन (enactment) में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ८ के अधीन न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) न हो सकेगा।

न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण न हो सकेगा।

१०—(१) जब कोई भांडारिक आवास छोड़ा (release) जाना हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वह अधिगृहीत किया गया था। यदि भांडारिक आवास अधिगृहण के दिनांक पर बंधक (subject to mortgage) था तथा उसके पश्चात् वह बंधक से मुक्त (redeemed) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति जिससे वह अधिगृहीत किया गया था, मर गया है, तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करेगा, जिसे, उसका कब्जा दिया जायगा। फिर भी कलेक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा जो उसकी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा स्थापित करने में बाधक न होगा।

अधिग्रहण से छोड़ा जाना।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे भांडारिक आवास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अदा कर देने पर राज्य सरकार अथवा कलेक्टर ऐसे आवास के संबंध में समस्त दावों के दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

(३) यदि वह व्यक्ति, जिसे भांडारिक आवास का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सके तथा उसकी ओर से कब्जा लेने के लिये कोई अधिकर्त्ता (agent) अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चिपकवा कर यह प्रख्यापित करेगा कि भांडारिक आवास अधिगृहण से छोड़ दिया गया है।

(४) जब उपधारा (३) में अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी व्यवस्था के अनुसार चिपका दिया गया हो, तो नोटिस में निर्दिष्ट भांडारिक आवास नोटिस के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहण के अधीन न रह जायगा और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह उस व्यक्ति को दे दिया गया है जो उस पर कब्जा पाने का अधिकारी था तथा राज्य सरकार अथवा कलेक्टर उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी अवधि के लिये भांडारिक आवास के संबंध में कोई प्रतिकर अथवा अन्य दावे के देनदार न होंगे।

११—यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर को किसी भांडारिक आवास का कब्जा नहीं देता, अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमें बाधा डालता है, तो वह ऐसी अवधि के लिये जो एक मास तक की हो सकती है, कारावास के दंड का अथवा अर्थ दंड का जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों का, भागी होगा।

१२—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन तथा अथवा ऐसे विलेख (instrument) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (having the force of law) किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के उपबन्ध के प्रभावकर होंगे (shall have effect)।

उन उपबन्धों का प्रभाव जो अन्य विधायनों से असंगत हों।

१३--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस अधिनियम के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका किया जाना अभिप्रेत हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तियों की सुरक्षा।

१४--उस दशा को छोड़कर जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर दी गयी हो, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा। किसी न्यायालय में आज्ञाओं पर आक्षेप न किया जा सकना।

१५--(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त कोई विधायन हो। निरसन (repeal)।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा की गयी कोई नियुक्ति, किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे तथा उपधारा (१) के अधीन जारी रखे गये उक्त नियम अथवा आज्ञा के उपबन्धों के अधीन दी गयी, की गयी, किया गया अथवा प्रयुक्त समझे जायेंगे।

१६--राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है। नियम बनाने का अधिकार।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तरोत्तर विनियंत्रण (gradual decontrol) तथा राज्य सरकार के पास रखे हुये स्टाकों क निरस्तारण (disposal) के कारण खाद्यान्नों के लिये भांडारिक आवास की आवश्यकता कम हो गयी थी। फलतः ३१ दिसम्बर, १९५४ को यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रेक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को व्यपगत (lapse) होने दिया गया था। किन्तु केंद्रीय सरकार की प्राइस कंट्रोल स्कीम (मूल्य स्थिरीकरण योजना) के अधीन ज्वार और गेहूं की खरीद में प्रगति होने के कारण अधिक संख्या में भांडारिक आवासों के प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है और इसी कारण भांडारिक आवासों के पुनः अधिग्रहण के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। तदनुसार उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १९५५ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
रसद मंत्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १९१ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने के हेतु राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया था ;

और यह आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के विधान द्वारा अनुस्थापित (replace) किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह १८ जून, १९५५ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

२—यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की (जिसे यहां पर आगे चलकर "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा 6-H में शब्द "apply to an election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे गये समझे जायं। — यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ६-एच का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा 6-1 की उपधारा (२) में शब्द "election" के पश्चात् शब्द "of a member" सदैव से रक्खे गये समझे जायं। — यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ६ आई का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में खंड (*f*) (जो निकाल दिया गया है) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*f-1*) से (*f-6*) तक सदैव रक्खे गये समझे जांय : — यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ३९ का संशोधन।

"(*f*-1) The conduct of election to the office of Chairman,

(*f*-2) The decision of doubts and disputes relating to election to the office of Chairman,

(*f*-3) The removal of disqualifications for election to the office of Chairman,

(*f*-4) The electoral offences and corrupt practices relating to election to the office of Chairman,

(*f*-5) Bye-elections to the office of Chairman, and

(*f*-6) Generally on all matters relating to conduct of elections to the office of Chairman."

वैधीकरण (Validation)।

५—संदेहों के निवारणार्थ, एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि:—

(१) चेयरमैन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपर्युक्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी ऐसे परिवर्तनों, परिवर्द्धनों अथवा परिष्कारों (alteration, additions or modification) को बाधित न करते हुये जो बाद में मूल अधिनियम की धारा ३९ के अधीन उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा।

(२) कृत अथवा अकृत (done or omitted to be done) कोई कार्य अथवा बात जिसमें मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्मित कोई नियम अथवा नियम का संशोधन भी सम्मिलित है, जो वैध रूप से तथा उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन अधिनियम के अधीन कृत अथवा अकृत अथवा निर्मित हुआ होता अथवा हुई होती, यदि मूल अधिनियम की धारा (*6*-H, *6*-1) तथा 39 (2) वैसी होती जैसी इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित की गयी है, तदन्तर्गत वैधरूप से तथा उपयुक्त रूप से किया गया अथवा बनाया गया समझा जायगा।

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अभिदिष्ट नियमों में उल्लिखित अधिकारों के अधीन, प्रतीत होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व चेयरमैन के निर्वाचन पर प्रश्न उठाने वाली किसी भी निर्वाचन याचिका (election petition) पर प्रत्येक निर्णय अथवा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या होती यदि इस अधिनियम की धारा २, ३ तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण (presentation) तथा विचार अथवा निर्णय आज्ञा के प्रख्यापन (pronouncement) के अवसर पर प्रचलित हो गयी होती (come into operation) तथा ऐसे निर्णय अथवा आज्ञा के अनुसार की गयी कोई बात विधिपूर्ण दिये गये अथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय अथवा ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पूर्व ही रद्द (set aside) न कर दिया गया हो अथवा न कर दी गयी हो।

निवर्तन (Repeal)।

६—उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ एतद् द्वारा निर्वातित (Repeal) किया जाता है तथा उस पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त (apply) होंगे मानो यह किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निर्वातित विधायन हो।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१६ को १९५३ में, विशेषतः टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन से संबद्ध उपबन्धों के सिलसिले में, संशोधित किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन के संबंध में नये नियम बनाये गये किन्तु जहां तक चेयरमैन के पद के लिये सफल उम्मीदवारों के विरुद्ध निर्वाचन याचिकाएं (election petitions) प्रस्तुत करने का संबंध है, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट,

१९०४ की धारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये पुराने नियम ही जारी रक्खे गये। परन्तु अभी हाल ही के एक बाद में हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया है कि १९५३ में ऐक्ट के संशोधित हो जाने के पश्चात् पुराने नियमों का प्रवर्तन समाप्त हो गया है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के कारण, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गयी है एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी, जिसके निराकरण के लिये सरकार ने १८ जून, १९५५ को उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया था। इस अध्यादेश द्वारा चेयरमैन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका संबंधी पहले के नियमों को वैधता प्रदान की गयी। साधारणतया यह अध्यादेश विधान परिषद का अधिवेशन प्रारम्भ होने के छः सप्ताह पश्चात् समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह संभव है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय न दे सके, अतएव यह आवश्यक है कि अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल के अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया जाय।

२—यू० पी० टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५५ इसी उद्देश्य से पुरःस्थापित किया जा रहा है।

सैयद अली जहीर,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिए पीछे पृष्ठ १९१ पर)

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश के नागर-क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा के विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) के अर्जन (acquisition) तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में स्थित कृषि-क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का विनाश तथा ऐसे क्षेत्रों में कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights, title and interest) का अर्जन तथा वहां भूमि सुधारों की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

---

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ । यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२४ यू० पी० ऐक्ट २,१९१४ ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) (क) इसका प्रचार उन क्षेत्रों में होगा जो ७ जुलाई, १९४९ को यूनाइटेड प्राविंसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्यूनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेन्ट के अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे ।

(ख) इसका प्रसार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में भी होगा किन्तु वहां इसका प्रभाव ऐसे अपवादों (exceptions) अथवा परिष्कारों (modifications) के अधीन होगा जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे और जिनसे कोई तात्विक अंतर न पड़ता हो (not affecting the substance) ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा किन्तु उन क्षेत्रों में, जो उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित हों, ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निश्चित करे ; तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों (provisions) के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

परिभाषाएं ।

२--विषय या प्रसंग (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:

(१) "कृषि क्षेत्र" का तात्पर्य, जहां तक इसका संबंध है किसी नागर-क्षेत्र से हो, ऐसे क्षेत्र से है जो उस दिनांक को जिसे राज्य सरकार उस सम्बन्ध में विज्ञापित करे--

(क) किसी मध्यवर्ती की सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग के रूप में उसके कब्जे में हो, उसके पास हो, (held by him) अथवा उसके पास समझा जाता हो ;

(ख) जो अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) के पास बाग के रूप में अथवा उसकी निजी खेती (personal cultivation) में हो ; अथवा

(ग) निम्नलिखित के खाते (holding) में सम्मिलित हो और उसके खातेदार द्वारा कृषि अथवा उद्यानकरण (agriculture or horticulture) के प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त होता हो—

(१) शरहमुअय्यन काश्तकार (fixedrate tenant),

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (ex-proprietory tenant),

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant),

(४) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on special terms in Avadh),

(५) माफीदार (rent free grantee),

(६) रियायती लगान का काश्तकार (grantee at a favourable rate or rent),

(७) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant),

(८) बागदार (grove-holder), अथवा

(९) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार (sub-tenant) हो; अथवा

(१०) यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (३) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि का गैर दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant)।

किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि वह भूमि, जिस पर उपर्युक्त दिनांक पर ऐसी इमारतें हों, जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३ में पारिभाषित (improvement) (उन्नति) न हों, तथा ऐसी इमारतों से संबद्ध भूमि, कृषि-क्षेत्र (agricultural area) नहीं मानी जायगी।

(२) केन्द्रीय सरकार का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ में सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) का है ;

(३) "प्रतिकर आयुक्त" (Compensation Commissioner) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर आयुक्त से है ;

(४) "प्रतिकर अधिकारी" (Compensation Officer) का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी से है ;

(५) "डिक्री" का वही अर्थ है जो "decree" का कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में है ;

(६) "परिच्छेद आयुक्त" (Demarcation Commissioner) तथा "परिच्छेद अधिकारी" (Demarcation Officer), का तात्पर्य धारा ६३ के अधीन नियुक्त क्रमशः परिच्छेद आयुक्त तथा परिच्छेद अधिकारी से है;

(७) "मध्यवर्ती (intermediary)" का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी कृषि-क्षेत्र से हो, निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत उपमध्यवर्ती (sub-intermediary) भी है--

(क) स्वामी (proprietor),

(ख) मातहतदार (under-proprietor),

(ग) अदना मालिक (sub-proprietor),

(घ) ठेकेदार,

(ङ) अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh), तथा

(च) किसी क्षेत्र अथवा उसके भाग का दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder),

ऐक्ट ५, १९०८।

(८) "विधिक प्रतिनिधि" (legal representative) का वही अर्थ है, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" का है,

(९) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ,

(१०) "पूर्व कृषि वर्ष (previous agricultural year)" का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो, जिसमें निहित होने का दिनांक पड़ता हो,

(११) "स्वामी" (proprietor) का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी कृषि क्षेत्र से हो, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी (Central government, State] Government or Local Authority,) से भिन्न ऐसे व्यक्ति से है जो न्यासी के रूप में (in trust) या अपने ही लाभ के लिये किसी कृषि-क्षेत्र का स्वामित्व रखता हो और उसके अन्तर्गत स्वामी के दायाधिकारी (heirs) और स्वत्व के उत्तराधिकारी (successors insinterest) भी हैं,

(१२) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(१३) "उप-मध्यवर्ती" (sub-intermediary) का तात्पर्य धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) के उपखंड (९) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न शिकमी काश्तकार के क्षेत्रपति (land-holder) से है ,

(१४) "नागर-क्षेत्र (urban area)" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो ७ जुलाई, १९४९ को यूनाइटेड प्राविंसेज म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन म्यूनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया अथवा यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन टाउन एरिया अथवा कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन कैन्टूनमेंट था, यू० पी० ऐक्ट २, १९१६, यू० पी० ऐक्ट २, १९१४। यू० पी० ऐक्ट २, १९२४।

(१५) शब्दों और पदों (words and expressions) "अबवाब", "साकितुल्मिल्कियत काश्तकार", "बाग", "बागदार", "शरह मुअय्यन काश्तकार", "मौरूसी काश्तकार", "खाता", "खुदकाश्त", "क्षेत्रपति", "गैर दखीलकार काश्तकार", दखीलकार काश्तकार", या "अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी", "दवामी काश्तकार", "लगान", "माफीदार", "सायर", "सीर", "शिकमी काश्तकार", "काश्तकार", और "ठेकेदार" के, जो इस अधिनियम में पारिभाषित नहीं हैं, किन्तु जिनके पास पर्याय का प्रयोग यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में हुआ है वही अर्थ होंगे जो उक्त टेनेन्सी ऐक्ट में क्रमशः

"cess", "ex-proprietory tenant", "grove", "grove-holder", "fixed rate tenant", "hereditary tenant", "holding", "khudkast", "landholder", "non-occupancy tenant", "occupancy tenant", "permanent lessee in Avadh", "permanent tenure holder", "rent", "rent free grantee", "sayar", "sir", "sub-tenant", "tenant", और "thekedar" के हैं,

(१६) शब्द और पद (words and expressions) "परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर", "माल बोर्ड", "कलेक्टर", "अवयस्क", "माल गुजारी", "अदना मालिक" और "मातहतदार" के, जो इस अधिनियम में पारिभाषित नहीं है, किन्तु जिनके पर्याय का प्रयोग यू० पी० लैण्ड रवन्यू ऐक्ट, १९०१ में हुआ है, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट, में क्रमशः" Assistant Collector in charge sub-division", "Board of Revenue", "Collector", "minor", "revenue", "sub-proprietor" तथा "under-proprietor"।

अध्याय २

कृषि-क्षेत्रों का परिच्छेद

कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद की आज्ञा देने का अधिकार।

३—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नागर-क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व (rights title and interest) अर्जन (acquisition) करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा आदेश दे सकती है कि ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद किया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र परिच्छेद अधिकारी नियत रीति से जांच करेगा तथा नागर-क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि-क्षेत्रों का अवधारण तथा परिच्छेद करेगा।

प्रारम्भिक प्रस्तावों का प्रकाशन तथा उन पर आपत्तियां।

४—(१) परिच्छेद अधिकारी, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीन मास अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार किसी मामले में निश्चित करे, कारण बतलाते हुए अपने प्रस्तावों को परिच्छेद आयुक्त (Demarcation Commissioner) के पास प्रस्तुत करेगा जो उसमें ऐसे परिष्कार (modifications) कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत आकार में नोटिस गजट में तथा अन्य किसी ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय की प्रकाशित करायेगा कि प्रस्ताव जहां तक कि उनका सम्बन्ध कृषि-क्षेत्रों के परिच्छेद से है, सूत्रित (formulated) हो चुके हैं और उक्त नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(३) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकारी (local authority) उपधारा (२) के अधीन नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

अन्तिम परिच्छेद (final demarcation)।

५—(१) धारा ४ की उपधारा (३) में उल्लिखित तीन मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिच्छेद आयुक्त नियत रीति से आपत्तियों के निर्णय करने की कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् कृषि-क्षेत्र का अन्तिम रूप से परिच्छेद करेगा।

(२) परिच्छेद आयुक्त द्वारा उपधारा (१) के अधीन कृषि-क्षेत्र को अन्तिम परिच्छेद हो जाने के पश्चात् वह गजट में तथा ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, इस आशय का नोटिस प्रकाशित करायेगा कि कृषि-क्षेत्रों का अन्तिम रूप से परिच्छेद हो गया है तथा उसके ब्योरे (details) नोटिस में निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

(३) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन परिच्छेद आयुक्त द्वारा पारित आज्ञा के विरुद्ध माल बोर्ड (Board of Revenue) में अपील हो सकेगी।

अधिकार अभिलेख (record of rights) का पुनरीक्षण।

६—राज्य सरकार, यदि वह किसी नागर-क्षेत्र के सम्बन्ध में यह आवश्यक समझे, आज्ञा द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख (record of rights) यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों के अनुसार तैयार अथवा पुनरीक्षित किया जाय।

अध्याय ३

मध्यवर्तियों के स्वत्वों का अर्जन और उसके परिणाम

कृषि क्षेत्रों का राज्य में निहित होना।

७—धारा ५ के अधीन कृषि-क्षेत्र का परिच्छेद होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से नागर-क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी क्षेत्र राज्य में निहित हो जायंगे

(shall vest in the State) और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक के आरम्भ से [जिसे आगे निहित होने का दिनांक (date of vesting) कहा जायगा,] ऐसे समस्त कृषि क्षेत्र राज्य को हस्तान्तरित (transfer) होकर, उस दशा को छोड़ कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है सब भारों से मुक्त (free from all encumbrances) हो, उसमें निहित हो जायंगे ।

विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशित किया जाना ।

८—धारा ७ में अभिदिष्ट विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और इस प्रकार का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (conclusive proof) होगा कि उसका यथाविधि प्रकाशन हो गया है ।

निहित होने के परिणाम ।

९—किसी कृषि-क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाने पर, किसी संविदा (contract), लेख्य (document) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि (any other law for the time being in force) में किसी बात के रहते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में किसी भिन्न व्यवस्था के न होने पर (save as otherwise provided in this Act) निहित होने के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसे क्षेत्र के संबंध में आगे लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात्—

(क) खानों और खनिज पदार्थों में यदि कोई अधिकार हों तो उनके सहित ऐसे क्षेत्र में तथा अधोभूमि (sub-soil) में सभी मध्यवर्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और समस्त भारों से मुक्त हो कर राज्य में निहित हो जायेंगे ।

(ख) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र की भूमि के, या उसमें, अथवा ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार के या में, अथवा मध्यवर्ती के पक्ष में उसकी मालगुजारी के, समस्त अनुदान तथा आगम-प्रदान (confirmation of title), चाहे वे आपस लिये जा सकते हों या नहीं, समाप्त हो जायेंगे,

(ग) (१) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से संबंधित ऐसे सभी लगान, अबवाब, स्थानिक कर (local rates) और सायर, जो निहित होने के दिनांक के पश्चात् किसी भी कालावधि के लिये हों, और जो क्षेत्र अर्जित न किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड का उल्लंघन करते हुए कोई भुगतान किया जायगा तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त होगा ।

(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध (agreement) या संविदा (contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् किसी अवधि का कोई लगान, अबवाब या स्थानिक-कर मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, या उसके द्वारा अभिसंधित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) किया गया हो, तो

उक्त अनुबंध या संविदा के होते हुये भी वह राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती से वसूल किया जा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग को बाधित न करते हुए, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा ।

(घ) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र से संबद्ध ऐसी सभी मालगुजारी (revenue), अबवाब अथवा अन्य देयों की समस्त बकाया, जो मध्यवर्ती से, निहित होने के दिनांक से पहले कि किसी अवधि के लिये प्राप्य हों, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल किये जाने योग्य बने रहेंगे और, वसूली के अन्य ढंगों को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकेगी ।

यू० पी, ऐक्ट २५, १९३४ ।

(ङ) ऐसी सब धनराशियां, जिन्हें राज्य सरकार को देने के लिये यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २७ और २८ के अधीन किसी मध्यवर्ती को आज्ञा हुयी हो या जो लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ अथवा एग्रीकलचरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, १८८४ के अधीन उससे प्राप्य हों, उपर्युक्त अधिनियमों में किसी बात के रहते हुये भी, तुरन्त देय हो जायेंगी और , यदि उनकी वसूली का कोई अन्य ढंग निर्दिष्ट हो तो उसे बाधित न करते हुए, ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ४ के अधीन मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल की जा सकेगी;

(च) इस प्रकार अर्जित क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी या माल (civil or revenue) न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन (execution) में कुर्क या नीलाम नहीं हो सकेगा और निहित होने के दिनांक पर वर्तमान (existing) प्रत्येक कुर्की और उस दिनांक से पहले दी गयी कुर्की की आज्ञा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में निष्प्रभाव हो जायगी (shall cease to have force);

(छ) (१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (mortgage with possession) जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस प्रकार अर्जित क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर हो, धारा ७ के अधीन राज्य सरकार के अधिकारों को बाधित न करते हुए, उस धानराशि के लिये, जो उस पर सुरक्षित हो, दृष्टि बंधक में (simple mortgage) परिवर्तित (substituted) समझा जायगा ;

(२) बंधकपत्र (mortgage deed) या किसी दूसरे अनुबन्ध (agreement) में किसी बात के रहते हुए भी, उपखंड (१) के अनसार परिवर्तित (substituted) दृष्टि बंधक

के सम्बन्ध में प्रख्यापित देय धनराशि पर ब्याज ऐसी दर ऐसे और ऐसे दिनांक से चलेगा जो नियत किया जाय ;

(ज) किसी ऐसे रुपये के लिये, जो इस प्रकार अर्जित किसी ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के बंधक से सुरक्षित (secured) अथवा उस पर भार-रूप (charged) हो, कोई दावा दायित्व, जो निहित होने के दिनांक से पहले मध्यवर्ती द्वारा या उसके विरुद्ध किया जा सकता हो या उपगत (incurred) किया गया हो, उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ में की गयी है, क्षेत्र में उसके स्वत्व (interest) के विरुद्ध व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा (shall not be enforceable); ऐक्ट ४, १८८२।

(झ) नियत किये जाने वाले प्रकार (nature) के ऐसे सब वाद (Suits) और कार्यवाहियों (proceedings) जो निहित होने के दिनांक पर किसी न्यायालय में विचाराधीन (pending) हों और निहित होने के दिनांक से पूर्व ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में हुई डिग्री या आज्ञा से संबंध रखने वाली सब कार्यवाहियां, स्थगित कर दी जायंगी (shall be stayed); तथा

(ञ) प्रत्येक ठेका ऐसे क्षेत्र की आयति तक (to the extent of) प्रभावशील नहीं रहेगा।

कुछ अधिकारों के संबंध में अपवाद।

१०—इस अध्याय में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकारों पर नहीं होगा :

(क) इस अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार अर्जित किसी कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत किसी खान को चलाते रहने का अधिकार, जो तत्समय प्रचलित (for the time being in force) विधि द्वारा नियमित होगा,

(ख) निहित होने के दिनांक से पहले के लगान, अबवाब, सायर या अन्य देयों की बकाया की वसूली का अधिकार जो इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूल किये जा सकेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बकाया की कोई डिक्री अथवा लगान की बकाया न देने के कारण बेदखली की आज्ञा वाद ऋणी (judgment debtor) की उसके खाते से बेदखली द्वारा अथवा उसके खाते की बिक्री द्वारा निष्पादित नहीं की जायगी :

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कोई मध्यवर्ती लगान, स्थानिक कर (local rates), सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियों (dues) का देनदार है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस मध्यवर्ती का उस क्षेत्र में स्वत्व (interest) अर्जित कर लिया गया है, जिसकी बकाया देय है, तो लगान, स्थानिक कर, सायर अथवा पूर्वोक्त अन्य देय धनराशियां, प्राप्ति-कर्ता द्वारा वसूली के अन्य साधनों को बाधित न करते हुये, मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर में से वसूल किये अथवा चुकाये जा सकते हैं।

खान और खनिज पदार्थ ।

११--१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ६ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्र में खानों और खनिज पदार्थों (mines and minerals) पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन अर्जित आस्थानों (estates) की खानों और खनिज पदार्थों के संबंध में लागू होते हैं ।

भरण-पोषण के लिये दी गई सीर या खुदकाश्त ।

१२--यदि किसी कृषि क्षेत्र के सीरदार या खुदकाश्तदार ने अपनी सीर या खुदकाश्त किसी दूसरे व्यक्ति को भरण-पोषण (maintenance) के लिये दे रक्खी हो तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस भूमि का असामी समझा जायगा और उस को वह भूमि उस अवधि तक रखने का अधिकार होगा जब तक कि उसको भरण-पोषण पाने का अधिकार रहे ।

कुछ अवस्थाओं में ठेकेदारों का मौरूसी काश्तकार होना ।

१३--(१) यदि किसी कृषि क्षेत्र में कोई भूमि १ जुलाई, १९५५ को किसी व्यक्ति की निज जोत में ठेकेदार की हैसियत से रही हो और ठेका इस आशय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करेगा तो किसी विधि, लेख्य या न्यायालय की आज्ञा में किसी बात के रहते हुये भी उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह उस भूमि का ऐसा मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant) है, जिसे उस भूमि को अपने कब्जे में मौरूसी काश्तकार की हैसियत से रखने और, यदि पूर्वोक्त दिनांक के पश्चात् वह बेदखल हो गया हो तो, उस को उस हैसियत से फिर कब्जा पाने का अधिकार है और वह उस भूमि के लिये मौरूसी दर से लगान का देनदार होगा ।

(२) ठेके की भूमि का ठेके के प्रारम्भ से ठेकेदार की निज जोत में रहना, इंडियन एवीडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ९१ और ९२ में किसी बात के रहते हुये भी, इस बात के प्रमाण में ग्राह्य होगा कि ठेका उपधारा (१) में उल्लिखित आशय से दिया गया है ।

आस्थान जो ठेकेदार के कब्जे में हों ।

१४--(१) धारा १३ तथा इस धारा की उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषि क्षेत्र की भूमि के ठेकेदार को, निहित होने के दिनांक से, ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि को ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जायगा ।

(२) जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसी कोई भूमि ठेकेदार की निज जोत में रही हो, उस दशा में--

(क) यदि वह भूमि ठेका दिया जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी, तो धारा १७ के प्रयोजन के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर, वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायगी तथा निहित होने के दिनांक से ठेकेदार उसका आसामी हो जायगा और निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगान का देनदार होगा तथा भूमि पर, ठेके की शेष अवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष, दोनों में से जो कम हो उस अवधि के लिये, उसी रूप में काबिज रहने का अधिकारी होगा ;

(ख) यदि वह ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त नहीं थी, और

(१) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं है, तो धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि ठेकेदार के पास मौरूसी काश्तकार के नाते ऐसे लगान पर रही है, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के बराबर हो ;

(२) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसके पास उसमें से तीस एकड़ भूमि धारा १८ के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के नाते रही है और शेष खाली भूमि समझी जायगी और ठेकेदार अध्याय ७ के उपबन्धों के अनुसार उससे बेदखल हो सकेगा।

भोग बंधकी के कब्जे का आस्थान।

१५—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, किसी कृषि क्षेत्र या उस के अंश (share) के किसी भोगबंध की (mortgagee with possession) को, निहित होने के दिनांक से, उस क्षेत्र की किसी भूमि को भोगबन्धकी के नाते अपने पास या कब्जे में रख सकने का अधिकार नहीं रह जायगा।

(२) जहां ऐसी कोई भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर बन्धकी (mortgagee) की निज जोत में रही हो, उस दशा में—

(क) यदि उक्त भूमिबन्धक (mortgagee) के दिनांक पर बन्धककर्त्ता की सीर या खुदकाश्त थी तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह बन्धक-कर्त्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि (legal representative) की सीर या खुदकाश्त है, और

(ख) यदि बन्धक के दिनांक पर वह बन्धक-कर्ता (mortgagor) की सीर या खुदकाश्त नहीं थी तो बन्धकी द्वारा निहित होने के दिनांक से छः मास के भीतर राज्य सरकार को ऐसी धनराशि दे दिये जाने पर जो, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर से लगाये गये लगान का पांच गुना हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह भूमि बन्धकी के पास पूर्वोक्त दिनांक पर और उक्त दर के लगान पर मौरूसी काश्तकार के नाते थी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्धकी दिये गये समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि न दे तो ऐसी भूमि में उस के सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वह भमि खाली भूमि समझी जायगी तथा अध्याय ७ के अधीन कलेक्टर द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर बन्धकी इस प्रकार बेदखल हो सकेगा मानो वह उक्त भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल काबिज रहा हो।

स्पष्टीकरण (१)—इस धारा के प्रयोजनों के लिये भोगबन्धकी के अन्तर्गत उस के भोगबन्धक संबंधी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा।

स्पष्टीकरण (२)—जब कोई भूमि भोगबन्धक हो और बन्धककर्त्ता उसी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उस भूमि का द्वितीय अथवा पर्वती (subsequent) बंधक कर देता है, तब "पद बंधक का दिनांक पर (on the date

of the mortgage)" का तात्पर्य बंधक के उस दिनांक से होगा जिसके अनुसार बंधककर्त्ता ने सर्व प्रथम बंधकी को कब्जा संक्रमित (transferred) किया हो।

ऐसी सीर, खुदकाश्त इत्यादि का परिच्छेद जो संयुक्त रूप से कब्जे में हो।

१६—(१) यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में ठेकेदार से भिन्न किसी मध्यवर्ती के पास, अन्य व्यक्तियों के साथ, उस के संयुक्त स्वामित्व वाली कोई भूमि, संबद्ध क्षेत्र में उसके आनुपातिक अंश से अधिक (अंश में) उसकी निज जोत में अथवा सीर, खुदकाश्त अथवा मध्यवर्ती के बाग (काश्तकार के पास की भूमि से भिन्न) के रूप में रही हो तो यथाशीघ्र नियत प्राधिकारी (prescribed authority) ऐसे मध्यवर्ती के अंश के अनुपात में उस भूमि का परिच्छेद कर देगा।

(२) (क) —धारा १७ के प्रयोजनों के लिये केवल उतनी भूमि जिसका इस प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती का बाग समझी जायगी, और

(ख) वह भूमि, जो उसके पास उसके अंश से अधिक हो, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये उस के पास साकितुलमिल्कियत काश्तकार (ex-proprietory tenant) की भूमि के रूप में रही समझी जायगी और उसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू साकितुलमिल्कियत कश्तकारों के दर से लगान देना होगा।

मध्यवर्ती का काश्तकारों के साथ भूमिधर के नाते कुछ भूमियों का बन्दोबस्त किया जाना।

१७—(१) धारा १६ और १८ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये—

किसी कृषि क्षेत्र की ऐसी सब भूमि, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर—

(१) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्जे में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो,

(२) अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के पास बाग के रूप में या निज जोत में हो,

(३) शरहमुय्यन काश्तकार के पास शरहमुय्यन काश्तकार होने के नाते या माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, अथवा

(४) खाते को बेचने का अधिकार रखने वाले किसी—

(१) दखीलकार काश्तकार,

(२) मौरूसी काश्तकार, या

(३) काश्तकार पट्टा दवामी या इस्तमरारी के पास, अथवा

(ख) किसी कृषि क्षेत्र में ऐसी समस्त भूमि, जो उस पर भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ १ जुलाई, १९५५ के पूर्व विधिवत निष्पादित पट्टे पर थी,

(५) बागदार (grove-holder) के पास हो, और सरकार के विषय में यह समझा जायगा कि राज्य द्वारा ऐसे मध्यवर्ती पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार अथवा बागदार जैसी भी दशा हो, के साथ उसका बंदोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, भूमिधर के नाते अपने कब्जे में ले ले या रखे।

स्पष्टीकरण—खंड (१) में 'सीर' के अन्तर्गत काश्तकार के पास की सीर नहीं है,

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में, जो १९४९ ई० के संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट) की धारा ३ में उल्लिखित वर्ग का हो और जिसे किसी खाते या उसके किसी अंश के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा ६ में अभिदिष्ट प्रख्यापन प्रदान कर दिया गया हो, जब तक कि उक्त प्रख्यापन बाद को निरस्त (set aside) न हो जावे, यह समझा जायगा कि वह उस खाते या बाग का, जैसी भी दशा हो, भूमिधर है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त धारा ६ के अधीन अधिकारों के कथित (purported) के प्रयोग अधीन किये गये प्रख्यापन का अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानो १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट,) उस क्षेत्र में प्रवृत्त (applicable) था जहां वह भूमि जिसके संबंध में प्रख्यापन किया गया था, स्थित है।

खाते की भूमि का उसके काश्तकार के साथ सीरदार के नाते बंदोबस्त।

१८—(१) धारा १९ के उपबन्धों को बाधित न करते हुये किसी कृषि-क्षेत्र में ऐसी सब भूमि के विषय में, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समझी जाय, केवल उन दशाओं को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में की गयी है यह समझा जायगा कि उस का बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और इस अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुये उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि सीरदार के रूप में वह भूमि अपने कब्जे में ले ले या रखे :

(१) अवध में विशेष शर्तों वाला काश्तकार (tenant holding on special terms in Avadh),

(२) साकितुलमिल्कियत काश्तकार (ex-proprietory tenant);

(३) दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant);

(४) मौरूसी काश्तकार (hereditary tenant);

(५) काश्तकार रियायती लगान (grantee at favourable rate of rent);

(६) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ३० की उपधारा (५) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में (tea estates) के नाम से विज्ञप्ति चाय आस्थानों का गैरदखीलकार काश्तकार,

(७) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार।

(२) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो :

(क) सीर का काश्तकार, अथवा

(ख) बाग भूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काश्तकार (sub-tenant) जो यू० पी० टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो,

जब तक धारा १९ के खंड (ज) के अधीन असामी न हो जाय तब तक वह सीरदार की हैसियत से कब्जा पाने और बनाये रखने का अधिकारी होगा तथा यह समझा जायगा कि उस के साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि का बन्दोबस्त कर दिया गया है।

गैरदखीलकार काश्तकारों, बाग-भूमि के शिकमियों और काश्तकारों के बन्धकियों का असामी होना ।

१९—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में कोई भूमि निम्नलिखित के नाते रही हो, इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, उस भूमि का असामी समझा जायगा :

(क) किसी मध्यवर्ती का बाग भूमि (grove land) का गैरदखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant),

(ख) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार (sub-tenant),

(ग) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड (proviso) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार,

(घ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (२) से (६) तक तथा धारा १८ के खंड (१) से (७) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के व्यक्ति का वास्तविक भोगबन्धकी (mortgagee in actual possesion),

(ङ) पशुचर भूमि (pasture land) का या ऐसी भूमि का, जिस पर पानी हो और जो सिंघाडा या किसी दूसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो अथवा ऐसी भूमि का जो नदी के तल (bed of a river) में हो और कभी-कभी खेती के काम में आती हो, गैरदखीलकार काश्तकार,

(च) ऐसी भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उस में टौंगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह उसके लिये अलग कर दी गयी है,

(छ) ऐसी भूमि का काश्तकार, जिसके विषय में राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह स्थायी या अस्थिर (shifting or unstable) खेती के क्षेत्र का भाग है,

(ज) सीर का काश्तकार अथवा धारा १८ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार यदि सीरदार (sir-holder) अथवा क्षेत्रपति (land-holder), जैसी भी दशा हो, अथवा यदि एक से अधिक सीरदार अथवा क्षेत्रपति हों तो वे सब, —

(१) यदि भूमि २० जनवरी, १९५० से पूर्व उठायी गयी हो अथवा कब्जे में आयी हो, तो उठाये जाने या कब्जा किये जाने के दिनाँक पर, जैसी भी दशा हो, तथा २० जनवरी, १९५० को, और

(२) यदि भूमि २० जनवरी, १९५० के पश्चात् उठायी गयी हो या कब्जे में आयी हो, तो उठाये जाने अथवा कब्जा किये जाने के दिनांक पर

ऐसे अनुकूलों (adaptations), परिष्कारों (modifications), परिवर्तनों (alterations) अथवा अपवादों (exceptions) के अधीन, जो अध्याय ७ के अधीन निर्दिष्ट किये जायं, १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १५७ की उपधारा (१) में उल्लिखित एक या अधिक वर्गों के हों, और

(झ) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा २५२ की उपधारा (१) के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गए पट्टे के अन्तर्गत काबिज पट्टेदार, और

(ञ) धारा १७ की उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट पट्टे की भूमि रखने वाले किसी व्यक्ति का शिकमी पट्टेदार (sub-lessee)।

स्पष्टीकरण—"टौंगिया रीति से वन लगाने" का तात्पर्य वन लगाने की उस रीति (system of afforestation) से है, जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में पेड़ लगाने के साथ-साथ खेती की फसलें भी बोई जाती हैं और जिसमें फसलों का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ ऐसी छतरी के रूप में हो जायें जिससे खेती की फसलों का बोना असम्भव हो जाय।

१ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद हुए लगान-परिवर्तन का मान्य न होना।

२०—यद्यपि इस अधिनियम के अधीन अजित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उस के पश्चात् किसी मध्यवर्ती या काश्तकार द्वारा या उस की ओर से कोई संविदा (contract) किया गया हो या कोई बात की गई या होने दी गई हो, तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर काश्तकार द्वारा देय लगान उस लगान की धनराशि के बराबर समझा जायगा, जिसका वह काश्तकार या उस का पूर्वाधिकारी (predecessor-in-title) उक्त दिनांक पर देनदार रहा हो और यदि उक्त दिनांक के पश्चात् किसी न्यायालय की डिक्री या आज्ञा के अतिरिक्त किसी और प्रकार से उस में कोई कमी या छूट की गई हो तो उस पर विचार नहीं किया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिक्री या आज्ञा के अनुसार कम किया हुआ लगान, उपर्युक्त सर्किल रेट के अनुसार लगाये गये लगान से कम हो तो इस प्रकार लगाया गया लगान ही देय लगान होगा।

कलेक्टर द्वारा आस्थानों का अवधान में लिया जाना।

२१—धारा ७ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर, कलेक्टर या उस के द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये वह वैध (lawful) होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई क्षेत्र या क्षेत्र का भाग तथा सभी ऐसे स्वत्व (interests) अपने अवधान (charge) में ले ले जो इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार राज्य में निहित हो गये हों और ऐसे कार्य करे या कराये और ऐसा बल प्रयोग करे या कराये जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो,

(ख) इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार अर्जित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे, और उस का पर्यालोकन (survey) या पैमाइश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जो उसके विचार से इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति को, किसी कृषि क्षेत्र या उस के भाग से सम्बद्ध (relating to) बही (books), हिसाब (accounts) या अन्य लेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय, या मांगी जाय देने की आज्ञा दे, और

(घ) यदि बही, हिसाब और अन्य लेख्य आज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी बही, हिसाब तथा दूसरे लेख्य अपने कब्जे में कर ले।

अध्याय ४

प्रतिकर का निर्धारण

स्वत्वों के अर्जन के कारण मध्यवर्ती का प्रतिकर पाने का अधिकारी होना।

२२—प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी कृषि क्षेत्र में अधिकार (right), आगम (title) या स्वत्व (interest) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित कर लिया जाय, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उस को प्रतिकर दिया जायगा।

प्रतिकर देय होने का दिनांक।

२३—(१) प्रतिकर निहित होने के दिनांक से देय हो जायगा, किन्तु यह बात उस की मात्रा के अवधारण पर उपाश्रित रहेगी।

(२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर राज्य सरकार, निहित होने के दिनांक से—

(१) नगद दी जाने वाली प्रति कर की मात्रा के विषय में, उसके अवधारण के दिनांक तक, और

(२) बन्धों (bonds) के रूप में दी जाने वाली मात्रा के विषय में उक्त बन्धों की मुक्ति (redemption) के दिनांक तक २ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देगी।

२४—(१) राज्य सरकार ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अन्तरिम (interim) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकती है। अंतरिम प्रतिकर

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निहित होने के दिनांक से नौ मास के भीतर मध्यवर्ती को देय प्रतिकर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अवधारित न किया जा सके तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर राज्य सरकार को उसे ऐसा अन्तरिम प्रतिकर दिये जाने का निर्देशन करना होगा।

(२) यदि किसी कृषि क्षेत्र या उसके भाग में किसी मध्यवर्ती के अधिकार आगम अथवा स्वत्व पर कोई व्यक्ति विवाद करता हो तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में अंतरिम प्रतिकर (interim compensation), प्रतिभूति (security) पुनर्भुगतान (repayment) अथवा अन्य किसी बात के सम्बन्ध में उस व्यक्ति को, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (conditions and restrictio ns) के अधीन, जो नियत किये जायं, दिया जायगा।

२५—धारा २४ के अधीन दिया गया अंतरिम प्रतिकर इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भाग समझा जायगा और उसी में से काट कर संधानित (adjusted) कर दिया जायगा। अंतरिम प्रतिकर का संधान।

२६—प्रतिकर निर्धारण तथा पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से संबंधित सब कार्यवाही ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे, जिसके अधिक्षेत्र में अर्जित किया गया कृषिक्षेत्र स्थिति हो। प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया।

२७—प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिये प्रतिकर अधिकारी एक ऐसी प्रतिकर निर्धारण तालिका (Compensation Assessment Roll) तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दिखायी जायेंगी:— प्रतिकर निर्धारण तालिका।

(क) प्रत्येक मध्यवर्ती की कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में कच्ची और पक्की निकासी (gross assets and net assets),
(ख) निहित होने के दिनांक से पूर्व किसी भी भूमि अवधि के लिये क्षेत्र के सम्बन्ध में मध्यवर्ती द्वारा देये लगान, मालगुजारी, अबवाब (cess) तथा दूसरों देयों की बकाया (arrears),
(ग) क्षेत्र में अपने अंश (share) या स्वत्व के सम्बन्ध में प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा देय पिछले कृषि–वर्ष की मालगुजारी, और
(घ) ऐसे दूसरे ब्योरे जो नियत किये जायं।

२८—धारा २७ के अधीन तैयार की गयी प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उक्त तालिका में उन बातों के प्रमाण में ग्राह्य होगी जो उसमें लिखी हो (Shall be receivable as evidence of the facts stated therein), प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होना।

(२९) यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ या समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी, यदि प्रतिकर अधिकारी को यह संतोष हो जाय कि अधिकार—अभिलेख में कोई लेख या गणना की अशुद्धि (clerical or arithmetical) अथवा ऐसी कोई भूल (mistake or error) है जो बिलकुल प्रत्यक्ष हो (apparent on the face) तो वह स्वयं अथवा किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उसको शुद्ध कर सकता है। अधिकार अभिलेखों में लेख य गणना की अशुद्धि का ठीक किया जाना।

३०—धारा २९ में कही गयी किसी बात का प्रभाव किसी व्यक्ति के उस अधिकार पर नहीं होगा, जो किसी अधिक्षेत्रयुक्त न्यायालय में यथावत् व्यवहार (due process of law) द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये गये कृषि क्षेत्र में अपना स्वत्व स्थापित करने के सम्बन्ध में हो। दीवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का अधिकार।

कच्ची निकासी की संगणना (calculation)।

३१—कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती की कच्ची निकासी (gross assets) का तात्पर्य उसके अंश अथवा स्वत्व की कुल कच्ची आय (aggregate gross income) से है, साथ ही इसका तात्पर्य शिकमी काश्तकार, काश्तकार या माफीदार या बागदार जो धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) में अभिदिष्ट, हो मातहतदार, अदन मालिक, दवामी काश्तकार तथा अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी द्वारा अथवा उनकी ओर से —

(१) नकदी के रूप में, अथवा

(२) यदि लगान जिन्सी है, अथवा अंशतः नकदी और अंशतः जिन्सी है, तो उस लगान के रूप में जो यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अनुसार लगाया जाय, और

(३) यदि लगान देय हो, किन्तु अवधारित न हुआ हो तो मातहतदार अदना मालिक और साकितुलमिल्कियत कातकारों के सम्बन्ध में साकितुलमिल्कियत दरों से अवधारित लगान और अन्य के सम्बन्ध में मौरूसी दरों से अवधरित लगान के रूप में देय लगान जिसमें अबवाब (cesses) और स्थानिक—कर (local rates) सम्मिलित हैं, से भी है।

ठेकेदारी की कच्ची निकासी।

३२—जहां निहित होने के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी कृषि क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती का स्वत्व या अंश किसी ठेकेदार के पास था उस दशा में धारा ३१ में दिये सिद्धांतों के अनुसार लगायी जानेवाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती को अन्यथा देय न भी हो, ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समझी जायगी।

पक्की निकासी की संगणना।

३३—प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार करने में मध्यवर्ती की पक्की निकासी (net assets) ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित को घटाकर निकाली जायगी :—

(क) ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जायगी और जो मध्यवर्ती द्वारा पिछले कृषि वर्ष में राज्य सरकार या प्रवर क्षेत्रपति (superior land-holder), को कृषि के सम्बन्ध में मालगुजारी अथवा लगान तथा अबवाब अथवा स्थानिक—कर के निमित्त देय थी ;

(ख) प्रबंध व्यय (cost of management) और लगान की ऐसी बकाया जो वसूल न हो सकती हो दोनों मिलकर कच्ची निकासी के १५ प्रतिशत के बराबर,

(ग) मध्यवर्ती द्वारा किसी कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष के लिये दिये अथवा दिये जाने वाले कृषि—आय-कर के यदि कोई हो, निमित्त ऐसी धनराशि जिसकी नियत रीति से गणना की जाय।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये ऐसी मालगुजारी जो राज्य सरकार या किसी दूसरे समर्थ प्राधिकारी (competent authority) के द्वारा या उसकी ओर से ऐसे मध्यवर्ती के पक्ष में दिये गये अनुदान (grant) या किये गये पुष्टीकरण (confirmation) के कारण अभ्यर्पित (assigned), अभित्यरिक्त (released), अभिसंधित (compounded) अथवा निष्क्रीत (redeemed) की गयी हो, राज्य सरकार को मालगुजारी के रूप में देय धनराशि नहीं समझी जायगी।

३४—ऐसे स्वामियों पर, जिन्हें यूनाइटेड प्राविंसेज लैन्ड रेन्वेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७८ लागू होती है या जिन्हें मालगुजारी अभ्यर्पित (assigned) है और जिनके नाम उक्त अधिनियम की धारा ३२ के खंड (ए) और (डी) के अनुसार रक्खे गये अधिकार-अभिलेखों (records of rights) में दर्ज हैं तथा मातहतदारों (under-proprietors), अदना मालिकों (sub-proprietors), दवामी काश्तकारों (permanent tenure-holders), अवध के पट्टेदारों, दवामी या इस्तमरारी (permanent lesses in Avadh) तथा उप-मध्यवर्तियों (sub-intermediaries) पर धारा ३१ और ३३ उपबन्ध ऐसे आनुषांगिक (incidental) परिवर्तनों (charges) और परिष्कारों (modifications) के साथ, जो नियत किये जायं लागू होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची और पक्की निकासी तदनुसार लगायी जायगी ।

मातहतदारों, दवामी काश्तकारों और अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी की कच्ची और पक्की निकासी निकालना ।

३५—(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार हो जाने पर, प्रतिकर अधिकारी—

(क) गजट में और अन्य रीति से, जो नियत की जाय इस आशय का नोटिस प्रकाशित करेगा, और

(ख) प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की प्रति (copy) के साथ पूर्वक नोटिस की एक प्रति संबंधित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा ।

(२) स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को उपधारा (१) के अधीन नोटिस द्वारा आज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित होकर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में आपत्ति प्रस्तुत करे,

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई आपत्ति इस आधार पर ग्राह्य नहीं होगी, (shall not be entertained) कि कृषिक्षेत्रमें मध्यवर्ती का अधिक या कम अंश है अथवा उसका कोई भी अंश नहीं है जब तक और जहां तक वह धारा २९ के अधीन दी गयी किसी डिक्री अथवा आज्ञा से उत्पन्न न होता हो ।

३६—दिये गये समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत होने पर, प्रतिकर अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करके उसकी सूचना संबंधित मध्यवर्ती को और स्वत्व रखने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (person interested) को देगा, जो धारा ३५ के अधीन नोटिस के प्रतिवाद (reply) में उपस्थित हुआ हो ।

आपत्ति-पत्रों की सुनवाई का दिनांक।

३७—धारा ३५ के अधीन प्रस्तुत की गयी आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी को दीवानी न्यायालय (civil court) के सभी अधिकार, जहां तक वे लागू हो सकें और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत (inconsistent) न हों, प्राप्त होंगे और ऐसे परिष्कारों (modifications) के साथ जो नियत किये जायं, वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति (immoveable property) सम्बन्धी वादों (suits) की सुनवायी और निस्तारण (disposal) के लिये दी गयी है ।

आपत्ति-पत्रों की सुनवाई और निर्णय ।

३८—प्रतिकर अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति के सम्बन्ध में धारा ३७ के अधीन दी गयी निर्णयात्मक आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसमें मुकद्दमे का संक्षिप्त विवरण, विचारणीय विषय, उनका निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण दिये जायेंगे ।

धारा ३७ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना ।

डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील ।

३९—किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, धारा ३७ के अधीन प्रतिकर अधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी ।

हाईकोर्ट में अपील ।

४०—धारा ३९ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गयी अपील की डिक्री के विरुद्ध कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १०० में दिये गये आधारों में से किसी आधार पर हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी।

पुनरीक्षण (Revision)

४१—प्रतिकर अधिकारी द्वारा निर्णित किसी भी वाद के अभिलेख (record) को, जिनमें अपील न हो सकती हो, हाईकोर्ट मंगवा सकता है और यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रतिकर अधिकारी ने—

(क) ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है, जो उसमें विधि द्वारा निहित (vested) नहीं है, अथवा

(ख) इस प्रकार निहित अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, अथवा

(ग) अपने अधिक्षेत्र के प्रयोग के सम्बन्ध में अवैध, अथवा ऐसी जिसका कोई महत्व हो अनियमितता (with material irregularity) से कार्य किया है, तो हाईकोर्ट ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे ।

अंतिम प्रतिक निर्धारण तालिका ।

४२—(१) यदि धारा ३५ के अधीन नोटिस जारी होने पर प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी हो या यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होने पर उनका निस्तारण (disposal) हो गया हो और तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर दिया गया हो, तो प्रतिकर अधिकारी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा और अपनी मुहर भी लगा देगा ।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये और मुहर लगाये जाने पर प्रतिकर निर्धारण तालिका अंतिम हो जायगी ।

तालिका की प्रति-लिपि का मध्य वर्ती को दिया जाना।

४३—प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रति बिना शुल्क संबंधित मध्यवर्ती को दे देगा और एक प्रति उस प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि क्षेत्र के परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector in charge of the Sub-Division) के कार्यालय के सूचना पट्ट (notice-board) पर भी लगवा देगा ।

मध्यवर्ती को देय प्रतिकर की मात्रा

४४—प्रतिकर निर्धारण तालिका से सम्बद्ध कृषि-क्षेत्र में किसी मध्यवर्ती के स्वत्वों के निमित्त उसे प्रतिकर रूप में देय धनराशि ऐसी दशा को छोड़कर जहां मध्यवर्ती का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवर्ती स्वयं ठेकेदार हो, धारा ४२ के अधीन निर्मित प्रतिकर निर्धारण तालिका में लिखित पक्की निकासी के सोलह गुने के बराबर होगी ।

ठेकेदार को देय प्रतिकर की मात्रा

४५—यदि अर्जित कृषि क्षेत्र में मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेदार के पास हो तो मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी गयी पक्की निकासी पर धारा ४४ में दिये सिद्धांतों के अनुसार लगाया गया प्रतिकर उक्त क्षेत्र में मध्यवर्ती और ठेकेदार के स्वत्वों के सम्बन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर अधिकारी उक्त धनराशि को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखते हुये उन दोनों में बांट देगा :

(क) नजराना (premium), यदि ठेके के प्रारम्भ में कोई दिया गया हो ,

(ख) ठेके की कुल अवधि तथा उसकी शेष अवधि,

(ग) ठेके के अन्तर्गत क्षेत्र किस सीमा तक अर्जित हो चुका है,

(घ) ठेके के अन्तर्गत अवशेष (balance) की कच्ची और पक्की निकासी ,

(ङ) ठेकेदार द्वारा प्रति वर्ष देय धनराशि,

(च) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं।

मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर का विभाजन।

४६—मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने में प्रतिकर अधिकारी ऐसी प्रतिक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय ।

धारा ४६ के अधीन आज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाना।

४७—(१) मध्यवर्ती और ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करनेके सम्बन्ध में प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा अधिक्षेत्र—युक्त (Civil Court of competent Jurisdiction) दीवानी न्यायालय—की डिक्री समझी जायगी ।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के रहते हुये भी उपधारा (१) उल्लिखित डिग्री के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष अपील हो सकेगी तथा अपील में दी हुयी आज्ञा, उस व्यवस्था को छोड़कर जो उपधारा (३) में की गयी है, निश्चयाक (conclusive) होगी ।

(३) हाई कोर्ट उपधारा (१) के अधीन पारित किसी आज्ञा को धारा ४१ में अभिलिखित (क) से (ग) तक के किसी आधार पर पुनरीक्षित (revise) कर सकता है ।

अपील के स्मरण-पत्र पर देय न्याय-शुल्क।

४८—कोर्ट फीस ऐक्ट १८७० में किसी बात के रहते हुये भी धारा ३९, ४० अथवा धारा ४७ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपील के स्मरण-पत्र (memorandum) पर देय न्याय शुल्क (Court fee) वह होगा जो नियत किया जाय ।

ऐसी अशुद्धियों का ठीक किया जाना जो अकामतः हुयी हों।

४९—(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के अन्तिम (final) हो जाने पर, ऐसी दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन की गयी हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा ।

(२) अधिक्षेत्र युक्त प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (a person interested) की प्रार्थना पर अंतिम रूप से प्रकाशित प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी लेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी अशुद्धियों (clerical or arithmetical errors) के या किसी ऐसी अशुद्धि को जो उसमें किसी आकस्मिक भूल या चूक (accidental slip or ommission) से हो गयी हो, ठीक कर सकता है ।

अध्याय ५

प्रतिकर का भुगतान

तालिका में दर्ज प्रतिकर का दिया जाना।

५०—मध्यवर्ती को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषिक्षेत्र में उसके अधिकार, आगम और स्वत्व के अर्जित किये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि दी जायगी, जो धारा ४४ के अधीन इस सम्बन्ध में प्रख्यापित की गयी हो ।

तालिका में दर्ज मध्यवर्ती का प्रतिकर पाना।

५१---धारा ५४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर पाने का अधिकारी वह मध्यवर्ती होगा, जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो।

विधिक प्रतिनिधि को देय प्रतिकर।

५२--यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी मध्यवर्ती प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उसके विविध प्रतिनिधि को देय होगा।

प्रतिकर के भुगतान का रूप।

५३---इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगदी में बन्धों (bonds) के रूप में अथवा अंशतः नगदी और अंशतः बन्धों के रूप में जैसा भी नियत किया जाय, दिया जायगा।

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य प्राधिकारी के पास प्रतिकर का जमा किया जाना।

५४---(१) यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ, न्यास (trust) या धर्मस्व (endowment) हो अथवा कोई अवयस्क हो अथवा किसी व्यवहारिक अक्षमता (legal disability) के अधीन कोई व्यक्ति हो अथवा कोई सीमित स्वाम्य वाला व्यक्ति (limited owner) हो तो किसी विधि (law) में किसी बात के रहते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले सामान्य निर्देशों (general directions) के अधीन प्रतिकर उस व्यक्ति के लिये और उसकी ओर से ऐसे प्राधिकारी या बैंक के पास जो नियत किया जाय, जमा कर दिया जा सकेगा।

(२) ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके लिये या जिसकी ओर से प्रतिकर जमा किया गया हो, उक्त प्रतिकर के उपयोग (utilization) और विन्यास (disposal) को अधिकारों को नियमित करने वाली विधि के अनुसार उसका उपयोग और विन्यास का अधिकार उपधारा (१) में कही गयी किसी बात से बाधित होता नहीं समझा जायगा।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति केवल इस कारण समिति स्वाम्यवाला व्यक्ति नहीं समझा जायगा कि अवध सेटेल्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९१७ या यूनाइटेड प्राविंसेज इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० के उपबन्धों के अधीन उन स्थानों के सम्बन्ध में, जिनके लिये प्रतिकर देय है, प्रख्यापन कर दिया गया है।

प्रतिकर का न्यायालय अथवा प्राधिकारी के हाथ में दिया जाना।

५५---यदि किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के सामने ऐसा कोई वाद या व्यवहार विचाराधीन हो, जिसका किसी व्यक्ति के अध्याय ४ के अधीन अवधारित कुल प्रतिकर अथवा उसका भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तो उक्त न्यायालय या प्राधिकारी को अधिकार होगा कि प्रतिकर अधिकारी को आदेश दे कि इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में दे दे (place at his disposal) और तब उस धनराशि का विन्यास (disposal) ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी की आज्ञा के अनुसार ही किया जायगा।

अध्याय ६

भूमि-प्रबन्ध

भूमि का अधीक्षण, प्रबंध और निबंत्रण।

५६---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निहित होने के दिनांक से राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से ऐसी समस्त भूमियों और वस्तुओं के जो धारा ९ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हों, साधारण अधीक्षण (general superintendence) प्रबन्ध, संरक्षण तथा नियंत्रण का भार कलेक्टर पर होगा।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को बाधित न करते हुए सरकार द्वारा गजेट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके आदिष्ट (directed) किये जाने किसी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट दिनांक से, राज्य के लिये, तथा उसकी ओर से, धारा ६ के अधीन राज्य सरकार में निहित सभी या किसी भूमि या वस्तु के साधारण प्रबन्ध का आभार सौंपा जा सकता है ।

भूमि प्रबंध कोष ।

५७—(१) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी को धारा ५६ के अधीन भूमि के साधारण प्रबन्ध का आभार सौंपा गया हो तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक भूमि प्रबन्ध कोष (Land Management fund) की स्थापना करेगा ।

(२) कोष में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे —

(क) वे कुल धन जो इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी को राज्य सरकार के लिये या उसकी ओर से मिलें, और

(ख) ऐसी अन्य धनराशियां जो नियत की जायं ।

(३) स्थानीय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन और कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होने वाले परिव्ययों (charges) के लिये कोष को नियत रीति से उपयोग में लाये ।

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की आज्ञाओं और निर्देशों का कार्यान्वित किया जाना ।

५८—(१) किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी आज्ञायें और ऐसे निर्देश दे सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों :

(२) स्थानीय प्राधिकारी और उसके पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे तुरन्त ऐसी आज्ञायें कार्यान्वित करें और निदेशों का पालन करें ।

भूमि प्रबन्ध की वैकल्पित व्यवस्था ।

५९—(१) यदि किसी समय राज्य सरकार को यह संतोष हो जाय कि :

(क) स्थानीय प्राधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुये भी (without reasonable cause or excuse) नहीं किया है, अथवा

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्देशित कर्त्तव्यों का पालन या सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करने में स्थानीय प्राधिकारी असमर्थ हो गया है या हो जा सकता है, अथवा

(ग) और कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है, तो गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी (authority) द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निरोधों (restrictions) के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा ।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर सकती है जो इस प्रयोजन के निमित्त आवश्यक जान पड़ें ।

अध्याय ७

भौमिक अधिकार तथा मालगुजारी

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश के अधिनियम सं० १ के अध्याय ८ और १० के उपबन्धों का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६०—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) के अध्याय ८ और १० एवं उसके अधीन बनी नियमावली के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि क्षेत्रों पर लागू होंगे किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन (adaptation), परिष्कार (modification), परिवर्तन (alteration) अथवा अपवाद (exception) कर सकती है जो उसके विचारानुसार आवश्यक प्रतीत होते हों और ऐसे किसी अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० का कृषि क्षेत्रों पर लागू होना।

६१—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) द्वारा संशोधित यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनी नियमावली इस अधिनियम के अधीन अर्जित कृषि-क्षेत्रों पर लागू होगी किन्तु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा मूल तत्वों पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे अनुकूलन परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद कर सकती है जो राज्य सरकार के विचारानुसार आवश्यक प्रतीत हों और उसे किसी अनुकूलन परिष्कार, परिवर्तन अथवा अपवाद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी।

धारा ६० तथा ६१ के अधीन दी गयी आज्ञाओं का राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

६२—(१) इस अध्याय के अधीन दी गई कोई आज्ञा दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, कम से कम चौदह दिन तक राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खी जायगी तथा ऐसे परिष्कारों के अधीन होगी जिन्हें विधान मंडल उस सत्र में करे जिसमें वह आज्ञा उसके समक्ष रखी गयी हो।

(२) प्रत्येक ऐसी आज्ञा इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगी।

अध्याय ८

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

अधिकारियों आदि की नियुक्ति।

६३—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है—

(क) एक प्रतिकर आयुक्त (Compensation Commissioner),

(ख) एक परिच्छेद आयुक्त (Demarcation Commissioner),

(ग) प्रतिकर अधिकारी (Compensation Officer), और

(घ) परिच्छेद अधिकारी (Demarcation Officer)।

अतिरिक्त प्रतिकर कमिश्नर।

६४—राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और वे प्रतिकर आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

अतिरिक्त परिच्छेद आयुक्त।

६५—राज्य सरकार एक या अधिक अतिरिक्त परिच्छेद आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और वे परिच्छेद आयुक्त के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जिसका राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निर्देश करे।

अधिकार और कर्त्तव्य ।

६६--(१) प्रतिकर आयुक्त और परिच्छेद आयुक्त ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और परिच्छेद अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण ((supervision) और अधीक्षण (superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं ।

(२) प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बने नियमों, के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों ।

अधिकारों का प्रतिनिधान (Delegation) ।

६७--राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार अपने अधीन किसी भी अधिकारी (officer) अथवा प्राधिकारी (authority) को गजेट में विज्ञप्ति द्वारा, उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (Conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन, प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है ।

साक्षियों आदि को उपस्थित कराने का अधिकार ।

६८--निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी तथा परिच्छेद आयुक्त को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालयों (civil courts) को प्राप्त हैं--

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और शपथ देकर प्रकथन (affirmation) कराके, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र से बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिये कमीशन या निवेदन-पत्र (request) जारी करना ;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना ;

(ग) नोटिस की तामील कराना, तथा

(घ) न्यायालय के अवमान (contempt of court) के लिए लोगों को दंड देना;

और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सामान भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसार के ही बराबर समझा जायगा ।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार ।

६९--(१) नियत किये जाने वाले, प्रतिबन्धों या निरोधों के अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे ऐसा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे ।

ऐक्ट ४५, १८६०

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है ।

भूमि पर प्रवेश करने और पर्यावलोकन इत्यादि का अधिकार ।

७०--ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों के अधीन रहते हुए, जो नियत किए जायं, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये किसी समय, किसी भूमि पर, ऐसे जनसेवकों (public servants) सहित, जिन्हें वह आवश्यक समझें, प्रवेश कर सकता है और उस का पर्यावलोकन (survey) या पैमाइश (measurements) कर सकता है अथवा अन्य ऐसा कार्य कर सकता है जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

प्रतिकर अधिकारी और परिच्छेद आयुक्त के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना ।

७१--किसी प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद आयुक्त के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पेनल कोड की धारा १९३ में और २२६ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये एक वैचारिक व्यवहार (judicial proceeding) है ।

वाद-व्यय ।

७२--इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर अधिकारी या परिच्छेद आयुक्त द्वारा वाद-व्यय (costs) के सम्बन्ध में दी गई आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाद व्यय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र-युक्त मुंसिफ को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यान्वित करायी जा सकती है और मुन्सिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानों उक्त प्रार्थना पत्र उस मुन्सिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिक्री के निष्पादन का प्रार्थना-पत्र हो ।

लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों के निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार।

७३--इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेख्यों, विवरणों और रजिस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क देने पर , जो नियत किये जायं, किया जा सकेगा, और नियत शुल्क देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे लेख्य, विवरण या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि पा सके ।

व्यवहार का संक्रामण ।

७४--(१) किसी पक्ष (party) के प्रार्थना-पत्र पर और दूसरे फरीकों को नोटिस देकर ऐसे पक्ष की सुनवाई कर के , जो अपनी सुनवाई चाहता हो अथवा बिना नोटिस दिये स्वतः डिस्ट्रिक्ट जज किसी समय अपने अधिक्षेत्र में किसी प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (proceeding) को अपने यहां मंगा सकता है और उसे अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (competent to dispose of) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी को, जैसी भी दशा हो, निस्तारण (disposal) के लिये संक्रमित (transfer) कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यवहार के संक्रामित होने पर उस अधिकारी को, जो उसके पश्चात् उस व्यवहार का निस्तारण करे, अधिकार होगा कि यदि संक्रामण (transfer) की आज्ञा में कोई विशेष निर्देश हों तो उन्हें बाधित न करते हुये चाहे वह उस की कुल सुनवाई आदि से फिर करे या उस अवस्थान (point) से सुनवाई आरम्भ करे जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था ।

कुछ विषयों दीवानी न्यायालयों का अधिक्षेत्र न होना ।

७५--उस दशा को छोड़ कर जिसकी स्पष्ट व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गई हो, ऐसा कोई वाद या दूसरा व्यवहार, जिसका सम्बन्ध प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी इन्दराज के होने या न होने से या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा से हो, किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

७६—(१) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया कोई कार्य यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्तव्यों के पालन अथवा सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो, तो उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजदारी व्यवहार न चल सकेगा। इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के संबंध में परित्राण।

(२) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के कारण या इस अधिनियम के या उसके अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने को अभिप्रेत किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (damage) अथवा अन्य हानि (injury) के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई विधिक व्यवहार नहीं चल सकेगा।

७७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर प्रदान कर देने पर राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उसका वास्तविक अधिकारी हो, प्रतिकर देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर दिया गया है, यथावत् व्यवहार द्वारा कार्यान्वित कर सकता है, तो प्रतिकर के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के दायित्व की भरपाई।

७८—(१) प्रतिकर अधिकारी के सामने अध्याय ४ और ५ के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक व्यवहार में राज्य सरकार एक पक्ष होगी और समझी जायगी और राज्य सरकार पर तामील किये जाने के लिये अभिप्रेत (intended) प्रत्येक को नोटिस कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित (nominated) अन्य प्राधिकारी (authority) पर तामील किया जा सकेगा। अध्याय ४ तथा ५ तक के अधीन व्यवहारों में राज्य सरकार का फरीक होना।

(२) उक्त अध्यायों या धारा ८२ की उपधारा (३) के खंड (४) में किसी बात के रहते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा उस की ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (period of limitation) उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन होगी।

७९—इस अधिनियम के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों या व्यवहारों के सम्बन्ध में १९५० ई० का उत्तर प्रदेशीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट), की धाराओं ३३१, ३३२ क, ३३२ ख तथा ३३३ के उपबन्ध यथा-परिस्थिति ऐसे अनुकूलनों (adaptations) परिष्कारों (modifications) अथवा परिवर्तनों (alterations) सहित, जिनसे मूल-तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम के अधीन किये जाने वाले वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा व्यवहारों के सम्बन्ध में लागू होते हैं। वाद-प्रार्थना-पत्र तथा व्यवहार।

८०—इस अधिनियम के सम्बन्ध में १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि और व्यवस्था अधिनियम की धारा ३३८ तथा ३४२ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में लागू होते हैं। अनुकूलनों तथा कठिनाइयों का दूर किया जाना।

८१—जब तक स्पष्ट रूप से इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन व्यवस्था न की गई हो, इंडियन कोर्ट फीज ऐक्ट, १८७०, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ और इंडियन लिमिटेशन, १९०८ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले व्यवहारों पर लागू होंगे। इस अधिनियम के अधीन व्यवहारों में अन्य अधिनियमों को लागू करना।

नियम बनाने का अधिकार ।

८२—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती है—

(१) रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद अधिकारी धारा ३ के अधीन कृषि-क्षेत्रों का अवधारण तथा उनका परिच्छेद करेगा ;

(२) परिच्छेद के प्रस्तावों का आकार (form) ;

(३) आकार तथा रीति, जिसके अनुसार परिच्छेद के प्रस्ताव तथा अन्तिम रूप से परिच्छेदित कृषि-क्षेत्रों के विवरण क्रमशः धारा ४ और धारा ५ के अधीन निरीक्षण के लिये उपलब्ध होंगे ;

(४) रीति, जिसके अनुसार धारा ४ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी और धारा ५ के अधीन उनका विन्यास (disposed off) किया जायगा ;

(५) धारा ७ के अधीन कृषि-क्षेत्रों के निहित होने के दिनांक से पहले की कार्यवाहियां ;

(६) इस अधिनिय के अधीन स्थगित किये गये वादों तथा व्यवहारों का विन्यास (disposal);

(७) धारा २१ के अधीन कृषि-क्षेत्रों को हस्तगत करने (taking over) से सम्बद्ध विषय ;

(८) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा २७ के अधीन प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार की जायेगी ;

(९) रीति तथा आकार, जिसके अनुसार धारा ३५ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायेंगी ;

(१०) प्रक्रिया, जिसकी धारा ५५ के अधीन किसी न्यायालय अथवा प्रधिकारी को प्रतिकर की धनराशि सौंपे जाने के सम्बन्ध में अनुसरण किया जायगा ;

(११) धारा ६६ के अधीन किसी धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया ;

(१२) अध्याय ६ के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्तव्यों के पालन, कृत्यों के संपादन तथा अधिकारों के प्रयोग की रीति और प्रक्रिया ;

(१३) भूमि प्रबन्ध निधि की स्थापना और रखरखाव से संबद्ध विषय ;

(१४) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त भूमि प्रबन्ध निधि के उपयोग तथा उसमें से किये जाने वाले भुगतानों की रीति और प्रक्रिया ;

(१५) विषय तथा रीति, जिसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी स्थानीय प्राधिकारी को अध्याय ६ के अधीन निर्देश दे सकेगी ;

(१६) प्रक्रिया तथा कार्यवाही, जिसका संबंध अध्याय ६ के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्यों का तथा कार्यों को सम्पन्न करने के निमित्त की जाने वाली किसी वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) से हो ;

(१७) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये बहियों तथा लेखों (books and accounts), अन्य रजिस्टरों, विवरणों (statements) विवरण-पत्रों (returns) तथा आकार-पत्रों (forms) के रखने की प्रक्रिया और उनका आकार (form);

(१८) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाला पत्र-व्यवहार तथा लेख्यों (documents) और संविदाओं (contracts) का निष्पादन (execution) ;

(१९) इस अधिनियम के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उस के विरुद्ध वादों तथा व्यवहारों (Proceedings) का चलाया जाना।

(३) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि उस के अन्तर्गत निम्नलिखित की व्यवस्था करने का भी अधिकार है--

(१) ऐसी कालावधि (time-limits) लगाने के निमित्त जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिये की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को अधिकार दे कर या न दे कर ;

(२) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र-वाद अथवा दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(३) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य और ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(४) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में, इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि ;

(५) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;

(६) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों (applications) अपीलों और व्यवहारों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना;

(७) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को दिये गये अधिकारों का किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी (officer) अथवा व्यक्ति को प्रति-निधान (delegation); तथा

(८) एक प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारों के यहां व्यवहारों का संक्रामण (transfer)।

(४) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध (conditions) के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाये जायं।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और, यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न कर दिया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायेंगे (come into force)।

(६) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य के विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जिन्हें विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

अनुसूची

(धारा १)

क्षेत्र जिसमें आरम्भ में यह अधिनियम लागू न होगा।

(१) कुमायूं डिवीजन,

(२) बनारस जिले का परगना, कसवार राजा,

(३) देहरादून जिले का परगना, जौनसार बावर,

(४) कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मिर्जापुर जिले का भाग,

(५) कोई भी आस्थान या उसका भाग, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो,

(६) क्षेत्र, जो ३० जून, १९५४ को निम्नलिखित में स्थित किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउनएरिया अथवा कैन्टूनमेंट में थे —

(क) बनारस स्टेट, (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस, स्टेट,

(ख) रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर,

(ग) टेहरी-गढ़वाल (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल,

(घ) प्राविंसेज एंड स्टेट्स (ऐजार्प्शन आफ़ एन्क्लेव्स) आर्डर १९५० में दी हुई परिभाषा के अनुसार 'एन्क्लेव' (अन्तरक्षेत्र), जो उक्त आर्डर के अधीन उत्तर प्रदेश मे अन्तर्भूत (absorbed) हो गया हो।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, ऐसे कृषि क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जो म्युनिसिपैलिटी कैन्टूनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया की सीमाओं में हों। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में विधायन बनाने का प्रश्न विगत कुछ काल में सरकार के विचाराधीन रहा है। सन् १९५० में विधान मंडल के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका उद्देश्य अभिदिष्ट क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों का अर्जन करना था। इस विधेयक में भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था नहीं की गयी थी, अतः सरकार ने उसे वापस लेने का और इस पुनरीक्षित विधेयक को प्रस्तुत करने का निश्चय किया है।

२—इस विधेयक में उन भूमियों में मध्यवर्तियों के अधिकार अर्जित करने की व्यवस्था की गयी है जो नगर-सीमाओं में स्थित हैं तथा जो काश्तकारों, माफीदारों, रियायती काश्तकारों तथा बागदारों के अधिकार में अथवा मध्यवर्तियों के अधिकार में सीर, खुदकाश्त अथवा बागों के रूप में हों। इस विधेयक में उक्त क्षेत्रों में भी वैसे ही भूमि सुधारों की व्यवस्था है जो ग्राम क्षेत्रों में किये गये हैं। जिन क्षेत्रों में भवन बने हुये हैं अथवा जहां खेती नहीं की जाती उन क्षेत्रों के कब्जे अथवा अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है। ऐसे पट्टेदारों की कठिनाइयां दूर करने के लिये, जिन्होंने भवन निर्माण के लिये किसी दिनांक विषय के पश्चात् भूमि के पट्टे लिये हैं किन्तु जिन्होंने उस भूमि को कृषि-प्रयोजन के लिये अस्थायी रूप से उठा दिया है विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे पट्टेदार अपने शिकमी काश्तकारों को बेदखल कर सकेंगे और भवन निर्माण के लिये भूमि का उपयोग कर सकेंगे।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९१ पर।)

यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५५

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६।

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करने का

विधेयक

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि आगे के प्रयोजनों के लिये यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित किया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा;

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २ का संशोधन।

२—(१) यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) This Act shall not apply—

(i) to a waqf created solely for one or more of the following purposes that is to say,

(*a*) for the maintenance and support of any person not being the waqf or his descendant or a member of his family;

(*b*) for the celebration of religious ceremonies connected with the death anniversary of the waqif or of a member of his family or any of his ancestors,

(*c*) for the maintenance of private imambaras, tombs and grave-yards, or

(*d*) for the maintenance and support of the waqif or for payment of his debts where the waqif is a Hanafi Muslim, or the maintenance and support of such waqif's descendants or members of his family;

Explanation—A waqf shall cease to be a waqf created solely for any of the purposes aforesaid, where it subsequently ceases to be devoted solely to those purposes.

(ii) in the first instance to a waqf governed by the Husainabad Endowment Act, 1878, but the State Government may by notification in the official *Gazette* apply, with or without modifications, the provisions of this Act as pertain to superintendence and are not inconsistent with the provisions of the aforesaid Act."

Act XV of 1878.

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) खंड (१) में शब्द "includes waqf user" के स्थान पर शब्द "and includes waqf by user and waqf-alal-aulad and offerings made at a shrine or tomb" रख दिये जायं ;

(२) खंड (५) के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर एक कामा रख दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "and cash and other commodities" बढ़ा दिये जायं ; और

(३) खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"net income" means the total income less any revenue, cess, rates, taxes or surcharge payable to the Government or any local authority.

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ३ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा ८ में शब्द "All India Shia Conference" के स्थान पर शब्द U. P. Shia Conference (Registered)" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ८ का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "All India Shia Conference" के स्थान पर शब्द "U. P. Shia Conference (Registered)" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ९ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की धारा १४ के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"Provided that where the meetings is adjourned for want of quorum, the quorum required for the first meeting held after it is so adjourned shall be onethird of the total number of members of the Board; and where it is again adjourned for want of quorum, no quorum shall be required for second and subsequent adjourned meetings."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा १४ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) the Central Board shall appoint a person to be its whole-time Secretary possessing such qualifications and on such pay, allowances and terms and other conditions of service as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा १६ का संशोधन ।

८—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) में—

(क) खंड (*a*) में शब्द "to complete and maintain" के स्थान पर शब्द "to maintain a complete and" रख दिये जायं,

(ख) खंड (*c*) में शब्द "District Waqf Committee" के स्थान पर शब्द "Sub-committee" रख दिया जाय ।

(ग) खंड (*d*) में शब्द "District Waqf Committee के स्थान पर शब्द "Sub-Committee" रख दिया जायं ;

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा १८ का संशोधन ।

विधान सभा

(घ) खंड (*e*) के मद (*v*) के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी मद (*vi*) के रूप में बढ़ा दी जाय—

"(vi) Such further matters as the nature of the *waqf* may require,"

(ङ) खंड (*h*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*h*) to direct, in any case where the object of the *waqf* is not evidenced by any document or where the object for which the *waqf* was created has failed or ceased to exist the manner in which the income of the *waqf* or any surplus thereof shall be utilized but no such direction shalll be given without previously affording, to the persons affected, an opportunity of being heard and without the previous approval of the State Government.

(च) खंड (*m*) में शब्द "District *waqf* Committee" के स्थान पर शब्द "Sub-Committee" रख दिया जाय।

(छ) खंड (*p*) के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये जायं—

"(*q*) to sanction, on the application of the *mutawalli* or a person interested in the *waqf*, a lease, mortgage or other transfer of property of the *waqf* or its conversion into another property, if the Board is satisfied that such lease, mortgage, transfer or conversion is for the benefit of the *waqf* :

Provided that no such lease, mortgage, transfer or conversion shall be sanctioned unless the proposal is approved by a majority of at least three-fourth of the total number of members of the Board;

(*r*) to remove a *mutawalli* or appoint a *mutawalli* and to put the *mutawalli* so appointed in possession of the *waqf* property under the provisions of this Act; and

(*s*) to issue directions under the provisions of this Act to a *mutawalli* or committee of management; and

(*t*) Whenever the deed of *waqf* or any decree or order of a court or the scheme of management of the *waqf* provides that the judge or any other authority may appoint or remove a *mutawalli* or settle or modify the scheme of management or otherwise exercise superintendence over the *waqf*, the powers exercisable by the Judge or such authority shall, notwithstanding anything in the deed of *waqf*, decree, order or scheme, be exercisable by the Central Board as far as may be in accordance with the directions contained in the deed of *waqf*, decree, order or scheme, as the case may be.

९—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २० का संशोधन ।

Disqualification for membership of the Board.

20. A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Board, if he has been declared insolvent by a court or has been convicted of an offence involving moral turpitude.

Removal of member.

20-A. The Central Board may, subject to the approval of the State Government, remove any member from the membership of the Board if—

(*a*) the member absents himself from five consecutive meetings of the Board without the permission of the Board, or

(*b*) the Board considers that the member is not fit to continue as a member or is disqualified from being or continuing as a member.

१०—मूल अधिनियम की धारा २२ में—

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २२ का संशोधन ।

(१) शब्द "when the place of a member becomes vacant by his removal, resignation or death" के स्थान पर शब्द "when a casual vacancy occurs" रख दिये जायं, और

(२) शब्द और संख्या "section 6" के स्थान पर "the act" शब्द रख दिये जायं ।

११—मूल अधिनियम की धारा २३ में प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में शब्द "disposal" के स्थान पर शब्द "or where the Board for any other reason considers it inappropriate to do so" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा २३ का संशोधन ।

१२—मूल अधिनियम की धारायें २५ से ३६ तक निकाल दी जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ में धारायें २५ से ३६ तक का निकाला जाना ।

१३—मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द "Shia" जहां कहीं भी वह आया हो, निकाल दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ३७ का संशोधन ।

१४—मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ४५ का संशोधन ।

Application for enquiry.

45. (1) A beneficiary or any person interested in *waqf* may make an application to the Central Board supported by an affidavit to institute an enquiry relating to the administration of the *waqf*, or

for the examination and audit of the account thereof and the Board may make or cause to be made through its own officer, or through a sub-committee constituted under section 37, such enquiry, examination or audit as it may deem fit.

(2) If, after such enquiry as aforesaid, the Board is of opinion that the *mutawalli* or the committee of management has acted otherwise than in accordance with the terms and conditions of the *waqf*, it may direct the *mutawalli* or the committee of management to take such action as it may deem expedient.

(3) The *mutawalli* or the committee of management shall carry out the directions given by the Board under sub-section (2) or may, within 90 days from the date of the receipt of such directions, give notice to the Board to constitute a Tribunal, for a declaration that the directions given by the Board are not in confirmity with the terms and conditions of the *waqf*.

(4) The Tribunal shall consist of a nominee of *mutawalli* or the committee of management, as the case may be, a nominee of the Board and a Chairman to be elected by the two nominees. If the two nominees fail to elect a Chairman, he shall be appointed by the State Government.

(5) In case the *mutawalli* or the committee of management fails to carry out the directions given by the Board and does not apply to the Board for the constitution of the Tribunal as provided in sub-section (3), or where on such application the Tribunal confirms the directions given by the Board with such a amendment if any, as it may deem necessary, such directions shall be executed by the court which would have jurisdiction in the matter.

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ में एक नये अध्याय (V–A) का बढ़ाया जाना।

१५—मूल अधिनियम के अध्याय "V" के पश्चात् निम्नलिखित नये अध्याय (V—A) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"CHAPTER V-A

External control

General supervision by the state Government.

46-A. The State Government shall exercise general supervision over the Central Board and the sub-committees constituted under section 37, and may call for any document, record or information from the Board or a sub-committee. The State Government may further require the accounts of the Board or any sub-committee to be audited by an auditor to be appointed by it.

46-B. The State Government may, for the better administration of the *waqfs* under the supervision of the Central Board, issue direction, consistent with the terms and conditions of such *waqfs* and the provisions of this Act, to the Board, and such directions shall be carried out by the Board.

Power of the State Govt. to issue direction.

46-C. In case of gross mismanagement and persistent dereliction of duty by the Central Board, or when in the opinion of the State Government, the Board has so flagrantly abused the powers vested in it by law that its continuance is likely to prove detrimental to the public interest, the State Government may dissolve the Board after giving it an opportunity to explain the charges against it and after taking into consideration the explanation if any, submitted by it.

Dissolution of the Board.

46-D. Where the Central Board is dissolved under the provisions of section 46-C, the State Government shall take upon itself the functions of the Board and may appoint an Administrator to carry out such functions.

State Govt. to take over functions of the Board.

46-E. Where the Central Board is dissolved under the provisions of section 46—C, a new Central Board shall be constituted within one year of the date of dissolution in accordance with the provisonis of this Act.

Formation of new Board.

46-F. As soon as a new Central Board is formed under section 46-E, the State Government shall, by notification in the *Gazette*, transfer the administration of the *waqf* to such Board and thereupon the State Government shall cease to exercise the functions of the Central Board from the date of such noti-fication.

Transfer of administration of waqfs to the new Board,

१६---मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ४७ का संशोधन।

"47. (1) Where the object of any *waqf* has ceased to exist or cannot be accomplished, or the accomplishment of which is, in the opinion of the Central Board, highly inexpedient, then, notwithstanding anything contained in section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908, or any law for the time being in force, the Board, may, of its own motion or on the application of a member of the sect to which the *waqf* belongs, and after issuing notice to the *mutawalli* of such *waqf* and to such other person

Determination of objects of the waqf.

Act v of 1908

as may appear to the Board to be interested therein, and after making such enquiry as it deems necessary, determine the object which shall be similar or as nearly similar as may be practicable to the object for which the *waqf* was created to which the funds, property or income of the *waqf*, or so much of such fund, property or income as was previously expended on or applied to such object, shall be applied.

(2) The applicant or the *mutawalli* of the *waqf* or any othe person interested in the *waqf*, may, within 90 days of any order passed under sub-section (1), make an application to the court for varying, modifying or setting aside such order, but subject to the decision of the court on such application the order of the Board shall be final and binding upon all persons interested."

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ में एक नयी धारा 47—A का बढ़ाया जाना ।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय—

"47-A. (1) Where a *mutawalli* is under an obligation to perform any act which is recognized by Muslim Law as pious, religious or charitable and the *mutawalli* fails to perform such act, the Board may apply to the court for an order directing the *mutawalli* to pay to the Board or to any person authorized by the Board in this behalf the amount necessary for the performance of the act.

(2) Where a *mutawalli* is under an obligation to discharge any other duties imposed on him under the *waqf* deed and the *mutawalli* wilfully fails to discharge such duties, the Board or any person interested in the *waqf* may make an application to the court and the court may pass such order as it thinks fit."

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ४८ का संशोधन ।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४८ में शब्द "provided that if in such suit the validity or propriety of any order or direction passed or made by the Central Board is challanged, a suit may be instituted without previous sanction after giving two months notice to the Central Board as provided in section 53" **निकाल दिये जायं ।**

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ५२ का संशोधन ।

१९—मूल अधिनियम की धारा ५२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Notice of the Central Board regarding certain suits or proceedings.

"52. (1) In every suit or proceeding in respect of any *waqf*, property, or by or against a *mutawalli* as such, except a suit or proceeding for recovery of rent by or on behalf of a *mutawalli*, the court shall give notice of such suit or proceeding to the Central Board at the cost of the party instituting the suit or proceedings.

(2) The Central Board may apply to the court in which the suit or proceeding referred to in sub-section (1) is pending to be added as a party to such suit or proceeding, and it shall thereupon be added as party, and shall be entitled to conduct or defend such suit or proceeding.

(3) Where no notice is given as provided in sub-section (1) any decree or order, passed in the suit or proceedings may be declared void on the application of the Central Board in this behalf, provided that such application is made within 90 days of the passing of the decree or order, or within 90 days of the date on which the suit or proceedings came to the knowledge of the Central Board, whichever is later."

२०—धारा ५२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ में धारा ५२–A और धारा ५२–B का बढ़ाया जाना।

"52-A. (1) Before any *waqf* property is notified for sale for the recovery of any dues payable to Government or to a local authority, or in execution of a decree, a notice shall be given to the Central Board by the court, collector or other person under whose orders the sale is notified.

(2) Where no notice is given as provided in sub-section (1), the sale shall be declared void on the application of the Central Board in this behalf, provided that such application is made within 90 days of the date on which the sale came to the knowledge of the Board.

Explanation—Knowledge to the Secretary of the Board shall be deemed to be knowledge to the Board.

52-B. (1) All cost and other expenses incurred by the Central Board in connexion with any suit or proceedings in respect of any *waqf* to which the Board is a party, and all costs decreed against the Board by the court other than costs awarded to a *mutawalli* in suits filed by him against the Board, or by the Board against a *mutawalli* shall be payable out of the funds of such *waqf* :

Paym cost out of fun s of the Board.

Provided that the Board may in its discretion meet such costs or other expenses from the fund established under the provisions of section 65 and thereafter recover the same from the funds of such *waqf*.

(2) No costs or other expenses incurred, a *mutawalli* in connexion with a suit filed against him under Section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908, for his removal from the office of *mutawalli* of a *waqf*, shall, if he is so removed, be payable out of the funds of such *waqf*."

Act V of 1908.

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५४ का संशोधन ।

२१—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द और संख्या "5 per cent" के स्थान पर शब्द और संख्या "6 per cent" रख दिये जायं ;

(२) प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that *waqf* of which the net annual income does not exceed Rs.50 shall not be liable to any contribution under this section."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५४-ए का संशोधन ।

२२—मूल अधिनियम की धारा ५४-ए की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "five per cent" के स्थान पर शब्द "six per cent" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५६ का संशोधन ।

२३—मूल अधिनियम की धारा ५६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Appointment of *mutawallis*.

"56. When there is a vacancy in the office of *mutawalli* of a *waqf* and there is no one competent to be appointed under the terms of the deed of *waqf*, or where the right of any person to act as *mutawalli* is disputed or if the *mutawalli* refuses to vacate when called upon to do so under section 58, the Central Board may appoint any person to act as a *mutawalli* for such period and on such conditions as it may think fit or it may assume direct management of the *waqf*."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५७ का संशोधन ।

२४—मूल अधिनियम की धारा ५७ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "the District *waqf* Committee or the Central Board" के स्थान पर शब्द "the Central Board or, with the previous approval of the Board, by the sub-committee constituted under section 37." रख दिये जायं ,

(२) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"*Explanation*—The statement of accounts required to be submitted by a *mutawalli* under clause (*b*) shall, in respect of a *Waqf-allal-aulad* to which the provisions of this Act apply, relate only to that portion of the income of such *waqf* as is specified or set apart for religious or charitable purposes." और

(३) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (*c*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*c*) submit before the 31st day of March in each year a budget of the income and expenditure for the *waqf* for the next succeeding financial year."

२५--मूल अधिनियम की धारा ५८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५८ का संशोधन।

"58. (1) The Central Board may remove a *mutawalli* from his office if—

Removal of *mutawallis* by Central Board

(i) such *mutawalli* after having once been fined under section 60 is again fined under the same section, or

(ii) such *mutawalli* is convicted of an offence relating to the *waqf* property or money which in the opinion of the Central Board renders him unfit to continue to be a *mutawalli*, or

(iii) such *mutawalli* is convicted of an offence involving moral turpitude or is required to furnish security under Section 109 or Section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, or

(iv) such *mutawalli* wrongfully destroys or allienates any *waqf* property, or

(v) Such *mutawalli* is adjudged insolvent, or

(vi) such *mutawalli* is, in the opinion of the Central Board, unfit to discharge the duties of a *mutawalli* owing to any physical or mental disability, or

(vii) such *mutawalli* is guilty of misappropriation or gross mismanagement of waqf property, or has persistently neglected to comply with the directions given by the Central Board for the proper management of the waqf."

२६--मूल अधिनियम की धारा ५९ में--

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ५९ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "supervision" के पश्चात् शब्द "or management" बढ़ा दिये जायं,

(२) उपधारा (2) में शब्द "force" के पश्चात् शब्द "in so far as it relates to the constitution of such committee" बढ़ा दिये जायं, और

(३) मूल अधिनियम की धारा ५९ की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 2—A के रूप में रख दी जाय :

"2-A. The Central Board may instead of superseding any Committee under sub-section (2) remove any member thereof, if the Board is satisfied that the member has flagrantly abused his position as such or has knowingly acted in a manner prejudicial to the interest of the *waqf* ;

Provided that no order for removal of a member shall be made except after affording him an opportunity of being heard and provided further that an appeal shall lie within 30 days from the date of removal or service of notice of removal whichever is later, to the Government and the order of the State Government on appeal shall be final and be not questioned in any court of law."

(३) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(4) where the Central Board supersedes a Committee by an order under sub-section (2), it may either appoint a new committee of supervision or management or may assume direct management of the *waqf*."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ में नयी धारा 59—A का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ५९ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा 59—A के रूप में बढ़ा दिया जाय—

Delivery of possession.

"59-A. Where in a case in which the Central Board has assumed direct management of a *waqf* or appointed a *mutawalli* or a committee of management under the provisions of section 56 or section 59, and the Board, or the *mutawalli*, or committee so appointed, is prevented from taking possession of the property of the *waqf* or of any title deeds or other documents relating thereto, the court may, on the application of the Board, or of the *mutawalli* or committee so appointed, pass an order for the delivery of possession of the property of the *waqf*, and the title deeds or other documents relating thereto, against such person or persons as may be in possession of such property, title deeds or other documents."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ६० का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"60. Where a *mutawalli* fails without reasonable cause or excuse, the burden of proving which shall be upon him—

(*a*) to apply for registration of a *waqf* as provided in section 38, or

(*b*) to submit statements of particulars or of accounts and returns and to have their accounts audited as required by this Act, or

(*c*) to supply information or particulars required by the Central Board or the sub-committee, or

(*d*) to allow inspection under the provisions of this Act of *waqf*, properties or deeds and documents relating thereto, or

(*e*) to give assistance in enquiries and investigations when called upon to do so by the Central Board or by a sub-committee or by a superintendent, inspector or auditor working under the orders of the Central Board, or

(*f*) to deliver possession of any *waqf*, property if ordered to do so by the Central Board, or

(g) to deposit any surplus income in his hands in any recognized Bank when directed to do so by the Central Board, or

(*h*) to carry out the directions given by the Central Board or a sub-committee consistent with the provisions of this Act,

(*i*) to do any other act which he is by or under this Act required to do,

the *mutawalli* shall, without prejudice to any other liability under any other provisions of this Act also be liable to pay a penalty not exceeding rupees fifty for the first contravention and rupees two hundred and fifty for every subsequent contravention as the Board may determine."

२९—मूल अधिनियम की धारा ६१ में—

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ६१ का संशोधन।

(१) शब्द "District Waqf Committee", "District Waqf Committees" और "Sunni District Waqf committees" इस धारा में जहां कहीं भी आये हों उनके स्थान पर शब्द "sub-committee," रख दिया जाय, और

(२) शब्द "and Shia sub-committees" निकाल दिये जायं।

३०—मूल अधिनियम की धारा ६२ में शब्द "and District Waqf Committees" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ६२ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ६३ में शब्द "The Central Board shall also give such information and submit such reports, returns and statement as may be called for by the State Government" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ६३ का संशोधन।

३२—(१) मूल अधिनियम की धारा ६५ उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित कर दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ६५ का संशोधन।

(२) पुनः परिगणित की गयी उपधारा (१) में शब्द "District Waqf Committees" के स्थान पर शब्द "sub-committees" रख दिये जायं, और

(३) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(2) If any surplus remains after meeting the expenditure referred to in sub-section (1), the Board may use such surplus or any portion thereof for such religious or charitable purposes as it may deem fit."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ६६ का संशोधन।

३३—मूल अधिनियम की धारा ६६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Surplus and accumulation.

66. All money that may be available as surplus or accummulation out of the income of *Waqfs* shall be spent on such charitable or religious objects as may be determined by the Central Board. Such money may be given as loan, with the approval of the Central Board, by one *Waqf* to another on such terms and conditions as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट १३, १९३६ की धारा ६९ का संशोधन।

३४—मूल अधिनियम की धारा ६९ में—

(१) शब्द "applies" के पश्चात् एक कामा लगा दिया जाय और उसके पश्चात् शब्द "so far as they are inconsistent with the provisions of this Act" बढ़ा दिये जायं, और

(२) खंड (ii) में शब्द और संख्या "section 5 of" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की धारा ७१ का संशोधन।

३५—मूल अधिनियम की धारा ७१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Recovery of dues by distress.

71. Every sum recoverable under this Act and the contribution under section 54 may be recovered by the Central Board by means of distress and sale of movable or immovable property belonging to the person liable for payment, or by the appointment of a receiver of *Waqf*, property, in accordance with rules framed by the State Government in this behalf."

यू० पी० ऐक्ट १३,१९३६ की अनुसूची का निकाला जाना।

३६—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

यू०पी०मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट, १९३६ जो यू०पी० में कुछ प्रकार के मुस्लिम वक्फों के सुप्रशासन तथा निरीक्षण के लिये अधिनियमित किया गया था, दस वर्षों से कुछ ऊपर से प्रचलित है। इस अवधि में इसके प्रवर्तन में कतिपय त्रुटियों पर प्रकाश पड़ा है और यह प्रतीत हुआ है कि कई दृष्टियों से इसमें सुधार अपेक्षित है। यह ऐक्ट विशेषतः प्रक्रिया सम्बन्धी उपबंधों के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण पाया गया है। उदाहरणार्थ न्यायालय में मुकद्दमेबाजी द्वारा विवादों के निपटारे के लिये नियत की गयी प्रक्रिया से ऐसे विवादों के निस्तारण में बहुत बिलम्ब होने लगा और साथ ही वह सेंट्रल बोर्ड तथा वक्फों की वित्तीय स्थिति पर अत्यधिक भाररूप सिद्ध हुयी। इसके अतिरिक्त इस ऐक्ट के उपबंध सेंट्रल बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में विशेषरूप से त्रुटिपूर्ण पाये गये, यहां तक कि बहुत से मामलों में बोर्ड के लिये मुतवल्लियों से अपने आदेशों का पालन करवाना प्रायः असम्भव हो गया। इन मुख्य त्रुटियों तथा अन्य कई त्रुटियों के कारण वक्फों का कुशल निरीक्षण तथा प्रबन्ध करने वाली संस्था के रूप में सेंट्रल बोर्ड की उपयोगिता बहुत कम रह गयी है। आशा की जाती है कि जब संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन कार्यान्वित होंगे तो सेंट्रल बोर्ड को वक्फों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में अधिक प्रभावपूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जायगा, सब प्रकार के बिलम्ब दूर हो जायेंगे, दीर्घकालीन मुकद्दमेबाजी के फलस्वरूप बोर्ड पर पड़ने वाले व्यय का भार घट जायगा और बोर्ड तथा वक्फों की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार हो जायगा। इसलिये कुछ दिनों से यह प्रतीत हो रहा था कि इस ऐक्ट को सुविधाजनक रूप में उपयोगी बनाने के निमित्त इसमें बहुत अधिक संशोधनों की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यू०पी० मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
विद्युत मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९१ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ में संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ को आगे उल्लिखित प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २५,१९४८ में नयी धारा ४—क का रखा जाना।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ४ के पश्चात् ४—क के रूप में निम्नलिखित नयी धारा जोड़ दी जाय :

निर्दिष्ट अवधि के लिये कुछ सामानों का बिक्री कर से मुक्त किया जाना।

४—क—(१) जब राज्य सरकार की राय में किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में निर्माता (manufacturer) की निकासी (turn-over) ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से कम, और पांच वर्ष से अधिक न हो, जो भी निर्दिष्ट कर दी जाय, धारा ३ अथवा धारा ३—क में किसी बात के होते हुये भी, बिक्रीकर से मुक्त रहेगी अथवा उस पर ऐसी कम दर देय होगा जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।

(२) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् उत्पादित ऐसे सारे माल के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप से, अथवा केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक के पश्चात् निर्मित अथवा स्थापित किसी फैक्ट्री या कारखाने में उत्पादित हुए हो, उपधारा (१) के अधीन छूट (exemption) दे दें।"

उद्देश्य और कारण

यू०पी० बिक्री-कर ऐक्ट द्वारा, जैसी कि उसकी वर्तमान शब्दावली है, राज्य सरकार को किसी माल के, या माल के वर्ग (class), उत्पादकों को बिक्री-कर से छूट देने या उन पर कम दर से बिक्री-कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल जिसका अभी तक इस राज्य में उत्पादन नहीं हो सका है अथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, तैयार करने के लिये चालू किये गये नये उद्योगों को बिक्री कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने की निमित्त राज्य सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है। यह रियायत मिलने पर सिर्फ नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा अपितु रोजी रोजगार के नये साधन उपलब्ध हो सकेंगे

तदनुसार, किसी माल अथवा माल के वर्ष के विशिष्ट उत्पादकों को बिक्री कर से छूट देने, या उन पर कम दर से बिक्री-कर लगाने के लिये यू०पी० बिक्री-कर ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ५४ एल०ए०—१९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा